Monday, 25 July, 1977

लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50(5)
Date 12-1-78

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit, Parliament Library
Fumigated On 1-9-92

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए | Price : Four Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 37, सोमवार, जुलाई 25, 1977/श्रावण 3, 1899 (शक)

No. 37, Monday, July 25, 1977/Sravana 3, 1899 (Saka)

विषय	SSUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answer to Questions**—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 605 से 610, 612 और 614	*Starred Question No. 605 to 610, 612 and 614	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**—	
तारांकित प्रश्न संख्या 611, 613, 615 से 620 और 622 से 624	Starred Question Nos. 611, 613, 615 to 620 and 622 to 624	18—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 4582 से 4777 और 4779 से 4781	Unstarred Question Nos. 4582 tc 4777 and 4779 to 4781	23—167
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	168—70
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारी समुद्री कटाव के कारण केरल तथा कर्नाटक में कथित तबाही	Reported Havoc caused by Sea Erosion in Kerala and Karnataka	170—74
श्री वयालार रवि	Shri Vaylar Ravi .	170
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala . . .	171—72
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	172
श्री वी० एम० सुधीरन	Shri V. M. Sudheeran	173
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam	173
अनुदानों की मांगें (नागालैंड) 1977—78	Demands for Grants (Nagaland) 1977-78 .	174—78
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	174—75
नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1977	Nagaland Appropriation (No. 2) Bill, 1977 .	178—80
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider —	

*किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign marked † above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	178
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	179
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy .	179
खंड 2, 3 अनुसूचि तथा खंड 1	Clauses 2,3 the Schedule and Clause 1 .	179
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	180
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75	Demands for Excess Grants (General) 1974-75	180—88
श्री वयालार रवि	Shri Vaylar Ravi . .	180—81
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	180—82
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	182
श्री आरिफ बेग	Shri Arif Beg .	182—83
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta.	183
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	183—84
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh .	184
श्री छविराम अर्गल	Shri Chhabiram Argal .	184—85
श्री के० एस० वीरभद्रप्पा	Shri K. S. Veerabhadrappa	185
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty .	185—86
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	186—87
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1977	Appropriation (No. 3) Bill, 1977 .	188
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	188—89
खण्ड 2, 3 अनुसूची तथा खण्ड 1	Clauses 2, 3 the Schedule and Clause 1	189
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass —	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	189
मोटरयान (संशोधन) विधेयक—	Motion Vehicles (Amendment) Bill .	190—200
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha—	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	190, 196—97
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	191—92
श्री दुर्गाचंद	Shri Durga Chand	192
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	192—93

श्री ए० के० साहा	Shri A. K. Saha .	193—94
श्री जगन्नाथ शर्मा	Shri Jagannath Sharma .	194—95
श्री पी० के० कोडियान	Shri P. K. Kodiyan .	195—96
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	196
खण्ड 2 से 13 तथा 1	Clauses 2 to 13 and 1 . .	197—200
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	200
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक—	Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill	200—209
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha—	
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	200, 206—208
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	200—202
श्री उग्र सेन	Shri Ugrasen	202
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	202—203
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand .	203
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . . .	203—204
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamprasanna Bhattacharyya .	204
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan. .	204
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	204—205
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	205
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	205—206
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin . .	206
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav . . .	206
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed	206
खण्ड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1.	209
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	209

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 25 जुलाई, 1977/3 श्रावण, 1899 (शक)

Monday, July 25, 1977/Sravana 3, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : (अनन्तनाग) : एक बहुत ही गलत प्रथा डाली गई है। मुझे कहने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद।

Regional Language as medium of instruction in Universities

†*605. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether some Universities have introduced regional languages as medium of instruction; and

(b) if so, the names of such Universities as also the time since when they have introduced the regional languages as medium of instruction ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

According to the available information, following 84 Universities including 3 Institutions deemed to be universities are using one or more regional languages as a medium of instruction for specified courses, as on 1-7-1976 :—

1. Agra
2. Aligarh Muslim
3. Allahabad
4. Andhra

5. Annamalai
6. Avadh
7. Awadesh Pratap Singh
8. Banaras Hindu
9. Bangalore
10. Bhopal
11. Bhagalpur
12. Bihar
13. Bombay
14. Bundelkhand
15. Burdwan
16. Calcutta
17. Calicut
18. Cochin
19. Delhi
20. Dibrugarh
21. Gauhati
22. Garhwal
23. G.B. Pant
24. Gorakhpur
25. Gujarat
26. Gujarat Agricultural
27. Gujarat Ayurveda
28. Guru Nanak Dev
29. Haryana Agricultural
30. Himachal Pradesh
31. Indira Kala Sangeet
32. Indore
33. Jadavpur
34. Jabalpur
35. Jammu
36. Jawaharlal Nehru
37. J.N.Krishi
38. Jiwaji
39. Jodhpur
40. Kanpur
41. Kalyani
42. K.S. Darbhanga Sanskrit
43. Karnatak
44. Kashi Vidyapith
45. Kashmir
46. Kerala
47. Kumaon
48. Kurukshetra
49. Lucknow
50. Lalit Narain Mithila
51. Madras
52. Madurai
53. Magadh

54. Maharaja Sayajirao
55. Marathwada
56. Meerut
57. Osmania
58. Mysore
59. North Bengal
60. Punjab
61. Nagpur
62. Patna
63. Poona
64. Punjabi
65. Rabindra Bharati
66. Rajasthan
67. Rajendra Agricultural
68. Ranchi
69. Ravi Shankar
70. Sambalpur
71. Sampurnanand Sanskrit
72. Sardar Patel
73. Saugar
74. Saurashtra
75. Shivaji
76. S.N.D.T. Women's
77. South Gujarat
78. Sri Venkateswara
79. Udaipur
80. Vikram
81. Visva Bharati
*82. Gujarat Vidyapith
*83. Gurukul Kangri
*84. Jamia Millia Islamia

2. Information regarding the year of introduction of the regional language as a medium of instruction in these universities is not available.

Shri Ishwar Choudhary: I wanted to know the languages which are media of instruction in the universities ? Whether books in these languages have been made available to the students and arrangements of teachers have been made ? If not, the time by which it will be done ?

Shri Pratap Chandra Chunder: Names of the universities have been given in the statement. I do not know the languages in which subjects are being taught there. It was also not asked in the question.

For preparing text books Government have given Rs. 6 crores and Rs. 7 crores for 4th and 5th Plan respectively as grant. State Governments have formed committees for preparing text-books and they are doing their work. 4300 books have been published in various Indian languages and teachers of local languages are also available.

*Institutions deemed to be Universities.

Shri Ishwar Chaudhary : Whether the hon. Minister will call a conference of Education Ministers to discuss the publication of books, arrangement of teachers etc? I would also like to know the steps being taken for removing the present disparity.

Shri Pratap Chandra Chunder : The hon. member knows that education is a state subject and as such we are discussing with the states. For this I have called a meeting of states Education Ministers on 10 and 11 August. It is correct that at some places the number is less but we have received no complaint so far. If there will be any complaint, I will send it to the state Education Ministers.

श्री वी० अरुणाचलम : क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चलने वाले कालेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं की व्याख्या नहीं की गई है। इस सदन द्वारा स्वीकृत शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में यह कहा गया है कि प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर अभी भी क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम हैं। उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर अपनाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं। क्षेत्रीय भाषाओं की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। फिर कुछ क्षेत्रों में भाषायी अल्पसंख्यक भी हैं। इनको भी ध्यान में रखना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में यह बताना बड़ा कठिन है कि उन्हें कब तक लागू किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhwai : What are the names of those universities which are not following the instruction of introducing regional languages as medium of education ?

It is correct that regional languages are not studied upto the appropriate extent. the reasons are manyfold like non-availbility of books and teachers etc. I want to know the steps being taken for expediting this ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : I am giving a list of the universities where English is being used:

1. Andhra Pradesh Agricultural University.
2. Assam Agricultural University.
3. Barhampur University.
4. Bidhan Chandra Agricultural University.
5. Hyderabad University.
6. Jawaharlal Nehru Technology University, Hyderabad.
7. Konkan Agricultural Vidhya Pith.
8. North Eastern Hill University, Shillong.
9. Orissa University of Agriculture and Technology.
10. Panjab Agricultural University.
11. Panjabrao Krishi Vidhyapith.
12. Roorkee University.
13. Tamilnadu Agricultura. University.
14. University of Agricultural Sciences Bangalore.
15. Utakal University.

And the following is the list of Institutions deemed as universities :

1. Birla Institute of Technology and Sciences, Pilani.

2. Central Institute of languages and Foreign Languages, Hyderabad.

3. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

4. Indian Institute of Sciences, Bangalore.

5. Indian School of Mines, Dhanbad.

6. Tata Institute of Social Sciences, Bombay

I have already stated that we have requested them to teach regional languages, we cannot compel them to do so.

श्री हितेन्द्र देसाई : उत्तर अस्पष्ट है। कहा गया है कि संस्थाएं कुछ पाठ्यक्रमों के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में उपयोग में ला रही हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरे पास इसका पूरा ब्यौरा नहीं है क्योंकि यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दी थी। जुलाई, 1977 को जो स्थिति थी वह मैंने बता दी है। यह बताना कठिन है कि वे सभी पाठ्यक्रमों में इसका उपयोग कर रहे हैं। कुछ विज्ञान पाठ्यक्रम हैं। अंग्रेजी की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जायेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कितने विश्वविद्यालयों में टैक्नीकल और मेडिकल पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? क्या सरकार का विचार इन भाषाओं को माध्यम बनाने का है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने जो सूची दी है वे अधिकतर टैक्नीकल या कृषि विश्वविद्यालय हैं। विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें छप रहीं हैं। उनके छपने तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना असंभव है। भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की अच्छी पुस्तकें लिखाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1970-71 में एक कार्यक्रम बनाया था। अप्रैल, 1977 तक कुल 373 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया। इनमें से 82 मामलों में पाण्डुलिपि तैयार हो गई है। 82 पर काम बन्द कर दिया गया है तथा शेष 233 में प्रगति हो रही है। इस तरह इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं।

Shri Janeshwar Mishra : The Hon. Minister has said that there is specific definitions of a regional language. I think this term of regional language is dangerous for national unity. I will, therefore use the word of mother toungue and I want to know whether arrangements will be made for the students who want to have education through the medium of their mother toungue and whether instructions be given to state Governments to that effect ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : संविधान के अनुच्छेद 356(क) में कहा गया है कि प्राइमरी स्तर तक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। प्रश्न है कि क्या यह विश्वविद्यालय स्तर पर भी मातृभाषा में दी जाये। अल्प संख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष व्यवस्था है।

श्री वसन्त साठे : अब भी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है, यह जैसा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किया गया है, यह देखा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं में साक्षात्कार अंग्रेजी में होने के कारण छात्रों को हानि हुई। इतना ही नहीं इसके कारण उनके ज्ञान

में भी कमी रही। क्या इन छात्रों का जीवन बर्बाद न करने और क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षात्कार करने पर विचार किया गया है ? इस सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1966 में कोठारी आयोग ने इस पर विचार किया था।

शिक्षा आयोग ने कहा है :—

> "जब तक प्रशासन में उच्च पद उन्हीं छात्रों को मिलेंगे, जिनका कि अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व है, तब तक इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाये रखना चाहेंगे ।"

यह कोठारी आयोग का निष्कर्ष है, और हमें पता है कि सेवाओं के लिए भाषा सम्बन्धित यह मामला मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता बल्कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

श्री वसंत साठे : आप इसमें समन्वय किस प्रकार रख रहे हैं ? क्योंकि छात्र कानवेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपकी क्या नीति है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यदि श्री साठे के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये कि अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में हों तो इससे देश विभिन्न भागों में बंट जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रत्येक राज्य में एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने का विचार कर रहे हैं यदि विश्वविद्यालय नहीं तो क्या वह प्रत्येक राज्य में एक हिन्दी कालेज खोलेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान्, इस संबंध में एक तीन-सूत्री फार्मूले की सिफारिश की गई है और जैसा कि मैं इस बारे में बार-बार कहता आया हूं कि शिक्षा का माध्यम कुछ हद तक राज्य का विषय है और हम इसे उन पर थोप नहीं सकते। स्थिति यही है। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं केन्द्रीय सरकार हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और हिन्दी के विकास के लिए धन की व्यवस्था भी कर रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा है श्री रेड्डी के सुझाव के अनुसार कोई विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

Shri Roop Nath Singh Yaday : I want to know whether education is being imparted according to the three-Language formula in Central Schools. If not, what are the difficulties therein?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस प्रश्न का संबंध विश्वविद्यालय से नहीं है।

Shri Rashid Masood : I want to know whether there is any proposal under Government's consideration to make Urdu the medium of Instruction in any University ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कई विश्वविद्यालयों में उर्दू भाषा पढ़ाई जा रही है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि जैसे कुछ विशेष विश्वविद्यालय हैं जहां उर्दू को बड़ी भाषा और शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

Shri Rashid Masood : My Question has not been replied to.

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक आदमी व्यर्थ की बातें कर रहा है क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिन्दी-भाषी राज्यों में कई विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय दक्षिणी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति नहीं दी है और न ही उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है।

हिन्दी-भाषी राज्यों में आपने केवल एक ही भाषा को मान्यता दी है। गैर-हिन्दी-भाषी राज्यों में आप तीन या चार भाषाओं को थोप रहे हैं। इस तरह का भेद-भाव क्यों किया जा रहा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई अनुदेश जारी किया है कि दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को उत्तर के हिन्दी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाये? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? यदि दक्षिणी राज्यों पर हिन्दी थोपी गई तो इस पर तीव्र प्रतिक्रिया होगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री के० लकप्पा : श्रीमान्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**. . .)

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान्, इस प्रश्न का संबंध क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से है। गैर-क्षेत्रीय भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : श्रीमान्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सरकार मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है। उनकी भाषा संबंधी कोई नीति नहीं है। (**व्यवधान**)

Choudhry Balbir Singh : Sir, may I know from the hon. Minister whether there was a Supreme Court judgement according to which it was made clear that medium of instruction could not be imposed by the Universities? So in the light of this judgement may I know, if steps will be taken by the Government for implementation of regional languages by the Universities?

Dr. Pratap Chander Chunder : The Supreme Court gave its opinion with regard to writ petition No. 353 and 354 of 1970 which was D.A.V. College Bhatinda versus Punjab University and others and in that petition section 29 and 30 of the Constitution were debated. After the debate, the Court decided that no other language than mother tongue could be forced on minorities.

Area under Irrigation in Gujarat

†*606. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Gujarat State is lagging behind in irrigation;

(b) the measures taken or proposed to be taken by the Central Government to ensure that the State does not remain backward in irrigation; and

(c) the area likely to be brought under irrigation in Gujarat and by what time?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) गुजरात राज्य के कुल फसल क्षेत्र के 19 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत लगभग 28 प्रतिशत है ।

(ख) राज्य सरकार ने कई वृहद, मध्यम और लघु सिचाई स्कीमें हाथ में ली हैं और एक के बाद एक–सभी योजनाओं में सिंचाई कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है । नर्मदा को छोड़ कर राज्य की सभी बड़ी नदियों के जल को सामान्यत: काम में लाया जा रहा है और भूतल जल के उपयोग को वैज्ञानिक आधार पर बढ़ाया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि अन्तत: जब तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सभी स्कीमें (नर्मदा को छोड़ कर) पूरी हो जाएंगी तो 2.64 मिलियन हैक्टेयर की कुल सिंचाई शक्यता का सृजन हो जाएगा । नर्मदा बेसिन में गुजरात की चार नई परियोजनाओं से भी 0.12 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उपलब्ध हो जाएगी । इन परियोजनाओं के बारे में चार राज्यों की मार्च 1975 में हुई बैठक में भारत सरकार की सहायता से, नर्मदा न्यायाधिकरण का फैसला होने तक और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इन राज्यों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समझौता हो गया है । यदि धनराशि उपलब्ध हो गई तो ये स्कीमें (नर्मदा बेसिन की उपर्युक्त चार स्कीमों सहित लेकिन इस बेसिन की अन्य स्कीमों को छोड़कर) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जाएंगी ।

Shri Dharamsinhbhai Patel : It has been stated in the statement that 19 per cent of the total cropped area of Gujarat has been provided with irrigation facilities. The statistics supplied by Gujarat Government heve stated that only 4 per cent of the land is irrigated by the Government and nine per cent of the farmers have their own private arrangement for irrigation. So that way only 13 per cent of the land is having irrigation facilities. I want to know how much cultivable land is there in Gujarat and how many hectares of land is being irrigated.

Shri Surjit Singh Barnala : There is 101 lakh hectares cultivable land out of which 19·4 lakh hectare land is having irrigation facilities. So its percentage comes to 19·2.

Shri Dharamsinhbhai Patel : In part (h) of the statement it has been stated that except Narmada there are four new projects. I want to know which of these projects have been sanctioned and when others will be cleared ?

Shri Surjit Singh Barnala : Three of these projects have been sanctioned. Rami project was sanctioned on 3rd May, 1975, Subhi on 1st February 1977 and Curzon on 18th May, 1977. Only one project named "Harain" is awaiting sanction for want of modified report.

श्री डी० बी० पाटिल : प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न यह है कि "क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे उपाय किये गये हैं या किये जाने पर विचार किया जा रहा है जिससे कि यह राज्य सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा हुआ न रहे ।" प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई की दृष्टि से गुजरात राज्य काफी पिछड़ा हुआ है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राज्य में सिंचाई कार्यक्रम को विकसित करने के लिए उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जा रही है । अनेक योजनायें चल रही हैं। अनेक नई योजनाओं की छान-

बीन की जा रही है । कुछ नई योजनायें तथा प्रस्ताव भी प्राप्त हुये हैं तथा उनका भी परीक्षण किया जा रहा है ।

Shri Raghavji : May I know if Government is aware of the fact that due to lack of rains and irrigation facilities the Kutch District of Gujarat is facing drought and famine conditions for the last so many years which is causing grave danger to the life and property of the people ? So I want to know if any plan has been drawn by the Government or Government is considering any such plan for dealing with this situation.

Shri Surjit Singh Barnala : The rain conditions of Kutch area have been rightly explained by hon. Member. No. big plan has been made for that area so far but we are considering the same.

श्री अनंत दवे : सवाल यह था कि सिंचाई के संबंध में राज्य पिछड़ा न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा उपाय करने का प्रस्ताव है । लेकिन वक्तव्य में प्रस्तावित उपायों के संबध में कुछ उल्लेख नहीं किया गया हैं । क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेगें ।

Shri Surjit Singh Barnala : An amount of 70 crore rupees have been earmarked for the year 1977-78 for major and medium irrigation projects. Last year, 30 crore rupees were allocated for minor irrigation projects but this year 48 crore rupees have been given for this purpose. Recently under the centrally sponsored schemes for strengthening the State surface water and ground water resources 75 lakh and 91 thousand rupees have been sanctioned.

Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the hon'ble Minister be pleased to state the total area of irrigated and non irrigated land.

Shri Surjit Singh Barnala : The total cropped area in the country is 1695 lakh hectare, out of which 474 lakh hectare land has got irrigation facilities. This irrigated area comes to about 28 percent.

Shri Lalji Bhai : May I know whether a survey has been conducted in Gujarat as to how much land is being brought under irrigation and by when the total land will be provided with irrigation facilities. What help the Central Government is rendering in this regard ?

Shri Surjit Singh Barnala : As I have already stated that at present 19·2 percent of the total land is under irrigation. 26·40 lakh hectare land will be brought under irrigation under the scheme. More areas will be brought under irrigation when Narmada water dispute which is going on in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, will be settled.

Kichhau Dam

†*607. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a scheme to construct Kichhau Dam has been prepared to ensure adequate supply of water to Yamuna project; and

(b) if so, when it will be implemented and the expenditure involved therein ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया हैं ।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965 में किशाऊ बांध परियोजना के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसमें यमुना की एक सहायक नदी टोंस पर, विद्युत उत्पादन और दिल्ली को जल

पूर्ति के लिए नियमित रूप से पानी छोड़ने और यमुना से सिंचाई के लिए 770 फुट ऊंचे बांध की परिकल्पना की गई थी। परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था। इन प्रस्तावों की जांच की गई थी और राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे वैकल्पिक बांध स्थलों पर अन्वेषण कार्य करें और परियोजना अनुमानों को अद्यतन बनाएं। राज्य सरकार से अभी तक संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस परियोजना की लागत और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में यमुना बेसिन के अन्य राज्यों के हिस्से के प्रश्न पर भी फैसला करना जरूरी होगा।

(ख) राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना को तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने और संबंधित राज्यों द्वारा धन उपलब्ध कर दिये जाने पर इस स्कीम के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है।

Shri Ram Lal Rahi : Mr speaker, Sir, I want to know when this report that has been laid on the table of the House, was prepared and what was the estimated cost of the project and what are the obstacles coming forth in its implementation.

Shri Surjit Singh Barnala: This scheme has a long history. First of all it was contemplated in 1940 and then some investigation was made by the Punjab Government between the years 1944 to 1946. Thereafter a preliminary report was prepared in 1965 by U.P. Government which envisaged construction of 770 feet high dam. The project was estimated to cost about Rs. 95 crores. But after some time it was realised that a part of land which was not good was coming under the dam so the plan was reconsidered and it was suggested that an alternative rock field dam should be constructed. The engineers of Uttar Pradesh estimated that the cost of the said dam will be about Rs. 183 crores. Thereafter a joint meeting of irrigation Ministers and the Chief Ministers of Haryana, U.P. and Rajasthan was held in 1971. There was some duspute regarding the sharing of cost and benefits of this project. Again, this scheme is being formulated. New proposals are being considered. The estimated cost will be Rs. 200 crores and the dam will be constructed a little away from the original place.

Shri Ram Lal Rahi : Himachal Pradesh, U.P., Haryana, Rajasthan and the union territory of Delhi will be benefitted by this scheme. There will be three main advantages of this project. Firstly, it will help in power generation, secondly, there will be regulated release of water and thirdly the water of Yamuna can be utilised for irrigation. As the hon. Minister has just stated that the irrigation Minister had constituted a Committee and a meeting was also held but due to some disputes regarding sharing of cost and benefits this project could not be implemented. I want to know from the hon. Minister whether he will convene a meeting of all the Chief ministers of the states to expedite the matter ?

Shri Surjit Singh Barnala : Almost all the formalities have been completed. Now they have to send the project report. The report is lying with them since june 1975. We have asked the secretary of the state to send it expeditiously. He has informed us that there are certain technical problems that are being looked into and then endeavour is to implement it as early as possible.

श्री द्वारिका दास पटेल : मैं मंत्रीं महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा और इस परियोजना में विलम्ब से हमें कितना नुकसान हो रहा है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वास्तव में हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जमुना के जल को विभिन्न राज्यों में आवश्यकतानुसार वितरण करने के लिये यह बांध बनाया जा रहा है। मुख्य समस्या जल के बटबारे के सबंध में है। इस सामले में भी अभी अन्तिम योजना नहीं प्राप्त हुई है। इसी लिए कुछ विलंब हो रहा है।

Shri Om Prakash Tyagi: The hon. Minister has just now stated that some schemes cannot be implemented due to the disputes about sharing of water between different states. Narmada valley projects scheme is also in doldrums. I want to suggest that all the rivers of the country should be nationalised and a tribunal should be constituted for advancing loan foi construction of dams, so that dams could be constructed expeditiously.

Shri Surjit Singh Barnala: Irrigation is a state subject and the states do not agree to it.

ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

*608 **श्री कुन्हम्बू :**

श्री वयालार रवि :[1]

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर (आई० सी० ए० आर०) त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या इस जांच के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी मामला दर्ज किया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आई० सी० ए० आर० के सतर्कता विभाग के कहने पर एक महिला वैज्ञानिक की नियुक्ति का एक आरोप वापस ले लिया है, और यदि हां, तो उस निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित थी परन्तु जब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इन शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही थी तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो नें शिकायतों की जांच पड़ताल का भार अपने ऊपर ले लिया । अतः उस अवस्था में अलग विभागीय जांच आवश्यक नहीं समझी गयी ।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने निदेशक के विरुद्ध कोई भी केस दर्ज नहीं किया परन्तु अपनी जांच की समाप्ति पर ब्यूरो ने निदेशक के विरुद्ध विभागीय कारवाई की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट पेश की ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने निदेशक के विरुद्ध किसी भी अवस्था में न तो कोई सुझाव दिया और न ही किसी अभियोग को छोड़ देने की सिफारिश की है ।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर निदेशक के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री के० कुन्हम्बू : इस निदेशक के विरुद्ध कई शिकायतें हैं । इसने प्रत्येक वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारियों को परेशान कर रखा है । इस महिला की नियुक्ति भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है । मैं

मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए इस निदेशक के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम उसके विरुद्ध विभागीय जांच करा रहे हैं ।

श्री के० कुन्हम्बू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस महिला की नियुक्ति सम्बन्धी फाइल गायब है । यदि हां, तो निदेशक द्वारा फाइल नष्ट करने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न नियुक्ति आदेश के संबंध में नहीं है । यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट जानकारी हासिल करनी है तो इसके लिये मुझे पर्व सूचना दें, मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया है कि निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि विभागीय कार्यवाही के साथ साथ क्या वह उक्त निदेशक का तबादला भी उस संस्थान से कहीं और कर देंगे क्योंकि तभी विभागीय जांच अधिक सफल हो सकती है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फिलहाल हमने विभागीय कार्यवाही शुरू की है । निदेशक का तबादला किसी अन्य संस्थान में हो सकता है या नहीं इसकी मैं जांच करूंगा ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav: During the regime of congress Government corruption and politics entered in every department of I.C.A.R. and its institutions of Delhi and other states have been affected badly. I want to know whether government is taking specific steps to root out corruption and politics from the I.C.A.R.

Shri Surjit Singh Barnala: It is not correct to say that corruption is rampant in every institution of I.C.A.R. If a complaint is lodged we investigate the matter and try to expedite the matter by taking necessary action.

रेलवे लाइनों और हवाई अड्डा क्षेत्रों के साथ सा थ झोपड़ियों में रहने वालों का पुनर्वास

***609 श्री एस० एच० नायक :**

श्री विजय कुमार पाटिल :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई जैसे बड़े शहरों में रेलवे लाइनों के साथ साथ तथा हवाई अड्डों के स्वामित्व वाले क्षेत्र में हटमेंट्स में रह रहे लोगों को वहां से हटा कर अन्यत्र बसाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने भूमि पर आगे और जबरदस्ती कब्जा करना रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) लोगों ने कुल कितने क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : चूंकि हमें राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए सेंट्रल हाल में जाना था इसलिए हम संसदीय सूचना कार्यालय से वक्तव्य की प्रति नहीं ला सके इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह वक्तव्य पढ़ कर सुना दें।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य बहुत लम्बा है ।

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं अधिक लम्बा नहीं है। मैं इसे पढ़ देता हूं।

Shri Jagdambi Prasad Yadav: If the statement is of few lines it should always be read in the House and if it is very lengthy then only it should be placed on the table of the House.

श्री सिकन्दर बख्त : बड़े शहरों में रेलवे लाइनों के साथ-साथ तथा हवाई अड्डों के क्षेत्र के भीतर हटमैंट्स में रह रहे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, बृहत बम्बई के बारे में, महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की भूमि पर गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए ऐसा एक विचार प्रस्तुत किया है और उसके ब्यौरे पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

2. निजी भूमि वाले विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी जमीनें अनधिकृत कब्जे से मुक्त रहें। रेलवे प्रशासनों से यह अपेक्षा है कि वे समय समय पर अपनी भूमि की सीमाओं का सत्यापन करें तथा उस पर किसी अनधिकृत दखल का पता लगाए। रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटाने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का सहारा लिया जाता है ।

3. बम्बई में, रेल की पटरियों के साथ-साथ लगभग 14 एकड़ भूमि पर हटमैंन्ट्स में रहने वालों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है । बम्बई में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की लगभग 114 एकड़ भूमि पर हटमैन्ट्स में रहने वालों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है । अन्य बड़े शहरों से संबधित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Shri S. H. Naik: What is the total number of persons who have encroached the land ?

श्री सिकन्दर बख्त : रेलवे भूमि पर कुल 59,642 व्यक्तियों ने जबर्दस्ती कब्जा किया हुआ है।

श्री शंकर राव माने : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हटमैंन्टस के आन्तरिक विकास को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के पास महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त: महाराष्ट्र सरकार अपनी भूमि पर गन्दी बस्तियों में कुछ सुधार कर रही है। अतः केन्द्रीय सरकार की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर के वहां पर रहने वाले लोग भी इसके लिये मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार की अनधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि पर नागरिक सुविधाएं देने की अनुमति मांगी है । यह विचाराधीन है ।

श्री चित्त बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय रेल मंत्रालय को यह कहेगा कि अपनी आवश्यकता से अधिक रेल मंत्रालय द्वारा अर्जित की गई भूमि रिलीज़ की जानी चाहिये और

उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था करनी चाहिये जिन्होंने पहले ही रेल मंत्रालय द्वारा ली गई अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है । यदि वह लिखें तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री चित्त बसु : यह एक नीति का मामला है । कई स्थानों पर रेलवे ने अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि ली हुई है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनका मंत्रालय रेल मंत्रालय से यह मामला उठायेगा ताकि फालतू भूमि पुनर्वास मंत्रालय को उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये सौंपी जा सके, जिन्होंने उस फालतू भूमि पर पहले से कब्जा किया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जाये ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने कहा है कि यदि वह लिखें तो इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Persons dwelling in hutments along the railway lines live not only in Bombay but in Calcutta and Delhi also. This problem should be solved on humanitarian basis. Will the hon. Minister visit Bombay and make some programme for rehabilitation of these hutment dwellers ?

Shri Sikander Bakht: If need be, I will certainly visit Bombay.

Shri Kanwar Lal Gupta: It is very important question. Persons dwelling in hutments along the railway lines are often involved in accidents and many children are run over by trains. Whether Government will conduct survey in this regard and rehabilitate them by giving them property ?

Shri Sikander Bakht: This questions relates to Bombay. The Bombay Municipal Corporation simply removes the road dwellers and does not rehabilitate them. The Railways say that the persons dwelling along the railway lines should be removed and responsibility of their rehabilitation should not be thrust upon them.

श्री कंवर लाल गुप्ता : मेरा प्रश्न सर्वथा भिन्न है । मैंने यह पूछा था कि क्या वह रेलवे लाइनों पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के बारे में सर्वेक्षण करेंगे और क्या वह उनका पुनर्वास करेंगे । मैं केवल दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं ।

श्री सिकन्दर बख्त : वास्तव में यह प्रश्न रेल मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है ।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : क्या मंत्री महोदय को पता है कि रेल अधिनियम और लोक परिसरों की बेदखली अधिनियम में कुछ त्रुटियां है ? यदि हां, तो क्या वह इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे खेद है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें

*610. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सिंचाई सुविधायें कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या आदिवासी लोगों के लिए उप-योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के लिए सिचाई परियोजनाओं हेतु मंत्रालय ने कोई धनराशि नियत की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

"विवरण"

(क) जी, हां ।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण ये है :—

(1) पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव ;

(2) भूतल जल शक्यता का आंका न जाना ;

(3) ग्राम विदयुतीकरण सुविधाओं का अभाव ;

(4) पुराने सिंचाई टेंकों का नवीकरण न किया जाना ;

इसके अतिरिक्त सिंचाई के परम्परागत तरीकों को अपनाए रखना एवं आधुनिक तरीकों को अपनाने में संकोच ।

(ग) पांचवी योजना में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य नीति यह रही है कि इन क्षेत्रों का विशेष गहन विकास करने के लिए अधिक आबादी वाले आदिवासी क्षेत्र निर्धारित कर लिए जाएं । उप-योजना क्षेत्रों को पुनः समेकित आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाओं में बांटा जाता है जिसमें सिंचाई भी शामिल है । इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य योजनाओं में व्यवस्था तथा केन्द्रीय सहायता के जरिए की जाती है । पांचवी योजना के प्रथम तीन वर्षों में 65.00 करोड़ रुपये को केन्द्रीय सहायता दी गई थी तथा इस योजना के अन्तिम दो वर्षों में 125 करोड़ रुपये की ऐसी सहायता देने का विचार है ।

पांचवी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में भूतल जल सर्वेक्षण कार्य को हाथ में लेने के लिए भी 2.55 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

श्री गिरीधर गो मांग : मैं परियोजनाओं के सर्वेक्षण और उनकी जांच और केन्द्रीय और राज्यों द्वारा परियोजनाओं की समय पर स्वीकृति और आदिवासी क्षेत्रों को दिये गये अपर्याप्त नियतन के बारे में तथ्य जानना चाहता हूं । इस क्षेत्र में दी गई सिंचाई सुविधाएं अन्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओ के मुकाबले कम है । मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्रालय इन क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिये राशि नियत करेगा ताकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में सिचाई परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह जनसंख्या का एक बड़ा भारी भाग है । लगभग 3,80,00,000 लोगों की, जो देश की जनसंख्या का लगभग 7 प्रतिशत है, आदिवासियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और खेती योग्य क्षेत्र का केवल 1 प्रतिशत भाग इनके द्वारा सिंचित होता है जबकि राष्ट्रीय सिंचित क्षेत्र 28 प्रतिशत है । इन क्षेत्रों में अधिकाधिक काम करने के प्रयास किये जा रहे है और

2063 L.S.—2.

हमने क्रियान्वित करने के लिये योजना तथा उप-योजना बनाई है । इन क्षेत्रों के समग्र विकास का कार्य आरम्भ किया गया है । हम इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पास करने का प्रयास कर रहे है । वर्ष 1977–78 में शुरु की गई मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये हमने 31 करोड़ रुपये का व्यय किया है और लघु सिंचाई परियोजनाओ पर 29 करोड़ रुपयें व्यय किया है । इस तरह कुल राशि 60.43 करोड़ रुपये होती है ।

डा० हेनरी ऑस्टिन : क्या सरकार को मालूम है कि 4 करोड़ आदिवासी लोगों के लिय कुल 28% सिचाई सुविधाओं में से केवल 1 प्रतिशत सिंचाई सुविधा दी गई है ? क्या सरकार मालनाद विकास योजना के अन्तर्गत मालनद क्षेत्र में आदिवासी लोगों को सिंचाई सुविधाए प्रदान करने में कुछ रुचि दिखा रही है ? मालनाद विकास योजना में पश्चिमी घाट से लगने वाले राज्य आते है । यह केंन्द्रीय सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है । महाराष्ट्र केरल, कर्नाटक, और तमिलनाडू राज्य इससे सम्बन्धित है । क्या इस योजना के अधीन सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई है ? मंत्री ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के अधीन यह करने का विचार किया जा रहा है । क्या वह हमें इस सम्बन्ध में और कुछ बतायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे पास राज्यवार योजना परिव्यय और वर्ष 1977–78 के लिये राज्यवार आंकड़े है । महाराष्ट्र : कुल परिव्यय 5 करोड़ रुपये ; केरल : 3 करोड़ रुपये और कर्नाटक : 4 करोड़ रुपये । मेरे पास सभी तथ्य है ।

Shri R. P. L. Verma: What is the area under Adivasi population in Bihar and what are the irrigation facilities provided for them ? If no facilities have been provided and no survey has been conducted so far, will these facilities be provided now ?

Shri Surjit Singh Barnala: I am unable to mention the area. But expenditure being incurred on this in Bihar is the highest. An amount of Rs. 9·65 crore is being spent on major and medium irrigation projects and on minor irrigation projects this amount is Rs. 8·61 crores. The total amount is Rs. 18·26 crore.

डा० सरोजनी महिषी : सिचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिये नियत की गई धनराशि में से कितना रुपया आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग किया गया है ? वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

श्री सुजीत सिंह बरनाला : पांचवी योजना में पहले 3 वर्षों में 65 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था । हमें उपयोग की गई राशि का मूल्यांकन करना है । योजना के शेष 2 वर्षों के लिये 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है ।

Committee on experimental intensive rural employment project

*612. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Review Committee on the Experimental Intensive Rural Employment Project constituted under the Chairmanship of Prof. M. L. Dantwala had entrusted study work to the various research and educational institutions in regard to examining the impact of the Experimental Intensive Rural Employment Project and to suggest suitable models for the palm employment in the various social and economic areas of the country;

(b) whether the review Committee has finalised its report and submitted to the Government; and

(c) if so, the difficulties in implementing it and the time by which it would be implemented ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । तथापि, योजना का सही नाम "प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना" था ।

(ख) प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और आशा है कि यह सरकार को शीघ्र प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yuvraj : I would like to know from the hon. Minister when the report of the Review Committee on the Experimental Intensive Rural Employment Project constituted under the chairmanship of Prof. M. L. Dantwala in regard to examining impact of the Experimental Intensive Rural Employment Project had to suggest suitable models for the palm employment in the various social and economic areas of the country is likely to be received ?

Shri Surjit Singh Barnala : It is expected to be received by the end of this month.

Shri Yuvraj : When this Review Committee was entrusted with this job ?

Shri Surjit Singh Barnala : On 10th October, 1974.

Shri Yuvraj : The total expenditure incurred on this report and the time taken by this Review Committee ?

Shri Surjit Singh Barnala : It will be known on receipt of the report. I have not got full details with me.

Shri Ishwar Chaudhuri : A Commission on backward classes was set up in Bihar and its report has already been submitted. It has been clearly stated in that report that the persons connected with palm are suffering heavy loss. We can save two thousand tonnes of foodgrains in this way in the country. Will the hon. Minister study this report so that there is saving in grains and the poor can get protection ?

Shri Surjit Singh Barnala : I will call for that report and will study it. But this does not arise out of this question.

फसल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन

614. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चावल तथा धान और अन्य फसलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा विभिन्न राज्यों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या ऐसे राज्यों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी प्रौद्योगिकीय आविष्कार का प्रयोग किया जाता है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 819—77]** ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : मैंने सभा पटल पर रखा विवरण पढ़ा है । चावल और गेहूं की उपज प्रति एकड़ बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों के बावजूद पूर्वी भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रति एकड़ उपज कम हुई है । वर्ष 1975–76 अपवाद है क्योंकि उस वर्ष मौसम बहुत अनुकूल रहा । चूंकि चावल एक महत्वपूर्ण फसल है इसलिए पूर्वी भारत में चावल की उपज बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है ? तमिलनाडु आदि दक्षिणी क्षेत्र में चावल की उपज प्रति एकड़ बढ़ाने के प्रयास के बाद भी फसल कम हो रही है ? इस बारे में क्या कोई मास्टर योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : प्रश्न काल समाप्त हो जाने पर आप कृपया यह देखिये कि पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो उत्तर दे सकते हैं । लेकिन मैं कोई अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दूंगा ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा ।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

Written Answer to Question

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्ध

***611. श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अनेक उपबन्धों ने देश के विभिन्न भागों में दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों की आवास गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक तथा शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिससे वैध और वांछनीय आवास विकास में कोई बाधा पहुंचे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) इस अधिनियम के तत्काल लागू होने के पश्चात इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में गलतफहमी और अनिश्चितता थी तथा इसके परिणामस्वरूप भवन-निर्माण की गतिविधि में धीमापन रहा । मामले की जांच पड़ताल की गई और इस अधिनियम के सुचारु रूप से कार्यान्वयन

के लिए उचित मार्ग निर्देशन जारी किए गए। इसी के साथ-साथ, अधिकतम सीमा के भीतर तथा ऐसे मामलों में भी जहां अधिकतम सीमा से अधिक फालतू खाली भूमि है, उस पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजनाओं के लिए मार्गनिर्देशन जारी किए गए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण भवन-निर्माण गतिविधि में किसी किस्म की बाधा उत्पन्न न हो। भवन-निर्माण को प्रोत्साहन देने के बारे में प्रशासनिक उपायों के जरिये राहत पहुंचाने के प्रश्न पर इस मन्त्रालय में अध्ययन किया जा रहा है।

उठाऊ सिंचाई कार्यक्रम के लिये निगम की स्थापना

613. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में व्यापक उठाई सिंचाई कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए निगम स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये राज्यों को अनुदान देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अनेक राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं व सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण करने के लिए निगमों का गठन कर लिया है ;

(ख) इन निगमों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य निगमों को केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों अर्थात लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध किया जा रहा है। यह अनुदान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के छोटे किसानों के लाभ के लिए उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं व सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण करने के लिए दिया जा रहा है।

(ग) लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत उड़ीसा उठाऊ सिंचाई निगम को वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान क्रमशः 22.25 लाख रुपये तथा 43.47 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई थी। निगम को वर्ष 1974–75 के दौरान समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 18.36 लाख रु० की सहायता उपलब्ध की गई थी।

सोयाबीन की खेती

615. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर सोयाबीन की खेती विकसित करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या योजना से कोई प्रगति नहीं हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इससे सोयाबीन के आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Preservation of unpublished extracts from 'India wins freedom' in National archives

†*616. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether some extracts from the late Maulana Abul Kalam Azad's book 'India Wins Freedom' have been preserved in the National Archives;

(b) whether these extracts are being kept unpublished as per the will of late Maulana Azad; and,

(c) if so, whether the period specified by him for making these extracts public has expired ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c). A sealed cover purporting to contain the complete text of the second Volume of Maulana Azad's autobiography (1937—48) is in the custody of the National Archives. A duplicate of the text is in the custody of the National Library, Calcutta. According tot he wish of the Maulana, the seal would be opened only after 30 years of his death, i.e. on 22nd February 1988.

दालों के मूल्यों में वृद्धि

*617. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दालों के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ; और

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). दालों के मूल्यों में मौजूदा वृद्धि मुख्यतया पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में गिरावट आने के कारण हुई है।

भण्डारों में पड़े खाद्यान्न का निपटान

*618. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के भण्डारों में पड़े 2 करोड़ 20 लाख टन खाद्यान्न का निपटान करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ख) क्या इसके कुछ भाग का निर्यात करने का विचार है ताकि खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने अथवा इसमें लगे हुए अधिक धन के अटके पड़े रहने की कोई सम्भावना न रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). सरकारी एजेंसियों के पास जून, 1977 के अन्त में खाद्यान्नों का कुल स्टाक अनुमानतः 207 लाख मीटरी टन था। खाद्यान्नों की निकासी बढ़ाने के लिए खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ाया जा रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सशक्त किया जा रहा है। गेहूं के पदार्थों के निर्यात के प्रश्न की जांच की जा रही है। इसके अलावा, सरकार रूस से उधार पर लिए गए गेहूं को गेहूं के रूप में लौटाने पर विचार कर रही है। भारत खाद्य निगम द्वारा स्टाक का परिरक्षण करने के लिए काफी उपाय किए जा रहे हैं ताकि खाद्यान्नों की क्षति को यथासम्भव न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

रुग्ण और निर्धन लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को सहायता

***619. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण और निर्धन लेखकों, विद्वानों तथा कलाकारों को सहायता देने के लिये कोई धन निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सहायता के योग्य व्यक्तियों का चयन करने तथा अनुदान अथवा वज़ीफों के वितरण के लिये कार्यवाही करने हेतु क्या व्यवस्था बनाई गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को आजीवन पेंशन देने का है जो अपना जीवनयापन करने योग्य नहीं रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 'साहित्य', कला और जीवन के इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, और उनके आश्रितों के लिए जो विपन्नावस्था में हों, वित्तीय सहायता की एक योजना है। जिनकी मासिक आय 400 रुपये से अधिक नहीं है और जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक है, वे ही इस सहायता के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत अधिकतम देय भत्ता 200 रुपये प्रति मास है। योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए मामलों की सिफारिश करने हेतु, इस योजना को राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों को भेजा जाता है। योजना में सहायता के लिए ऐसे मामलों का चयन प्रत्येक राज्य में एक समिति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय क्रमशः 2 : 1 के अनुपात में वहन किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विशेष मामलों में कलाकारों को शतप्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है।

Due Place to Sanskrit in New Education System

†*620. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Sanskrit literature is base of Indian Philosophy and culture;

(b) whether Government are also aware that teaching of Sanskrit has not been given place in the 10+2+3 system of education which it enjoyed in the previous system of education; and

(c) if so, whether Government propose to give due place to the teaching of Sanskrit in the present system of education ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir. Indian Philosophy and Culture are inseparably linked with Sanskrit literature.

(b) and (c). Sanskrit is generally taught in many States and Union Territories either as a second language or as a third language. In some States it is an optional language and in some others it is taught as a part of a composite course alongwith the mother tongue. However, the Scheme of Studies under the 10+2+3 pattern is now under active review. Therefore, at present it cannot be said, as to what place Sanskrit will occupy, when the scheme is revised. However, in the scheme of studies from Classes IX to XII under the 10+2 pattern drawn up by the Central Board of Secondary Education, Sanskrit has been included as one of the language to be taught.

एक ही खाद्य जोन बनाने का प्रस्ताव

*622. **श्री के० बी० चेतरी : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में एक ही खाद्य जोन बनाने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सारे देश को गेहूं, मोटे अनाज और दालों के लाने-ले-जाने के प्रयोजन के लिए इस समय एक ही जोन समझा जाता है। तथापि, धान और चावल के बारे में एक राज्यीय तथा कम्पोजिट जोन है। धान/चावल के संचलन से मौजूदा प्रतिबन्धों को फिलहाल समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनर्विलोकन

*623. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना को और अधिक गहन और व्यापक बनाने हेतु इसका पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना में सुधार हेतु क्या ठोस मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). राष्ट्रीय सेवा योजना का लेफ्टीनेंट जनरल के०पी० केन्डेथ (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया था। योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कार्यक्रम का उन शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाना जरूरी है जो इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए पात्र हैं। अब, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण पुनर्गठन के लिए व्यापक क्षेत्रों के कार्यक्रमों को शामिल करना है जिनमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों पर बल दिया गया हो। राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यकलापों में अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता, वातावरण का सुधार, आर्थिक विकास तथा परिवार और शिशु देख-रेख शामिल है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंच

वर्षीय योजना के अन्त तक उसमें 4 लाख छात्रों घो शामिल करने, जमा 2 स्तर वाली संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम का विस्तार करने तथा इस कार्यक्रम में स्त्रियों से प्राप्त होने वाले सहयोग में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। अध्यापकों तथा छात्रों के बेहतर अनुस्थापन और प्रशिक्षण तथा और अधिक सावधानी पूर्वक प्रचार कार्य के जरिए कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Research on Chirayta by Indian Council of Agricultural Research

***624. Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Reaearch is conducting any research on Chirayta (Chiraita) ; and

(b) if so, the nature of research being conducted ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) No Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र में कालोनाइजरों द्वारा प्लाटों की बिक्री

4582. **श्री दुर्गा चंद :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के पटपड़गंज में पूरन सेल्स कारपोरेशन तथा इस क्षेत्र के अन्य कालोनाइजरों, ने इस क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों की बिक्री के लिए वर्ष 1974-75 में बयाने के रूप में काफी धनराशि एकत्र की है लेकिन उन्होंने न तो खरीददारों को भूमि दी है और न ही इन प्लाटों के अन्तरण के लिये रजिस्ट्रेशन कराये हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी धोकेबाज तथा अनधिकृत भूमि विक्रेताओं तथा कालोनाइजरों के विरुद्ध जिन्होंने सैकड़ों गरीब व्यक्तियों को ठगा है और धोखा दिया है, कोई जांच कराने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पूरन सेल्स कारपोरेशन के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। किन्तु पटपड़ गंज और खिचड़ीपुर क्षेत्रों के कुछ जमींदारों द्वारा भूमि बेचने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस ने मामले दर्ज कर दिए हैं जिस पर वे आजकल जांच कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स रत्नागिरि जिला सहकारी बिक्री संघ लिमिटेड रत्नागिरि को उर्वरकों की बिक्री

4583. **श्री बाबू साहिब पल्लेकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के (बम्बई कार्यालय) वैस्ट जोनल कार्यालय ने 31 मई, 1975 से 24 फरवरी, 1976 की अवधि के दौरान मैसर्स रत्नागिरि जिला सहकारी बिक्री संघ लिमिटेड, राजस्थान को 8 लाख 36 हजार रुपये के उर्वरक बेचे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उर्वरक मैसर्स रत्नागिरि जिला सहकारी बिक्री संघ के कार्यालय में नहीं पहुंचे और यह उर्वरक अनधिकृत रूप से काला बाजार में बेज दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिचाई का पता लगाने और दोषी व्यक्तियों, यदि कोई हों, तो सजा दिलाने, के लिए इस मामले की जांच कराने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। भारतीय खाद्य निगम, बम्बई ने मई, 1975 से फरवरी, 1976 तक की अवधि के दौरान मैसर्स रत्नागिरि जिला सहकारी बिक्री संघ लिमिटेड को 8,36,000 रुपये का 966 मीटरी टन घटिया किस्म का उर्वरक बेचा था।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार रत्नागिरि जिला परिषद ने इस मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने संघ को यह अनुमति दी कि वे मैसर्स चेतन उर्वरक, 94, सूरत स्ट्रीट, बम्बई द्वारा मिश्रण बनाने के लिए उपर्युक्त घटिया किस्म के उवरक का उपयोग कर सकते हैं। ये मिश्रण महाराष्ट्र राज्य में बेचे गये थे, न कि रत्नागिरि जिले में। संघ ने इस व्यापार में प्रति मीटरी टन 20 रुपये का कमीशन प्राप्त किया।

(ग) इस संघ की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्ट होने पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई सप्लाई का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस मामले की जांच की जा रही है। राज्य सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात में चीनी उद्योगों के लिये लाइसेंस

4584. **श्री एहसान जाफरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात में चीनी उद्योगों को शुरू करने के लिये सहकारी समितियों को छः लाइसेंस दिये गये हैं; और यदि हां, तो ये लाइसेंस कब दिये गये और इन उद्योगों की क्या प्रगति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)) : जी हां।

एक विवरण संलग्न है जिसमें लाइसेंसों की तारीखों और प्रगति सम्बन्धी ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य में सहकारी समितियों को जारी किये गये उन लाइसेंसों जिनकी अभी कार्यान्विति होनी है को बताने वाला विवरण

क्रम स०	फैक्टरी का नाम	लाइसेंस की तारीख	संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने की तारीख	लाइसेंस के बारे में हुई प्रगति
1.	श्री वलीद सहकारी खांड उद्योग मडली लि०, बुलसर जिला बुलसर	5–1–1977	7–7–1976	संयंत्र और मशीनरी के लिए त्रिवेणी इजीनियरिंग वर्क्स (उ० प्र०) के पास आर्डर दिये गये हैं। आशा है कि यह

1	2	3	4	5
				फैक्टरी 1977-78 मौस के दौरान पिराई कार्य शुरू करेगी।
2.	श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सयान, जिला सूरत	29-12-76	3-1-76	संयंत्र और मशीनरी के लिए इडियन शुगर एवं वर्क्स यमुनानगर (हरियाणा) के पास आर्डर दिये गये हैं। आशा है कि यह फैक्टरी 1977-78 मौसम के दौरान पिराई कार्य शुरू कर देगी।
3.	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योम मंडली लि०, तलाला, जिला जूनागढ़	4-11-70	4-2-76	संयत्रं और मशीनरी के लिए मै० इजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ०) लि० के पास आर्डर दिये गये हैं। आशा है कि यह फैक्टरी 1977-78 के दौरान पिराई कार्य शुरू कर देगी।
4.	श्री सिद्धेश्वर खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, तलाजा, जिला भावनगर	19-5-76	—	संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर नहीं दिये गये हैं।
5.	श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, जरवावरा, जिला सूरत	3-8-74	—	संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर नहीं दिये गये।
6.	श्री लक्ष्मी कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, दसकरोई, जिला अहमदाबाद।	31-10-74	—	संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर नहीं दिये गये।

चीनी का उत्पादन

4585. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान (प्रत्याशित) विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है;

(ख) चीनी का मीट्रिक टन उत्पादन कितना है और देश के प्रथम छः प्रमुख राज्यों में कुल उत्पाद का यह कितना प्रतिशत है;

(ग) उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या; और

(घ) वर्ष 1975–76 के दौरान कम उत्पादन के क्या कारण हैं और पूर्ववर्ती वर्षों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को पुन: लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वित्तीय वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान चीनी के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की स्थिति नीचे दी गई है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1974–75 . .	6.24	314.34
1975–76 . .	11.88	468.48
1976–77 . .	5.79	150.65

(ख) 1974–75 और 1975–76 के चीनी वर्षों में (अक्तूबर–सितम्बर) प्रथम छ: प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार थे। तथापि, चीनी वर्ष 1976–77 में बिहार राज्य का स्थान गुजरात राज्य ने ले लिया है। 1974–75, 1975–76 और 1976–77 (7–7–1977 तक) के दौरान इन राज्यों में चीनी के उत्पादन और देश में चीनी के कुल उत्पादन के सदर्भ में उसकी प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :—

	1974–75		1975–76		1976–77 (7–7–77 तक)	
राज्य	चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन)	कुल उत्पादन की प्रतिशतता	चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन)	कुल उत्पादन की प्रतिशतता	चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन)	कुल उत्पादन की प्रतिशतता
1. महाराष्ट्र	15.15	31.6	16.06	37.7	15.59	32.7
2. उत्तर प्रदेश	14.31	29.8	11.66	27.3	14.76	31.0
3. आन्ध्र प्रदेश	3.97	8.3	3.26	7.6	2.82	5.9
4. कर्नाटक	3.38	7.0	3.62	8.5	3.62	7.6
5. तमिलनाडु	3.85	8.0	1.80	4.2	3.07	6.4
6. बिहार	2.12	4.4	1.77	4.2	1.98	4.2
7. गुजरात	1.61	3.4	1.15	2.7	2.29	4.8
अखिल भारत	47.97		42.64		47.65	

(ग) और (घ). चीनी उद्योग कृषि पर आधारित एक उद्योग है। चीनी उद्योग में उत्पादकता प्रति यूनिट क्षेत्र में गन्ने की पैदावार, गन्ने में चीनी के तत्व और गन्ने से चीनी निकालने की तकनीकी दक्षता से जुड़ी हुई है। 1975-76 मौसम के दौरान गन्ने की उपलब्धता में कमी और ऊपर उल्लिखित अन्य कारणों के फलस्वरूप चीनी का कम उत्पादन हुआ था।

केन्द्रीय सरकार ने 8 करोड़ रुपये के योजना परिषद से केन्द्र द्वारा समर्थित एक योजना शुरू की है जिसके अधीन उत्पादकों को रोग मुक्त गन्ने के बीज सप्लाई करने, गन्ने के पौधे और पेड़ी फसलों का प्रदर्शन करने, और गन्नाविकास कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, पौध संरक्षण उपायों के लिए उपकरणों की लागत को पूरा करने और फैक्ट्री क्षेत्रों में सड़कों आदि का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। आशा है कि इन सभी प्रयासों से और सम्बन्धित चीनी फैक्ट्रियों के निकट सहयोग से पांचवीं योजनावधि के अन्त तक गन्ने की पैदावार में प्रति हैक्टर लगभग 53 मीटरी टन की वृद्धि हो जायेगी। आशा है कि इसी प्रकार, गन्ने की नई किस्मों और उत्पादन संबंधी पद्धतियों आदि के अद्यतन तरीकों को अपना कर गन्ने की किस्म में भी विकास होगा।

खेतों में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि होने से, अगला कदम चीनी फक्ट्रियों की तकनीकी और कार्यचालन संबंधी कार्यकुशलता में वृद्धि कर उपलब्ध कच्चे माल से यथासम्भव अधिकतम चीनी निकालना होगा।

सरकार ने जिन चीनी फैक्ट्रियों के पुराने संयंत्र और मशीनरी हैं और जिनकी दैनिक गन्ना पिराई क्षमता अलाभकारी है, उनको ऋण देने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रशासित एक लचीला ऋण योजना शुरू की है ताकि वे एक ही समय पर आधुनिकीकरण, पुनर्वासन और विस्तार संबंधी कार्य शुरू कर सकें जिससे वे रुग्णता से बच सकें और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर सकें।

सरकार ने नयी चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करने और अंशतः उत्पादन शुल्क में रियायत देने और अंशतः लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता पर आधारित विस्तार योजनाएं मंजूर की हैं ताकि इन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

आशा है कि इन पगों के उठाने से चीनी का अधिक उत्पादन होगा और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाये रखा जायेगा।

जहां तक निर्यातों का संबंध है, वर्तमान चीनी वर्ष, 1976-77 (अक्तूबर-सितम्बर) के उत्पादन में से, जून, 1977 तक 2.87 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया है। घरेलू मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने, निर्यात के लिए उपलब्ध अधिशेष और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर जैसे निर्यात करने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सरकार द्वारा निर्यात की मात्रा के बारे में निर्णय करते समय समीक्षा की जाती है।

राज्यों में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की सम्भाव्यता

4586. **श्री डी० अमात :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की सम्भाव्यता स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कितनी योजनायें स्वीकार की गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत मध्यम सिंचाई स्कीमों की जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उन स्कीमों की तकनीकी व्यावहारिकता और आर्थिक सक्षमता तथा अन्तर्राज्यीय पहलुओं की दृष्टि से की जाती है और तब ये स्कीमें योजना आयोग द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में स्थापित सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। यह समिति इन स्कीमों पर उनके गुणदोषों के आधार पर विचार करती है और राज्यों की योजनाओं में शामिल किये जाने के लिए योजना आयोग द्वारा अन्तिम स्वीकृति दिये जाने के बारे में सिफारिशें करती है।

(ख) योजना आयोग द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक उड़ीसा की बारह मध्यम सिंचाई स्कीमों को राज्य की योजना में शामिल किये जाने के लिए मंजूरी दी गई है।

Basic Needs of Students

4587. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether Government have conducted or propose to conduct any survey in regard to the basic main needs of the students in the current year ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. .

Rural Housing Scheme in Bihar

4588. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to introduce a scheme to provide housing facility to the villagers whose villages have been affected by Ganga-erosion ; and

(b) if so, whether Government propose to introduce a rural housing scheme in hill areas in Khagaria sub-division, in Bihapur region in Katihar district and the number of houses proposed to be constructed in the said areas under this scheme ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No, Sir. This concerns the State Government.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

4589. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा बिहार राज्य में इस वर्ष कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) शैक्षिक वर्ष 1976–77 के अन्त तक पूरे देश में 222 केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे थे जिनमें से 15 बिहार में स्थित हैं। चालू वर्ष के दौरान 19 केन्द्रीय विद्यालय खोले जा चुके हैं जिनमें से चार बिहार में। इन स्थानों में हैं :—(1) रांची (हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन), (2) बोकारो (बोकारो स्टील लिमिटेड), (3) बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप तथा (4) अमझोर (पिराईट्स फोसफेट्स एण्ड कैमिकल लिमिटेड)।

शान्तिनिकेतन, नई दिल्ली में स्कूल की इमारत के लिये आरक्षित प्लाट का दुरुपयोग

4590. **श्री शिव नारायण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की शान्ति निकेतन कालोनी में स्कूल की इमारत के लिए आरक्षित प्लाट के दुरुपयोग के बारे में 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाकथित बाढ़ लगाने के बावजूद विचाराधीन स्थल के आवंटन में अब तक कितनी प्रगति हुई है जो "सार्वजनिक सुविधा" के रूप में सभी के लिये अभी तक खुले रूप से प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसके नजदीक के निवासियों को दूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरा बना हुआ है;

(ख) गत 7–8 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान किसी संस्था को आबंटन करना सम्भव नहीं होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष अतिरिक्त प्लाट काटने अथवा जब तक इसका आबंटन नहीं हो जाता, उसे पार्क के रूप में बदलने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) क्या इस भूमि के उपयोग के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) किसी प्राइमरी स्कूल को स्थल के आवंटन के बारे में कोई प्रगति संभव नहीं हो सकी है, क्योंकि न तो नगर निगम और न ही किसी अन्य संगठन ने स्थल के आवंटन के लिए अभी तक कोई आवेदन दिया है।

(ख) चूंकि इस क्षेत्र के भूमि-उपयोग में स्कूल को भूमि आवंटन करने का प्रावधान है, अत: इसमें न तो रिहायशी प्लाट काटे जा सकते हैं और न ही इस क्षेत्र को पार्क के लिए बदला जा सकता है।

(ग) भूमि के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

वन्य प्राणियों का चोरी-छिपे मारा जाना

4591. **श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वन्य प्राणियों को चोरी-छिपे मारे जाने के लिये कितने मामले रिपोर्ट किए गए और उनके वन्यप्राणी बिहार सहित राज्यवार आकड़े क्या है ; और

(ख) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या सरकार को पता है कि विदेशी समाचार-पत्र वन्य प्राणियों के इस प्रकार लुप्त हो जाने से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Grants to Universities in M. P.

4592. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to State :

(a) the amount of grants provided to each University in Madhya Pradesh by the UGC during 1975-76 and 1976-77 ; and

(b) the reasons for adopting a discriminatory attitude in the allocation of grants ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b). According to the information furnished by the University Grants Commission, the grants provided to Universities in Madhya Pradesh in 1975-76 and 1976-77 are as follows:—

S. No.	Name of University	Amount during 1975-76	Amount during 1976-77 (Provisional)
		Rs.	Rs.
1	A. P. Singh	1,58,080.00	8,74,250.00
2	Bhopal	3,96,191.50	16,49,472.18
3	Indore	10,17,526.10	21,90,257.33
4	Jabalpur	4,96,497.91	16,01,255.60
5	Jiwaji	8,01,584.86	13,04,032.92
6	J. L. N. Krishi	..	3,000.00
7	Ravi Shankar	7,29,576.00	15,53,857.83
8	Saugar	14,01,094.81	23,85.836.34
9	Vikram	9,37,366.99	18,19,075.10
10	Indira Kala Sangeet	2,13,278.00	3,85,262.00

The quantum of grants to the Universities is determined on the basis of the development proposals submitted by them, which are examined by Visiting Committees who assess the requirements. No discrimination is shown in determining the grants.

उड़ीसा के कलाहांडी जिले में चावल की मिलों का बन्द होना

4593. **श्री पी०के० देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अनेक चावल मिलें भारतीय खाद्य निगम और उड़ीसा सरकार के आपूर्ति विभाग को देय राशि के भुगतान में भारी मात्रा में धोखाधड़ी होने के कारण बंद हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन चावल मिलों और उनके मालिकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पर कितना देय राशि बकाया है ;

(ग) इन देय राशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या इन देय राशियों को बट्टे खाते में डालने का विचार किया गया है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उड़ीसा सरकार और भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना से प्रकट होता है कि कालाहांडी जिले के कुछ क्रय-एवं-मिल मालिक-एवं भंडारण एजेंटों को राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम दोनों को बकाया राशि का भुगतान न करने की चूक के कारण सरकार/भारतीय खाद्य निगम क एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) ऐसी पार्टियों की एक सूची संलग्न है जिसमें उनके यहां जो बकाया राशि है उसका ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) मालूम हुआ है कि राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए आवश्यक कानूनी पग उठाए हैं ।

(घ) इस समय बकाया राशि को बट्टे खात में डालने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजोरम में स्कूल के अध्यापकों के वेतन मान

4594. **डा० आर० रोथुअम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि मिजोरम में सरकारी हाई स्कूलों तथा एल० पी० स्कूलों के अध्यापकों को केन्द्र का नवीनतम पुनरीक्षित वेतनमान मिलता है, मिजोरम में गवर्नमेंट मिडिल इंगलिश स्कूलों के अध्यापकों को उक्त वेतनमान नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिडिल इंगलिश स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मान के सम्बन्ध में इन असंगतियों को तत्काल दूर किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). मिजोरम संघ शासित क्षेत्र से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का मानदंड

4595. **श्री प्रद्युम्न बाल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आपातस्थिति के दौरान मनमाने ढंग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए थे; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को धनराशि किस मानदंड के आधार पर दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने आपात काल के दौरान विश्वविद्यालयों को मनमाने ढंग से कोई अनुदान नहीं दिये थे ।

(ख) आयोग योजनावधि के लिए विकास हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करता है । दिये जाने वाले अनुदानों की मात्रा निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों की अलग अलग निरीक्षण समितियों द्वारा जांच की जाती है, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है । ऐसी निरीक्षण समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग उनके द्वारा अनुमोदित विकास कार्यक्रमों को बताता है, जिसमें आयोग से उपलब्ध होने वाली सहायता का भी उल्लेख होता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सहायता की पद्धति अलग अलग होती है । आयोग विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा बताए गए खर्चे की प्रगति के आधार पर अनुदान प्रदान करता है । ऐसी अनुसंधान संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, आयोग से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है ।

अधिक सिंचाई परियोजनाओं के लिये दक्षिणी राज्यों से प्रस्ताव

4596. **कुमारी अनन्तन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं ; और

(ख) उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दक्षिणी राज्यों से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त उन नई परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है जो जांच के लिए आयोग में लम्बित पड़ी है :—

राज्य	वृहत्	मध्यम	कुल
1. आंध्र प्रदेश .	6	12	18
2. कर्नाटक . . .	14	28	42
3. केरल . . .	7	7	14
4. तमिलनाडु . . .	1	9	10

(ख) इन लम्बित परियोजनाओं की जांच की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों अथवा संशोधित रिपोर्टों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है		केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है		अन्तर्राज्यीय पहलुओं के होने के कारण लम्बित		कुल
		बृहत्	मध्यम	बृहत्	मध्यम	बृहत्	मध्यम	कुल
1	आंध्र प्रदेश .	5	9	1	3	—	—	18
2.	कर्नाटक .	9	16	2	5	3	7	42
3.	केरल .	6	6	1	1	—	—	14
4.	तमिलनाडु .	1	9	—	—	—	—	10

Admission of Talented Rural Students in Public Schools

†4597. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 1094 on the 20th June, 1977 regarding heavy tuition fee in good schools and state :

(a) the number of rural students given admission on merit bais in Public Schools in Uttar Pradesh, Delhi, Punjab and Haryana during 1975-76 and 1976-77, separately and the amount of scholarships granted to the students belonging to lower income group of the general public on the basis of the decision taken in the third session by the Conference of Indian Public Schools held in 1969 ; and

(b) whether Government propose to take steps to ensure free admissionin in Public Schools of talented students belonging to low income group ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The information is being collected from the Indian Public Schools Conference.

(b) The Government of India administers a scheme of scholarships in approved residential schools, including public schools which are members of the Indian Public Schools conference. Under this scheme 500 scholarships are awarded every year to the children in the age group of 11-12 years whose parental income does not exceed Rs. 500/- p. m. Further 15% and 5 % of the scholarships are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively. The selected scholars are entitled to full amount of school fees including cost of books and stationery, residential and such other nonrefundable compulsory charges. Besides, they are given pocket allowance, clothing/uniform allowance as well as cost of travelling for to and fro journeys.

All the scholars selected by the Government of India under the scheme have been admitted to one or the other approved residential school, including public schools.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मकान

4598. **श्री रशीद मसद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के अध्यापन कर्मचारियों अर्थात् प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चरारों तथा मेडीकल कालेज के रजिस्ट्रारों के लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास कुल कितने मकान हैं;

(ख) विश्वविद्यालय में उपर्युक्त विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने अध्यापक हैं ; और

(ग) क्या मकानों की संख्या से अध्यापकों की संख्या अधिक है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके लिये अलीगढ़ में अधिक आवास प्रदान करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्यविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 684 मकानों में से जो कि उसके स्वामित्व में हैं, 254 मकान प्रोफेसरों, रीडरों लेक्चररों तथा रजिस्ट्रारों के लिए हैं। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में मंजूर पदों की कुल संख्या 968 है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर 12 लेक्चररों के मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, आयोग ने प्रोफेसरों तथा रीडरों के 28 तथा लेक्चरारों के 3 मकानों के लिए धन उपलब्ध करना स्वीकार किया है । आयोग ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 25.09 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालय के ऐसे स्टाक के मकानों के लिए आवंटित की है जिनकी कम्पस में उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है ।

कापीराइट अधिनियम का संशोधन

4599. **श्री किशोर लाल** : क्या **शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापीराइट अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों से परामर्श कर लिया गया है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां। भारतीय लेखक संघ संघ से परामर्श कर लिया गया है। यह संस्था सारे भारत के लेखकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है ।

(ग) प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं ये होंगी :—

(i) लेखकों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना ।

(ii) विद्यमान अधिनियम के संचालन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझी गई कुछ तब्दीलियां करना ।

(iii) जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधित कापीराइट से संबंधित दो अंतर्राष्ट्रीय कंवेशनों में विकासशील देशों को दी गयी रियायतों का लाभ उठाना ।

भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बेघरबार परिवार

4600. **श्री धन्ना सिंह गुलशन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी में से बेघरबार परिवारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का ऐसे बेघरबार परिवारों को मकान देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा किए गये अनुमान के अनुसार, पांचवीं योजना के आरम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को देश में 156 लाख आवास एककों की कमी थी—118 लाख एकक ग्रामीण तथा 38 लाख एकक नगरीय क्षेत्रों में। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बेघर परिवारों के बारे में कोई अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम पर समाज के पिछड़े वर्ग की परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में मुख्य बल दिया है। यह तभी हो सकेगा जब कि विभिन्न निर्माण अभिकरणों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न आवास कार्यक्रमों व योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाए जाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पर वास स्थल की व्यवस्था की जाए। आवास स्थलों के आवंटन के लिये लगभग 112 लाख पात्र परिवारों में से, 31 मार्च, 1977 तक 71.6 लाख परिवारों को आवास स्थलों का आवंटन किया जा चुका था। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों को आवंटित आवास स्थलों की संख्या के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन परिवारों की संख्या जिन्हें आवास स्थल आबंटित किए गए हैं।
1	आंध्र प्रदेश	एन०आर०एन०आर०
2	असम	7,834
3	बिहार	एन०आर०एन०आर०
4	गुजरात	1,51,921
5	हरियाणा	1,36,130

1	2	3
6	हिमाचल प्रदेश	2,556
7	जम्मू तथा कश्मीर	एन०आर०
8	कर्नाटक	2,59,727
9	केरल	28,760
10	मध्य प्रदेश	4,54,862
11	महाराष्ट्र	1,63,800
12	उड़ीसा	31,278
13	पंजाब	+
14	राजस्थान	6,11,820
15	तमिलनाडु	एन०आर०
16	त्रिपुरा	एन०आर०
17	उत्तर प्रदेश	9,93,816
18	पश्चिम बंगाल	1,77,787
संघ राज्य क्षेत्र		
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं
2	चण्डीगढ़	13
3	दादरा तथा नगर हवेली	715
4	दिल्ली	5,934
5	गोआ, दमण तथा दीव	318
6	पांडेचेरी	1,138

एन० आर०—राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

+राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास स्थल आवंटन करने के आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते हैं क्योंकि आवास स्थलों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा अन्य के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जाता । तथापि राज्य सरकार का अनुमान है कि लगभग 75 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं जिन्हें आवास स्थलों का आवंटन किया गया है । इस आधार पर पंजाब में उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या जिन्हें आवास स्थल आवंटित किये गये हैं लगभग 2.25 लाख बैठती है ।

Medium of Instruction for Mathematics and Science in Central Schools

†4601. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the medium of instruction for Mathematics and Science subjects in the Central Schools is essentially English ;

(b) whether Social Studies are taught both through Hindi and English mediums ; and

(c) if so, the reasons why similar arrangement has not been made for teaching Mathematics and Science subjects so as to enable students to opt for the medium of their choice ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The medium of instruction for Mathematics and Science subjects is English.

(b) Social Studies are taught only through the medium of Hindi.

(c) In view of the position indicated above, this question does not arise.

समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश का हिन्दी अनुवाद

4602. **श्री मदन लाल शुक्ल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश (मैकग्रोहिल कं०) के हिन्दी अनुवाद सम्बन्धी कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो किसके सुझाव पर काम बन्द किया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त कार्य में से किये गये कार्य पर कितना खर्च किया गया; और

(ग) क्या उक्त कार्य को छोड़ देने के बाद किसी अन्य नई योजना के कार्य को हाथ में लिया गया है और यदि हां, तो उन नई योजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश (मैकग्रोहिल कं०) के हिन्दी अनुवाद का कार्य कभी शुरू ही नहीं किया गया था । अतः इस कार्य को बीच में छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश (मैकमिलन एण्ड को०) के अनुवाद का कार्य चल रहा है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में महिला कर्मचारी

4603. **श्री डी० कामाक्षैया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों में कितनी महिलाएं नियुक्त की गई जिनमें दैनिक मजदूरी की श्रेणी भी सम्मिलित है;

(ख) क्या ये नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई अथवा सीधे; और

(ग) सीधी भर्ती के मामले में विभिन्न श्रेणियों में जैसे एल० डी० सी० इवैलुएटर और

'यूनेस्को कूरियर' के हिन्दी अनुवादक, कितनी लड़कियां नियुक्त की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अट्ठारह (18)।

(ख) पांच नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तीन रोजगार कार्यालय के माध्यम से, एक अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग से स्थानान्तरण पर तथा नौ सीधी भर्ती द्वारा की गई हैं।

(ग) अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नौ लड़कियां दैनिक वेतन पर नियुक्त की गई थीं। दो की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं।

पीतमपुरा आवास योजना, दिल्ली में बरसाती का निर्माण

4604. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन प्लाट मालिकों को, जिन्हें पीतमपुरा आवास योजना, दिल्ली में 84 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, बरसाती बनाने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों के भवन प्रारूपों की, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बरसाती को हटा दिया है, संशोधित किया जायेगा और प्लाट मालिकों को बरसाती बनाने की भी अनुमति दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर।

नई शिक्षा प्रणाली के अधीन एस० एस० सी० परीक्षा

4605. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद से प्रति वर्ष (i) गणित या (ii) विज्ञान में फेल होने के कारण एस० एस० सी० (मेट्रीकुलेशन) परीक्षा में जो छात्र फेल हो गये थे, उनकी प्रत्येक राज्य में संख्या कितनी है ;

(ख) एक अनिवार्य विषय में फेल हो जाने के कारण एस० एस० सी० की सम्पूर्ण परीक्षा में फेल किये जाने के क्या कारण है, जबकि कालेज स्तर पर कला और विज्ञान के रूप में विभाजन कर दिया जाता है और कला में गणित तथा विज्ञान विषय कतई नहीं हैं ; और

(ग) उन छात्रों की शिकायतों और उनके प्रति अन्याय दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जो कालेजों में जाकर कला विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं।

शिक्षा, समाजकल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). जहां तक माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड का सम्बन्ध है, पास या फेल घोषित करने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। विवरण संलग्न है, जिसमें प्रत्येक राज्य के उन छात्रों की कुल संख्या बताई गई है, जिन्होंने 1977 में शिक्षा की 10+2 पद्धति के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा और दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा में हिसाब या साइंस में 30% से कम अंक प्राप्त किये हैं।

माध्यमिक शिक्षा के राज्य बोर्डों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक कालेजों में दाखिले का प्रश्न है, विभिन्न विश्वविद्यालय अपने संघटक तथा सम्बद्ध कालेजों में दाखिले की आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	परीक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने निम्नलिखित विषयों में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं	
		गणित	साइंस
1	2	3	
आन्ध्र प्रदेश	628	54	—
असम	246	21	—
बिहार	697	42	1
गुजरात	536	26	2
हरियाणा	619	11	1
जम्मू और कश्मीर	263	14	1
केरल	382	14	—
मध्य प्रदेश	1,119	61	—
तमिलनाडु	1,663	124	1
महाराष्ट्र	1,239	162	2
पंजाब	750	39	2
राजस्थान	1,359	78	—

1	2	3	
कर्नाटक	588	25	—
उत्तर प्रदेश . . .	2,213	164	4
पश्चिम बंगाल . . .	626	30	—
हिमाचल प्रदेश . . .	265	24	2
मणिपुर . . .	56	—	—
अरुणाचल प्रदेश . .	438	69	1
उड़ीसा . . .	310	30	—
सिक्किम	306	02	2
त्रिपुरा . .	29	—	—
गोवा . .	75	—	—
पांडिचेरी . . .	10	—	—
मेघालय	9	—	—
अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह .	669	90	—
दिल्ली . . .	4,378	231	16
चण्डीगढ़ .	218	11	—
विदेशी स्कूल . .	282	7	2
दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 1977			
दिल्ली . . .	47,574	8,021	768

नदी घाटी विवादों का समाधान करने के लिए स्थापित न्यायाधिकरण

4606 डा० **बलदेश प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नदी घाटी विवादों को निपटाने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायाधिकरणों के नाम क्या हैं और प्रत्यक न्यायाधिकरण के सदस्यों के नामों और सदस्य-संख्या का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्यक न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था ;

(ख) इन न्यायाधिकरणों से से किसी भी न्यायाधिकरण ने अब तक कितने पंचाटों की घोषणा की और क्या अब तक किसी पंचाट को क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) पंजाब और हरियाणा के बीच जल का वितरण करने के मामले म न्यायाधिकरण गठित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन न्यायाधिकरणों पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना अन्तिम आदेश 27 मई, 1976 को दिया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 31 मई, 1976 को प्रकाशित हुआ था जिसमें आदेश को अन्तिम और पक्ष राज्यों के लिए बाध्यकारी घोषित किया गया था जिन्हें इसे कार्यान्वित करना है।

(ग) भूतपूर्व पंजाब राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारों और देनदारियों का निर्धारण किया जाना है, जिनमें भाखड़ा-नंगल और ब्यास की परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उपलब्ध जल को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के अधिकार भी शामिल हैं; यह निर्धारण पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 (i) के उपबन्धों के अनुसार किया जाना है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में जल-विवाद की जो परिभाषा दी गई है, यह मामला उसके अन्तर्गत नहीं आता।

(घ) इन तीनों न्यायाधिकरणों पर मार्च, 1977 तक किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

(1)	गोदावरी न्यायाधिकरण	— 12,63,333/—रुपये
(2)	कृष्णा न्यायाधिकरण (23-7-1976 तक)	— 30,72,611/—रुपये
(3)	नर्मदा न्यायाधिकरण	— 43,76,099/—रुपये

विवरण

	*गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	*कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण
1. जल विवाद को हल करने के लिए स्थापित किए गए न्यायाधिकरण का नाम।			
2. 3. न्यायाधिकरण का गठन	1. न्यायमूर्ति श्री आर० एस० बचावत, अध्यक्ष	1 न्यायमूर्ति श्री आर० एस० बचावत, अध्यक्ष	1 न्यायमूर्ति श्री वी० रंगास्वामी, अध्यक्ष
	2 न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भंडारी, सदस्य	2 न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भंडारी, सदस्य	2 न्यायमूर्ति श्री वी० पी० गोपालन नाम्बियार, सदस्य
	3 न्यायमूर्ति श्री डी० एम० सेन, सदस्य	3 न्यायमूर्ति श्री डी० एम० सेन, सदस्य	3 न्यायमूर्ति श्री ए० के० सिन्हा, सदस्य

*नोट 1. इन दोनों न्यायाधिकारणों के अध्यक्ष और सदस्य एक ही थे।

2 कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का 23-7-1976 से विघटन कर दिया गया था।

4. न्यायाधिकरण स्थापित करने की तारीख	10 अप्रैल, 1969	10 अप्रैल, 1969	6 अक्तूबर, 1969

*नोट : 1. इन दोनों न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य एक ही थे ।

2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का 23-7-1976 से विघटन कर दिया गया था ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन

4607 श्री मनोरंजन भक्त :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुख्य इंजीनियर की कुछ मनमानी कार्यवाहियों से उत्पन्न अपनी शिकायतों पर प्रकाश डालने के लिए सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर धरना, भूख हड़ताल आदि के माध्यम से आन्दोलन कर रहे हैं ; यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मुख्य इंजीनियर के कतिपय आदेशों के कारण पदोन्नति नियमों में गम्भीर विसंगति पैदा हो गई है जिसके परिणामस्वरूप आपात काल में गतिरोध तदर्थ पदोन्नति और अतिक्रमण हुआ; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर एसोसियेशन के सदस्यों को सताये जाने की दृष्टि से आपात स्थिति के दौरान की गई ऐसी विसंगतियों में सुधार करने का सरकार का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 'प्रमुख इंजिनियर की मनमानी कारवाई' संभवतः "जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड से सहायक इंजीनियर के ग्रेड में 50 प्रतिशत पदोन्नत रिक्तियों के लिए विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा लेने के बारे में है । 50 प्र० श० पदोन्नत रिक्तियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने का निर्णय सरकार ने किया था न कि प्रमुख इंजीनियर ने । जूनियर इंजीनियरों के कुछ ग्रुप परीक्षा लेने के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे और आन्दोलन अब समाप्त हो गया है क्योंकि परीक्षा स्थगित कर दी गई है ।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रमुख इंजीनियर के कौन से आदेशों का हवाला दिया जा रहा है । तथापि, इस प्रकार की असंगतियां पैदा करने के बारे में प्रमुख इंजीनियर ने आपातकाल के दौरान कोई आदेश जारी नहीं किए । यदि किसी जूनियर इंजीनियर का पदोन्नति के बारे में अधिक्रमण हुआ है तो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस जूनियर इंजीनियर के मूल्यांकन के कारण हुआ है ।

(ग) (ख) को देखते हुए (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Clearance of Fruit Mart in Jheel Kuranja Colony, Delhi

4608. **Shri Kachrulal Hemraj Jain** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the newsitem appearing on page 3 of the 'Hindustan Times' dated the 12th July, 1977 to the effect that some people have unauthorisedly occupied the road of 'Jheel Kuranja Colony' in Trans-Yamuna area and have started selling vegetables and fruits there ;

(b) if so, whether the concerned officers have been given necessary instructions in regard to getting the place cleared ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). Vegetable and fruit sellers who sell vegetables and fruit during the day time and take away their unsold vegetables at night have been removed a number of times. How ever, this action has not prevented them from re-occupying the site and using it for their business.

Resettlement of Shopkeepers of Delhi

4609. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of shopkeepers up-rooted in the Union Territory of Delhi during the last two years and the number of persons out of them allotted shops ;

(b) the number of remaining persons who are to be allotted shops ; and

(c) whether Government would be able to allot shops to all of them by the end of 1977 ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) About 4500 shops/ khokas were demolished during June, 1975 to May, 1977. All the eligible squatters were allotted alternative plots in different J. J. Colonies as well as in the new markets developed by the Delhi Development Authority.

(b) & (c). About 3000 applications have been received by Delhi Development Authority for alternative accommodation in lieu of premises demolished during emergency. It is yet to be established by Delhi Development Authority as to how many of these were shopkeepers. A Committee has been set up to look into these cases.

श्री संजय गांधी से सम्बद्ध राजनैतिक व्यक्तियों के चहेते लोगों को फ्लैटों का आवंटन

4610. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री संजय गांधी से सम्बन्धित राजनैतिक व्यक्तियों के चहेते लोगों को बिना सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किये ही काफी संख्या में डी० डी० ए० के फ्लैट आवंटित कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में डी० डी० ए० के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) किसी खास नाम अथवा नामों के अभाव में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बतलाया है कि बिना सामान्य नियमों और प्रक्रिया का पालन किए डी० डी० ए० के फ्लैटों के आवंटन के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इसके बारे में समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें देखने में आई हैं ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है ।

Demand for Chemical Fertilizer

4611. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the names of the chemical fertilizers in demand as also the production thereof in the country at present ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : A Statement giving the names of the Fertilisers in demand and their production for the year 1976-77 is enclosed.

Statement

Year 1976-77 (000 Tonnes)

Name of the fertilisers		Quantity produced
Straight Nitrogenous Products		
1. Urea		2931
2. Ammonium Sulphate		601
3. Calcium Ammonium Nitrate		640
4. Ammonium Chloride		27
5. Double Salt		2
TOTAL—		4201
B. Complex Products		
1. D.A.P.		87
2. Nitro Phosphate	15:15:15	182
	20:20:0	50
3. Ammonium Phosphate Sulphate	16:20:0	102
	20:20:0	45
	18:9:0	10
4. A.P.S.N.	20:20:0	38
5. U.A.P.	28:28:0	253
	14:35:14	41

1		2
6. N.P.X.	19:19:19	61
	17:17:17	262
	14:28:14	5
	24:24:0	5
	10:26:26	55
	12:32:16	248
	TOTAL	1444
C. Straight Phosphatic Products		
1. Single Super Phosphate		800
	GRAND TOTAL	6445

Promotion of Teachers belonging to SC & ST to Principals and Vice-Principals By Delhi Administration

†4612. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether he has received any memoranda about the promotions given to the Principals/ Vice-Principals belonging to the Scheduled Castes in the Delhi Administration, Delhi dated the 7th September, 1976;

(b) whether these promotions have been given to these teachers who are neither permanent nor have the required experience of 10 years in all or in their Grade whereas those teachers have been left out who had experience for a period of 16-17 years including the administrative experience of four years;

(c) whether as per para 3 of O.M. No. 1/4/60-RPS dated 5th March, 1960 issued by Ministry of Home Affairs, the Departmental Promotion Committee could give benefit to the candidates; and

(d) whether Government would place details in regard to the candidates considered unfit and those considered fit for the promotion of Principals/Vice-Principals belonging to SC and ST on the Table of the House ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Wages to Workers of Sugar Mills of Eastern U.P.

4613. **Shri Harikesh Bahadur** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the workers of several sugar mills of Eastern U.P. have not been getting their wages for the past many months and they are being harassed in regard to their wages despite the arrangement made by Government in this behalf and whether Government will take steps to arrange for immediate payment of their wages; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मंजूर की गई धनराशि से अधिक का व्यय

4614. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मामलो की जांच की है कि जहां किसी मंत्री ने इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अथवा मंजूर की गई धनराशि से अधिक खर्च किया है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस मामले पर कुछ तथ्यों को उजागर करते हुए दिनांक 20 जून, 1977 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) . सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1977 के 'इकोनौमिक्स टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की निधियों में से 2.25 लाख रुपये की लागत से एक केन्द्रीय मंत्री का कार्यालय तथा सम्मेलन कक्ष का नवीकरण किया जा रहा है । चूंकि न तो समाचार और न ही सदस्य महोदय ने विशेष मंत्रालय या भवन के नाम उल्लेख किया है जहां नवीकरण किया जा रहा हैअतः सूचना देना संभव नहीं हैं । इस मंत्रालय या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ऐसा कोई नवीकरण नहीं किया है ।

आल इण्डिया नेशनल फिटनैस कोर एम्पलाइज एसोसियेशन से ज्ञापन

4615. **डा० बापू कलादाते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया नेशनल फिटनैस कोर एम्पलाइज एसोसियेशन, नई दिल्ली ने दिनांक 19 जून, 1977 को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) एसोसियेशन ने सरकार के समक्ष क्या मुख्य मांगें रखीं ; और

(ग) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एसोसिएशन की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :

(1) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए लाभों का 1-1-1973 से विस्तार ।

(2) उस तारीख से राज्य सेवाओं में खपाया जाना जिस तारीख से राज्य सरकारों दवारा प्रशासकीय नियंत्रण हाथ में लिया गया था ।

(3) ठीक-ठीक वेतन निर्धारण द्वारा राज्य वेतनमानों में सैदधांतिक वेतन वृद्धियां ।

(4) राज्य सरकार के शारीरिक शिक्षा कर्मचारियों की तुलना में वरीयता का लाभ तथा साथ ही साथ स्थायित्व और पदोन्नति आदि का भी पूर्ण लाभ ।

(ग) एन० एफ० सी० कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवाओं में 1-11-76 को या इससे पूर्व खपा लिया गया है । स्थानान्तरण से पूर्व, राज्य सरकारों द्वारा दी गई खपत की शर्तों के प्रति प्रत्येक कर्मचारी की सहमति प्राप्त कर ली गई थी । इस मामले पर पुनर्विचार करने का कोई इस समय प्रस्ताव नहीं है ।

Kosi Project

†4616. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of the original estimates of Kosi project in Bihar and expenditure incurred thereon up to 1976-77 ;

(b) the original estimates of flood control, generation of canal for irrigation and Hydro-electric works, separately, under the said project and the expenditure incurred so far under each of these heads;

(c) the acreage of land proposed to be irrigated and the electricity in megawatt to be generated and the acreage of land irrigated and the electricity generated so far ;

(d) the acreage of agricultural land in which a new problem of water logging has been created as a result of the implementation of the said scheme; and

(e) the acreage of land submerged in between the two embankments of the said project and the population inhabiting there ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b). The Kosi Project, which was originally conceived as Irrigation-cum-flood control project, was sanctioned in 1958 for Rs. 44·76 crores. Power benefits from this Project were envisaged later on at the cost of Rs. 2·79 crores. The expenditure incurred on these three components upto 1976-77 is about Rs. 77·47 crores, Rs. 26·23 crores and Rs. 6·09 crores respectively.

(c) The utlimate irrigation potential of th e project is 4·34 lakh ha. A potential of about 3·18 lakh ha. has been created upto 1976-77 and the utilisation is 1·74 lakh ha.

The installed capacity of the power house is 20 MW against which the generation was 11·00 MKwh. during 1976-77.

(d) It is estimated that an area of abou 1·50 lakh hectares will be under water logging. It is however, envisaged that it would be possible to reclaim 50 per cent of this area.

(e) The area within the two embankments of the Kosi is estimated to be about 1·05 lakh ha. with a population of 2·50 lakhs. About 0·66 lakh ha. are estimated to be under cultivation and about 0·26 lakh ha. more are cultivable.

Conversion of Kacha Nala in Shahdara

4617. **Shri Shambhu Nath Chaturvedi :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the ganda nala flowing near the underbridge opposite Shyam Lal Degree College of Shahdara often breaches near the bridge and its dirty water accumulates under the bridge and in a vast area behind the Bhuveshwar Temple near the bridge;

(b) if so, whether Government propose to convert the present kacha nala into a pacca and covered nala from the bridge to East Azad Nagar in order to check the accumulation of dirty water there ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the difficulty in converting it into a pacca nala and the reasons therefor ?

The Minister of Works & Hous!ng & Supply and Rehabilitation (Shri Skinde Bakht) : (a) to (d). The water accumulates in the vast area behind Bhuveshwar Temple inthe rainy season, because the area is low lying. In other seasons, the accumulated water remains confined to the pond area only. The Ganda Nala, though being maintained temporarly. as a kacha earthen nala. does not breach often. owever the nala will be drained into Drain No. 1 which is being constructed Delhi Administration as part of a major drainage scheme in Shahdar area as soon as the latter is ready.

प्राइवेट पार्टियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के इस्तेमाल के लिए गोदामों का निर्माण

4618. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को मध्य प्रदेश में खादयान्न के भंडारण करने के लिए कुल कितने भंडारण स्थान की आवश्यकता है ;

(ख) क्या भारतीय खादय निगम ने प्राइवेट पार्टियों को गोदामों का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि उन गोदामों को पट्टे पर लिया जा सके ; और

(ग) इस संबंध में अब तक कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा स्वीकार किए गए और कितने गोदाम निर्माणाधीन है तथा कितने पूरी तरह बनाए जा चुके हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) भारतीय खाद्य निगम के पास मध्य प्रदेश में 1-7-1977 को 13.72 लाख मीटरी टन (अपनें, किराये की और कैप) भण्डारण क्षमता थी। भण्डारण स्थान की आवश्यकता के बारे में समय समय पर अंदाजा लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यचालन और वफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का भण्डारण करने हेतु समय पर कार्यवाही की जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश में कुल 291 पार्टियों ने पेशकश की थीं और 90 पार्टियों के साथ प्रारम्भिक करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन पार्टियों दवारा 2.90 लाख मीटरी टन की क्षमता का निर्माण संबंधी कार्य शुरु किया गया है। 7500 मीटरी टन की क्षमता पहले ही पूरी हो चुकी है।

राज्य मंत्रियों के सम्मेलन और सिफारिशों के क्रियान्वित के लिए राज्यों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

4619. **श्री एस० आर० दामणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर 1976 में हुए राज्य सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णयों और सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र में बनी सरकार अथवा राज्यों की नई सरकारों को इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कोई आपत्ति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सितम्बर, 1976 में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव राज्य सरकारों के पास उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए भेज दिए गए थे। 1976-77 में 1-2 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता का सृजन करने का जो लक्ष्य था वह प्राप्त कर लिया गया है। शेष सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अधीन नगरीकृत गांवों का विकास

4620. **श्री मौहन भय्या** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण योजना के अधीन जनकपुरी, नई दिल्ली में असालतपुर और पोसंगीपुर गांवों का नगरीकृत ग्रामों के रूप में विकास किया जाएगा;

(ख) यदि हां तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही आरम्भ की;

(ग) उपरोक्त विकास कार्य आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(घ) असालतपुर गांव का नगरीकरण करने के लिए सरकार का क्या और कब कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) जी, हां।

(ख) से (घ). इन ग्रामों की पुनर्विकास योंजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। निम्नलिखित नागरिक सुख सुविधाएं दे दी गई हैं :—

(i) **ग्राम पोसंगीपुर**: जल-मल निकासी, जलपूर्ति, नालियां बनाने, पुलियां बनाने, ईंट के खड़जे बिछाने, शौचालयों के सुधार आदि के कार्य कर दिए गए हैं।

(ii) **ग्राम असालतपुर** : पानी की लाइनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है। मल-जल निकासी की योजना दिल्ली नगर निगम को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। दिल्ली नगर निगम से अनुमोदित योजनाएं प्राप्त होने पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरु किया जाएगा। तालाबों आदि की भराई जैसे छोटे कार्य कर दिए गए हैं।

Cost of production of Sugar

4621. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the per quintal cost of production of sugar as also the per quintal price of levy sugar in the country ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : The All India weighted average cost of production of sugar is estimated to be Rs. 210·24 p. per quintal. The All India weighted average of the levy prices notified for D 29 Grade on 3rd August, 1976 (which were repeated on 19-11-1976) works out to Rs. 168·10 per quintal excluding excise duty.

छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत भूमि

4622. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1949-50,, 1974-75 अथवा 1973-74 में जितनी भूमि में फसल उगाई जाती थी उसकी तुलना में, राज्यवार, कितनी कितनी भूमि में सिंचाई होती है और इस समय इस बारे में क्या स्थिति है; और

(ख) इस योग में छोटी सिंचाई योजनाओं से कितनी भूमि में सिंचाई होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध में दी गई है ।

(ख) कुल सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई का योगदान 1949-50 तथा 1974-75 के दौरान मोटे तौर पर 58 प्रतिशत रहा है ।

विवरण के लिय पृष्ठ 51 तथा 52 दखिये ।

विवरण

हजार हैक्यर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1949-50			1974-75 (अनन्तिम)		
	सकल सिंचित क्षेत्र	बोया गया सकल क्षेत्र	सकल सस्यगत क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	सकल सिंचित क्षेत्र	बोया गया सकल क्षेत्र	सकल सस्यगत क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	2,709	10,687	25.3	4423	13,283	33.3
2. असम . . .	537	2,587	20.8	572*	3,104	18.4
3. बिहार . . .	2,078	11,354	18.3	3055	10,869	28.1
4. गुजरात	268	7,127	3.8	1488**	8,525**	17.5
5. हरियाणा	(ख)	(ख)	—	2596	4,842	53.6
6. हिमालय प्रदेश	65	417	15.6	151	917	16.5
7. जम्मू कश्मीर	285	673	42.3	355	897	39.6
8. कर्नाटक	668	9,575	7.0	1490	10,996	13.6
9. केरल	340	1,960	17.3	652	3,028	21.5
10. मध्य प्रदेश	732	15,912	4.6	1701	20,511	8.3
11. महाराष्ट्र	870	16,603	5.2	1814	19,505	9.3
12. मेघालय	(क)	(क)	—	51†	180**	28.3

1	2	3	4	5	[illegible]	7
13. मणिपुर	उ० न०	84	—	75**	208**	36.1
14. नागालैण्ड	(क)	(क)	—	38	113	33.6
15. उड़ीसा	949	6,247	15.2	1276	7,130	17.9
16. सिक्किम	उपलब्ध नहीं					
17. पंजाब (च)	2,845	7,659	37.1	4770	5,904	80.8
18. राजस्थान	969	7,206	13.4	3143	15,711	20.0
19. तमिलनाडु	2,481	5,986	41.4	3033	6,640	45.7
20. त्रिपुरा	उ० न०	185	—	30(ग)	374	8.0
21. उत्तर प्रदेश	4,757	19,959	23.8	9190	22,788	40.3
22. पश्चिम बंगाल	1,158	5,701	20.3	1541(घ)	7,717	20.0
संघराज्य क्षेत्र	27	115	23.5	152	548	27.7
अखिल भारत	21,738	130,037	17.7	41,596	163,790	25.4

उ०न० उपलब्ध नहीं ।

(क) असम राज्य में शामिल है ।

(ख) पंजाब राज्य में शामिल है ।

(ग) वर्ष 1972-73 के सम्बन्ध में ।

(घ) वर्ष 1967-68 के सम्बन्ध में ।

(†) वर्ष 1972-73 के सम्बन्ध में ।

(**) अनुमानित

(*) वर्ष 1953–54 के सम्बन्ध में ।

टिप्पणी:—बुवाई तथा सिंचाई के क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती ।

(च) पंजाब के मामले में वर्ष 1949-50 के आंकड़े भूतपूर्व राज्य (जिस में हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का एक भाग शामिल है) के सम्बन्ध में है, जबकि 1974-75 के आंकड़े वर्तमान पंजाब के हैं ।

दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र से गन्दा पानी निकालना

4623. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र से गन्दा पानी को निकालने के बारे में 27 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण-कार्य कब शुरु हुआ था और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जानी थी और इस पर अब तक खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजना पर वर्ष-वार कितना काम हुआ और चालू वर्ष के दौरान कितना कार्य किया जाएगा;

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत नाला नं० एक किस स्थान से शुरु होता है और कहां समाप्त होता है और उक्त नाले का अब तक कितना कार्य हुआ है और जब तक उक्त नाले का निर्माण-कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक बीस वर्षों से निरन्तर पूरे वर्ष भर सड़ने वाले पानी को निकालकर जमुना-पार के लाखों व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या शाहदरा रघुबरपुरा मेन रोड़ पर आजादपुर के निकट ट्यूबवैल या मोटर लगाकर इस बीच पानी निकाल दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शाहदरा ड्रेनेज स्कीम को 8.14 करोड़ रुपए की लागत पर वर्ष 1972 में आरम्भ किया गया था। इस योजना में 5 बड़े मुख्य नाले हैं जैसे कि मुख्य नाला नं० 1 मुख्य नाला नं० 2, गाजीपुर नाला, शाहदरा लिंक नाला तथा शाहदरा आऊट फाल ड्रेन, जो यमुनापार क्षेत्र के समस्त नालों को मिलाता हुआ ओखला बांध से 2 मील नीचे यमुना में गिरता है। वर्ष वार व्यय इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में
चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक . . .	97.18
1974–75 के दौरान . .	51.70
1975–76 के दौरान . . .	54.93
1976–77 के दौरान	109.97
कुल . . .	313.78

वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 वर्ष के लिए योजना परिव्यय अनुमानतः प्रत्येक के लिए 160 लाख रुपए नियत किया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित निर्माण कार्य पूर्ण किए गए :—

(i) शाहदरा आऊट फाल ड्रेन का मिट्टी का कार्य तथा खुदाई और मुख्य नाला नं० 1 तथा 2 के आंशिक खुदाई का कार्य।

(ii) शाहदरा लिंक ड्रेन की भूतल के जल स्तर तक मिट्टी की खुदाई का कार्य।

चालू वर्ष के दौरान, मुख्य नाला नं० 1 तथा 2 और शाहदरा लिंक ड्रेन का शेष खुदाई का कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

(ग) तथा (घ): बड़ा नाला नं० 1 दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर शाहदरा सहारनपुर रोड पर स्थित जौहरी पुल से आरम्भ होता है। यह नाला शाहदरा में गुड्स अवाइडिंग रेलवे लाईन से करीब 1000 मीटर नीचे गाजीपुर नाले में मिलता है। चूंकि यमुना पार क्षेत्र में बरसाती पानी और मल निष्कासन के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, इसलिए आजकल पानी को कैलाश नगर पम्पिंग स्टेशन के द्वारा और कुछ पानी कृष्ण नगर नाले के द्वारा यमुना नदी में गिराया जाता है।

F.C.I. Accounts

4624. **Shri Mani Ram Bagri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether accounts of the Food Corporation of India were examined by Government during the last three years;

(b) if so, the irregularities and frauds detected therein; and

(c) the details of action taken by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) to (c) In accordance with section 34 of the Food Corporation Act, 1964 the accounts of the Corporation are audited by Auditors duly qualified to act as auditors of Companies as also by the Comptroller and Auditor General. The Food Corporation of India submits to the Central Government Annual Reports on its working and affairs which also contain the observations of the C & AG on the accounts and the Corporation's comments on the same. The Annual Reports and Accounts of the F.C.I. upto 1975-76 have already been laid before the Parliament. Appropriate remedial action on the defects and irregularities noticed in the accounts is taken by the Corporation from time to time.

दिल्ली में गृह विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के लिये 'समर इंस्टीट्यूट'

4625. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 20 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० जी० टी० (गृह विज्ञान) के मंजूरशुदा पदों पर कार्य कर रहे बी० एस० सी० (गृह विज्ञान) बी० एड० अर्हता वाले गृह विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या क्या है;

(ख) इस वर्ष से आयोजित किए गये सघन पाठ्यक्रम (कंटेस्ड कोर्स) के आधार पर प्रथम 'समर इंस्टीट्यूट' के लिए चुने गए गृह विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या क्या है;

(ग) इन के चयन के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं; और

(घ) इस वर्ष आयोजित किए गए संक्षिप्त पाठ्यक्रम के आधार पर 'समर इंस्टीट्यूट' में भाग लेने के इच्छुक गृह विज्ञान के शेष वरिष्ठ अध्यापकों को अवसर देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं और चावल की वसूली, वितरण और आयात के लिये राजसहायता

4626. **श्री समर गुह :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 के लिये (एक) गेहूं और (दो) चावल की अलग-अलग वसूली, वितरण, आयात आदि के लिये कितनी राजसहायता मंजूर की गई;

(ख) 1974—77 के वर्षों के दौरान, वर्षवार, गेहूं और चावल के लिये अलग-अलग इसी प्रयोजन के लिए सरकार ने कितनी सहायता दी थी; और

(ग) इसे देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1977–78 के लिए भारतीय खाद्य निगम को देय राजसहायता की अनुमानित राशि इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
गेहूं . . .	159.31
आयातित चावल .	7.93
देशी चावल . . .	3.39
माइलो समेत मोटे अनाज . . .	24.11
सभी खाद्यान्नों के बफर स्टाक को सम्भालने की लागत .	280.07
जोड़ .	474.81

इसके प्रति, 1977–78 के बजट अनुमान में 460.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें पिछले वर्ष से संबंधित देय बकाया राशि और मार्च, 1978 के लिए देय राशि जोकि वास्तव में 1978–79 में देय होगी और भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के लिए 5 प्रतिशत राशि को केवल अस्थायी तौर पर रोकने जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है ।

1977–78 के अनुमान में अप्रैल, 1977 में लागू हुई नई गेहूं नीति के फलस्वरूप वर्ष के दौरान उत्पन्न रूख को देखते हुए संशोधन हो सकता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मांगी गई जिन्सवार राजसहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

जिन्स	1974–75	1975–76	1976–77 (सं० अ०)
आयातित गेहूं . .	252.11	189.72	145.16*
देशी गेहूं . .	2.94	21.23	
आयतित चावल . .	0.22	10.37	11.68
चावल (देशी) (—) . .	8.72(—)	11.77	0.51
आयातित माइलो . .	25.23	11.32	17.41
मोटे अनाज . . .	0.16	0.20	0.48
हैंडलिंग उपहार . .	0.54	0.11	—
	272.48	221.18	175.24
बफर स्टाक के सम्भालने की लागत	—	76.54	273.47
जोड़ .	272.48	297.72	448.71

(–) लाभ का सूचक है ।

*अलग से सूचना उपलब्ध नहीं ।

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में अब तक निम्नलिखित राशि दी गई है :—

वर्ष	(राशि करोड़ रुपये में)
1974–75	295
1975–76	250
1976–77	506

इन वर्षों में जो अधिक भुगतान हुए हैं वे पिछले वर्षों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को दी गई राजसहायता की बकाया राशि के कारण हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति निगम को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता के रूप में की जाती है । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की लागत के लिए भी राजसहायता दी जाती है ।

पण्डियर-पुन्नमपुजा नदी योजना

4627. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कृषि और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने हेतु पण्डियार-पुन्नमपुजा नदी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितनी पूंजी लगाने का विचार है अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है तथा सम्पूर्ण परियोजना के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को तनिलानडु में लाभप्रद उपयोग के लिए पानी के आरक्षण हेतु इस परियोजना को पूरा करने की अविलम्बनीयता का पता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). पंडियार-पुन्नमपुजा नदी स्कीम विशुद्ध रूप से एक जल-विद्युत स्कीम है । इस स्कीम पर 73.90 करोड़ रुपए की लागत आने और इससे 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है । इस स्कीम की विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार से फरवरी, 1977 में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की जा रही है । इस स्कीम पर मार्च, 1977 तक लगभग 2.21 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। राज्य की वार्षिक योजना में, योजना आयोग द्वारा इस स्कीम का अनुमोदन किए जाने के अध्याधीन, 1977–78 के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय जल आयोग में तमिलनाडु सरकार से सिंचाई पहलुओं की परिकल्पना वाली कोई परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

गेहूं, धान और गन्ने आदि पर प्रति एकड़ आने वाली औसत लागत

4628. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में गेहूं, धान और गन्ने की फसलों पर प्रति एकड़ किसान द्वारा बीजों, उर्वरकों सिंचाई और श्रम आदि के रूप में लगाई जाने वाली लागत का अधिकृत औसत क्या है ;

(ख) उस समय और अब इन फसलों के सरकारी वसूली मूल्य क्या हैं ;

(ग) किसानों को इस बारे में यकीन दिलाने के लिए सरकार की क्या नीति है; और

(घ) कृषि-लागत कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा प्रमुख फसलों की खेती पर लागत के संबंध में अध्ययन की वृहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 के दौरान बीज, उर्वरक, सिंचाई एवं श्रम पर कृषकों द्वारा प्रति हैक्टर पर औसत व्यय के अनुमान, हरियाणा और पंजाब में गेहूं आंध्र प्रदेश में धान तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने के बारे में प्राप्त हो चुके हैं। इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) गेहूं और धान की अधिप्राप्ति दरें वर्ष 1976 व 1977 के लिए निम्नलिखित हैं :—

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	फसल वर्ष (जुलाई-जून)	विपणन वर्ष (गेहूं के लिए अप्रैल-मार्च) (चावल के लिए नवम्बर–अक्तूबर)	अधिप्राप्ति मूल्य
गेहूं .	1975–76	1976–77	105
	1976–77	1977–78	110
धान	1975–76	1975–76	74
(मोटा) . . .	1976–77	1976–77	74

गन्ने के मामले में सरकार सीधे अधिप्राप्ति नहीं करती, परन्तु चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। वर्ष 1975–76 और 1976–77 मौसम के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य 8.50 रु० प्रति क्विंटल था जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम की मूल वसूली के साथ सम्बद्ध था और 8.5 प्रतिशत से प्रति 0.1 प्रतिशत की अधिक की वसूली पर 10 पैसे का प्रीमियम लगाया गया। तथापि, बहुत से क्षेत्रों में गन्ना मिलों द्वारा मिलों में दिए गये गन्ने के लिए उत्पादकों को दिया गया वास्तविक मूल्य बहुत अधिक था।

(ग) सरकार की यह नीति है कि वह यह देखे कि कृषकों को अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से कम कीमत न मिले। सरकार द्वारा प्रति वर्ष घोषित किये जाने वाले मूल्यों का सरकारी माध्यम के द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है। गेहूं और धान के मामले में, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा औसतन अच्छी किस्म के अनाज की सम्पूर्ण मात्रा को घोषति अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीद लेने के बारे में भी व्यापक प्रचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई क्रय केन्द्र खोलने के साथ-साथ अधिकांश महत्वपूर्ण मण्डियों में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अनाज की खरीद की व्यवस्था भी की जाती है। गन्ने के मामले में, मिलों के गेटों पर तथा कई क्रय केन्द्रों में भी सुपुर्दगी स्वीकार की जाती है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, मिलों द्वारा दिये गये मूल्य सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक होते हैं।

(घ) योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना तथा उसके द्वारा मूल्य कम करना है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए मौजूदा नीति अनिवार्यतः विज्ञान और टैक्नोलाजी के उपयोग पर आधारित है। इसके लिए अपनाए गए उपायों में, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि, अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों का अधिक एवं कारगर ढंग से प्रयोग, जल व्यवस्था तथा जल-विभाजक आधार पर मृदा संरक्षण आदि शामिल हैं। जुलाई, 1975 से सरकार ने उवरकों के मूल्यों में भी कमी कर दी है। गेहूं और धान के प्रमाणित बीजों के मूल्य भी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटा दिये गये हैं।

विवरण

(रु० प्रति हैक्टार)

	गेहूं		धान	गन्ना	
	पंजाब	हरियाणा	आंध्र प्रदेश	पंजाब	उत्तर प्रदेश
1. बीज .	108.53	129.93	100.28	266.15	230.62
2. उर्वरक .	430.96	104.20	321.39	373.87	123.87
3. सिंचाई	129.66	224.52	82.57	268.99	220.15
4. श्रम					
(1.) मानव .	487.14	436.45	488.66	1236.47	660.41
(2.) बैलों का .	249.49	317.54	157.01	127.65	239.94
(3.) मशीनों का .	174.55	127.36	30.77	41.77	25.99

टिप्पणी—

1. ऊपर दिए गए अनुमान अनंतिम हैं।

ग्रामीण विकास के लिए कार्यवाही

4629. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर कृषि विकास और सिंचाई सुविधाओं को दुगुना करना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) गहन कृषि पद्धतियों का प्रचार किया जा रहा है और सिंचाई के लिए निधियों का और अधिक आवंटन किया गया है ।

परम्बीक्कुलम परियोजना

4630. श्री के० ऐ० राजन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हजारों एकड की सिंचाई की सम्भावना के लिए कोयम्बतूर जिले में परम्बीक्कुलम परियोजना की महत्ता से अवगत है ; और

(ख) इस परियोजना के कार्यन्वयन के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस पर कितना पूंजी निवेश किया गया है और इसके विभिन्न चरणों को चालू करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां। तमिलनाडु की परम्बीक्कुलम अलियार परियोजना में कोयम्बटूर जिले में 1.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना परिकल्पित है ।

(ख) यह परियोजना निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है और सिंचाई भाग के लिए निर्धारित 59.63 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में लगभग 55 करोड़ रुपये इस पर व्यय किए जा चूके हैं। लोअर निरार बांध एवं सुरंग पर कार्य चल रहा है और इस परियोजना को छठी योजना की प्रारम्भिक अवधि में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है ।

---

2. खर्च के अनुमान मुख्य फसल एवं उपत्पाद के उत्पादन के संबंध में है।
3. सिंचाई का खर्च सिंचाई के उपकरणों तथा नहर के पानी के प्रयोग की प्रत्यक्ष लागत के संबंध में है । इसमें इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मानव तथा बैलों के श्रम की लागत शामिल नहीं है । इसे अन्य कार्यों पर लगाने वाले श्रम की लागत के साथ मद संख्या 4 में शामिल किया गया है ।
4. खर्च के अनुमान कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की वृहत योजना के अन्तर्गत एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं ।

Irrigation schemes sponsed by the Central Government in Rajasthan

4631. **Shri Shyam Sunder Somani :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the various irrigation and power schemes/projects sponsored by the Central Government in Rajasthan at present;

(b) the number of irrigation and power schemes being considered for Rajasthan by the Central Government;

(c) the financial assistance given to Rajasthan during the last two years and what was its demand; and

(d) the amount of financial assistance demanded by the Rajasthan Government during the current year; and the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Irrigation is a State subject and irrigation schemes are formulated and implemented by the States within their Developmental Plans.

There is no Hydro/Thermal project sponsored by the Central Government at present. One Unit of 235 MW is, however, under operation at the Rajasthan Atomic Power Station and another unit is under construction.

(b) Five major and medium irrigation projects proposed by the Rajasthan Government are under various stages of technical examination in Central Water Commission.

The Rajasthan State Electricity Board have also sent Project Reports in respect of the Mahi Bajajsagar Project (unit III of 70 MW) and small hydel stations on Anupga Branch of Rajasthan Canal with an install capacity of 9 MW for techno-economic appraisal in the Cental Electricity Authority.

(c) and (d). Central assistance to State Plans is given in the form of block loans and grants which is not related to any particular head of development or project. However, with a view to accelerate the construction of selected irrigation projects and getting additional benefits, the Government of India had decided to provide advance Plan assistance to the state during 1975-76 and 1976-77. The advance Plan assistance provided to Rajasthan during these years amounted to Rs. 9 crores. It is also proposed to provide advance Plan assistance to States for irrigation schemes during the current year.

Under the Centrally sponsored scheme of inter-State transmission lines, the Jaipur-Badarpur and Mathura-Bharatpur lines have been completed and during the current year funds may be released for the Ujjain-Kota line between Madhya Pradesh and Rajasthan keeping in view the physical and financial progress on this line.

भूतपूर्व मन्त्रियों तथा वर्तमान मन्त्रियों के आवासों में फर्निचर आदि की व्यवस्था करने पर खर्च की गई धनराशि

4632. **श्री मनोहर लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री भूतपूर्व मंत्रियों के निवासों पर किये गये व्यय के बारे में 4 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें फर्नीचर और आम उपयोग की क्या वस्तुएं प्रदान की गई ; और

(ख) वर्तमान मंत्रियों के आवासों और कार्यालयों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) फर्नीचर की विभिन्न वस्तुएं मन्त्रियों को सप्लाई की जाती हैं। फर्नीचर और बिजली के उपकरणों की मुख्य मदों की एक सूची संलग्न है।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1977 तक मौजूदा मन्त्रियों के निवास स्थान सुसज्जित करने पर 93,111 रुपये खर्च किये गये। कार्यालयों को सुसज्जित करने पर किये गये व्यय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

फर्नीचर की मुख्य वस्तुओं के नाम जो मंत्रियों को सामान्यतया सप्लाई की जाती हैं।

(यह सूची केवल नमूने के तौर पर है और विस्तृत नहीं है)

(क) सिविल :

1. पर्दे
2. गलीचे डिकोरा/गर्म
3. सूती गलीचे
4. दरियां
5. सोफा सेट
6. सेन्टर टेबल
7. बिस्तर—हल्के/भारी
8. चटाइयां—फोम/काटन
9. बैड साइड टेबल
10. अलमारियां—लोहे/लकड़ी की
11. डाइनिंग टेबल
12. डाइनिंग चेयर
13. साइड बोर्ड
14. के० पी० टेबल
15. के० पी० अलमारियां
16. टावल रेल
17. बाथ बोर्ड/स्टील
18. जी० आई० टब
19. साइड टेबल
20. गार्डन चेयर
21. गार्डन तिपाई
22. डोर मैट
23. पटसन की चटाई
24. पैग टेबल
25. बुक केस
26. बेविंडो सीट
27. ड्रेसिंग टेबल
28. ड्रेसिंग स्टूल
29. कोयर मैटिंग
30. बेस्ट आफ ड्रार
31. फायर साइड सीट
32. पियन बैंच
33. सन्त्री बाक्स
34. तिपाई
35. दीवान

(ख) बिजली :

1. गीज़र
2. पैडस्ट्रल फैन

3. टेबेल लैम्प
4. फलोर स्टेण्ड लैम्प
5. हीटर
6. एयर सर्कुलेटर

(ग) वातानुकूलन
1. रेफ्रीजरेटर
2. वातानुकूलन एकक
3. रूम कूलर
4. डेज़र्ट कूलर

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में कृषकों पर बकाया राशि

4633. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में कृषकों पर बकाया राशि की समस्या चिंताजनक बनती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या वर्षा की लगातार विफलता के कारण यह समस्या गम्भीर रुप धारण कर गई है ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार राहत दी जा सकती है ताकि वित्तीय सहायता के उनके बन्द हुए मार्ग फिर से खुल जायें ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र राज्य के 25 जिलों में से 6 जिलों, अर्थात् नासिक, पूना, शोलापुर, अहमदनगर, सांगली तथा तारा, को सूखाग्रस्त जिले के रूप में घोषित किया गया है और इन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अलावा, बुल्दाना, भीर, नान्देद, नागपुर, परभानी, वर्धा तथा यवतमाल के अन्य 7 जिलों जहां औसतन 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामों की गत कुछेक वर्षों में अभाव की स्थिति से प्रभावित होने की सूचना दी गई है, में भी सूखे की संभावना है। सम्पूर्ण राज्य के लिए सूखे के प्रभावित होने की सूचना दिए गए गांवो का प्रतिशत 1974–75 में 15 प्रतिशत, 1975–76 में 47 प्रतिशत तथा 1976–77 में 29 प्रतिशत था ।

महाराष्ट्र राज्य में, 30–6–1976 को कुल 229 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के मुकाबले में प्राथमिक ऋण सोसायटियों के स्तर पर 103 करोड़ रुपये के अतिदेय थे। तीन वर्षों से अधिक अतिदेयों की धनराशि राज्य के कुल अतिदेयों की 19 प्रतिशत बनीं। सूखा की संभावना वाले 13 जिलों में बकाया ऋण तथा अतिदेय ऋण अनुबन्ध में दिये गये हैं।

सहकारी प्रणाली में, सूखा से प्रभावित इलाकों में किसानों को राहत अल्पकालीन उत्पादन ऋणों जिनका पांच वर्षों की अधिकतम अवधि तक मध्यकालीन ऋणों में भुगतान किया जाता है, के परिवर्तन द्वारा दी जाती है। यह राहत वहां उपलब्ध है जहां 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान

है ! यदि अभाव की स्थितियों की पुनरावृत्ति होती है तो परिवर्तन ऋण स्वयं ही पुनः अवस्थाबद्ध अथवा सूचीबद्ध हो जाते हैं । सोसायटियों के प्रभावित काश्तकार सदस्यों की ओर बकाया ऋणों के परिवर्तन अथवा उनके सूचीबद्ध होने से मिली राहत उन्हें आगामी मौसम के लिए नया वित्त लेने के लिए पात्र बनाती है । अल्पकालीन का मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन सहकारी बैंकों की कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियों के उपयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि से निकासी द्वारा किया जाता है ।

रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय बैंकों की ओर से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को 1974–75 में 1.53 करोड़ रुपये 1975–76 में 24.80 करोड़ रुपये तथा 1976–77 में 10.45 करोड़ रुपये के परिवर्तन/पुनः अवस्थाबद्ध ऋण मंजूर किये थे। सम्पूर्ण राज्य में सदर पर मंजूर किये गये परिवर्तन/पुनः अवस्थाबद्ध ऋण वर्ष 1974–75 में 1.53 करोड़ रुपये तथा 1975–76 में 26.85 करोड़ रुपये थे ।

इसके अलावा, राज्य सरकार के परामर्श से दिसम्बर 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए महाराष्ट्र की सहकारी ऋण संस्थाओं संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशो के आधार पर, राज्य में अनिच्छक बकायादारों की पुनर्स्थापना का एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया गया था । इस सिफारिश के अनुसार, उन अनिच्छुक बकाया करों, जो अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों के समय से ऋण का वापसी अदायगी कर सके थे और विभिन्न कारणों से इससे पहले परिवर्तन की सुविधाओं का लाभ न उठा सके थे, को पुनस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पकालीन अतिदेय ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में पुनः अवस्थाबद्ध करने की राहत दी गई थी । वर्ष 1972–73 में, पुर्नस्थापन कार्यक्रम के अर्न्तगत परिवर्तन/पुनः अवस्थाबद्ध की राशि 34.67 करोड़ रुपये थी । इच्छुक बकाया दारों के मामले में राज्य सरकार को शीध्र वापसी अदायगी हेतु कार्यवाही करनी है । महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मई 1977 में दूसरी समिति नियुक्त की है जो सहकारी सोसायटियों के सदस्यों में बकायादारों की समस्या का अध्ययन करेगी ।

"विवरण"

30–6–1976 को बकाया तथा अतिदेय ऋण

(प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी स्तर)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/जिला	30–6–76 को बकाया ऋण	30–6–76 को अतिदेय ऋण	
			कुल (रुपये)	बकाया में अतिदेयों का प्रतिशत
	2	3	4	5
पश्चिमी महाराष्ट्र				
1.	अहमदनगर . .	2139.02	1275.94	59.65
2.	नासिक . . .	1512.57	576.85	38.14

1	2	3	4	5
3.	पुणे . . .	909.45	501.38	55.13
4.	सांगली . . .	1062.76	584.06	54.96
5.	सतारा . . .	730.26	472.43	64.69
6.	शोलापुर . .	1071.16	528.29	49.31
मराठवाडा				
7.	भीर . . .	653.68	369.46	56.32
8.	नान्देद . .	787.87	333.70	42.35
9.	परभानी .	879.83	410.91	46.7 0
विदर्भ				
10.	बुल्धाना . .	653.99	229.34	35.07
11.	नागपुर	746.16	239.08	32.04
12.	वर्धा . .	359.66	91.30	25.39
13.	यवतमाल . .	1145.33	339.65	29.65

गवर्नमेंट लेडी नायस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब, दिल्ली के बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं

6434. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के गवर्नमेंट लेडी नायस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब में अध्ययन कर रहे बच्चों के अभिभावकों की कठिनाइयों से अवगत हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में बधिर तथा मूक बच्चों के लिये यही एकमात्र स्कूल है और बच्चों को इस स्कूल में बहुत दूर-दूर से आना पड़ता है और परिवहन सुविधायें अपर्याप्त हैं ;

(ग) क्या बच्चों के हित के लिये परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये स्कूल प्राधिकारियों को अभ्यावेदन किये गये थे ताकि बसें सभी ओर से उपलब्ध हो सकें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बधिर तथा मूक बच्चों की सुविधा के लिये दिल्ली के सभी प्रमुख क्षेत्र में होकर चार्टर बसें चलाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने जिसका गवर्नमेंट लेडी नायस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब के प्रशासन के साथ सीधा सम्बन्ध है सूचित किया है कि कुछ इलाकों में अभिभावकों को विशेष रूप से जो जमुना पार की बस्तियों अथवा नई बस्तियों के दूर दराज इलाकों में रहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने में कठिनाई होती है । इस स्कूल के प्राधिकारियों को भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

लेडी नायस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब के अतिरिक्त एक स्कूल आल इंडिया डेफ एण्ड डम्ब सोसाइटी द्वारा तेलीवाड़ा दिल्ली में चलाया जा रहा है। बलवन्त राय मेहता विद्या भवन हायर सेकेण्डरी स्कूल, लाजपत नगर नई दिल्ली में भी बधिरों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझते हुए लेडी नायस स्कूल के प्राधिकारी वित्तीय साधनों संचालन व्यवहार्यता के अनुसार बसों को किराए पर लेकर दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो भी यह माना जा सकता है कि दिल्ली जैसे दूर-दूर तक फैले हुए नगर में प्रत्येक इलाके के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व्यवहार्य नहीं हो सकता।

Nehru Yuvak Kendra Branches

***4635. Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up more branches of the Nehru Yuvak Kendra in the country;

(b) the number of branches of the Kendra in the country; and

(c) the number of additional branches proposed to be set up ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (c): The scheme of Nehru Yuvak Kendras envisages setting up of one Kendra in each district. The Kendras, generally, do not have branches. So far, 235 Nehru Yuvak Kendras have been sanctioned. It is proposed to sanction 20 additional Kendras in the current financial year.

गन्ना विकास योजनाएं

4636. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना विकास योजना के लिए वर्ष 1976–77 के लिए राज्यों को कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो अगले वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) : जी हां।

(ख) 8,11,600 रु०

राज्यों के सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन

4637. **श्रीमती वी० जयलक्ष्मी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बाढ़ के जल का तमिलनाडु के रामनाद जिले के तिन्नावेली के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग पर राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के घर के निर्माण की योजना

4638. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा मकान के निर्माण के बारे में 20 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किये गये भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मकान के नक्शे की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ;

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को उस व्यक्ति के नाम का पता है जिससे मकान के लिए भूमि खरीदी गई है ; और

(घ) क्या सरकार के कर्मचारियों को 1976 में वह मकान बनाने के लिए बाध्य किया गया या वहां अपनी इच्छा से काम करने दिया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) तथा (ख) : जी हां, भवन प्लानों की प्रतियां शीघ्र ही संसद के पुस्तकालय में रख दी जाएंगी ।

(ग) गैर सरकारी पार्टियों के नाम जिनसे भूमि खरीदी गई थी, इस प्रकार है :—

(1) सर्वश्री धर्मसिंह तथा संवालिया सुपुत्र श्री बख्तावर, मंगलापुरी निवासी, समीप नांगल देवात (हिन्दी छावनी)

(2) श्री भोला सुपुत्र श्री रामजी लाल, सुल्तानपुर निवासी ।

(घ) इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

किसानों को उर्वरकों और बीजों की सप्लाई

4639. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी योजना के अनुसार किसानों को सीधे खाद और बीजों की सप्लाई कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ख) इस समय बीज और रसायनिक उर्वरक किस मूल्य पर बेचे जा रहे हैं और देश में बीजों और उर्वरकों का कितना स्टाक है; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने में भारतीय बीज निगम और भारतीय उर्वरक निगम क्या भूमिका अदा कर रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसानों को खाद (उर्वरक) और बीजों की आपूर्ति करने की कोई योजना नहीं है । उर्वरकों को राज्य सरकारों, संस्थागत एजेंसियों और गैर सरकारी वितरकों के माध्यम से वितरित किया जाता है । बीजों का वितरण कई एजेंसियों अर्थात राज्य सरकारों संस्थान, सहकारी संस्थाएं,

पंचायतें और गैर सरकारी बीज उत्पादक, राष्ट्रीय बीज निगम, भारत राज्य फार्म निगम और तराई विकास नियम आदि अखिल भारतीय बीज उत्पादक संगठन करते हैं। बीजों को, 'एक किसान से दूसरे किसान को' अदला बदली के आधार पर दिया या बेचा जाता है।

(ख) **उर्वरक** : कुछ प्रमुख आयातित और देशी उर्वरकों के खुदरा मूल्य अनुबन्ध में दिए गए हैं। 31–5–1977 को केन्द्रीय उर्वरक पूल और स्वदेशी विनिर्माताओं के पास उपलब्ध उर्वरकों के भण्डार भी उसमें दिए गए हैं।

बीज : जैसे ऊपर दिए गए भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, देश में बीजों का वितरण असंख्य गैर सरकारी बीज उत्पादकों के अलावा कई एजेंसियों द्वारा किया जाता है। साथ ही, देश में तैयार हुए बीजों की विभिन्न किस्में हैं जैसेकि अनेक प्रकार के पौधों, पेडों, झाडियों, सब्जियों, फसलों इत्यादि के बीज। इनका भी गुणानुसार वर्गीकरण किया जाता है जैसे प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीज, अच्छी कोटि के बीज, सही तरह से चिन्हित बीज और ऐसे बीज जिनका किसी प्रकार से वर्णन नही किया गया। एजेंसियों/किस्मों के बाहुल्य के कारण, देश में उपलब्ध बीजों की सभी किस्मों के भण्डार और मूल्यों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रत्यक्ष रूप से बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है, अतः ऐसी योजना को लागू करने में भारतीय बीज निगम और भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किसी भूमिका को निभाने का प्रश्न नहीं होता।

"विवरण"

अनुबन्ध

कुछ महत्वपूर्ण आयातित और देशी उर्वरकों के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति मीटरी टन)

उर्वरक का नाम	खुदरा मूल्य आयातित ग्रेड	खुदरा मूल्य देशी ग्रेड
1. यूरिया . .	1650	1650
2. **कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट**		
25 प्रतिशत एन . . .	----	1015
26 प्रतिशत एन .	1060	—
3. **अमोनियम सल्फेट**		
100 किलोग्राम के पैक में .	925	925
4. **म्यूरिएट आफ पोटाश** .		
100 किलोग्राम के पैक में . .	795	—

उर्वरक का नाम		खुदरा मूल्य आयातित ग्रेड	देसी ग्रेड
5.	डाई-अमोनियम फास्फैट . .	2210	2210
6.	अमोनियम नाइट्रोफास्फेट		
	20–20–0	1590	1845 (एफ०ए०सी०टी०) 1760 (एफ०सी०आई०)
	24–24–0	2045	2080 (आई० एफ० एफ० सी० ओ०) 2045 (एम० एफ० एल०)
7.	एन पी के		
	15–15–15	1520	1520 (एफ०सी०आई०)
	17–17–17	1810	1810 (एम०एफ०एल०)

31–5–77 को उर्वकों के स्टाक

नाइट्रोजन	8,66,184 मीटरी टन
पी$_2$ ओ$_5$	2,45,626 मीटरी टन
के$_2$ ओ	38,991 मीटरी टन
योग	11,50,801 मीटरी टन

Complaints Regarding Ceiling on Urban Property Act

4640: **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) the number of complaints received by Government in regard to Ceiling on Urban Property Act. :

(b) the particulars thereof and the action taken thereon and the number of persons in Delhi who have filed their returns in this regard ; and

(c) the number of plots in Delhi acquired by Government under this Act ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) 291 representations were received against the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, so far.

(b) Out of these, 147 dealt with the following matters : --

(i) that building plans are not being approved ;

(ii) that difficulties are being experienced in transfer of land and property in view of sections 26 and 27 of the Act and in registration of documents relating to transfer ;

(iii) that delay in scrutiny of statements filed under section 6 of the act is causing undue hardship ; and

(iv) that exemptions under section 20 of the Act are not being granted by the State Governments expeditiously.

As the Act is being implemented by th State Governments concerned, these representations were acknowledged and forwarded to the State Governments concerned for appropriate action. Wherever necessary, suitable guidelines were issued to State Governments.

144 dealt with the suggestion that the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 should be repealed or amended drastically. These were acknowledged. No decision has been taken on the lines on wihich the Act should be amended.

In the Union territory of Delhi, it has been reported, that 7811 statements have been filed under section 6 of the Act.

(c) None, Sir.

भटिण्डा जिला (पंजाब) में वक्फ-सम्पत्ति के बारे में मुकदमें और अपीलें

4641. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिण्डा जिला (पंजाब) के न्यायालयों में वक्फ-सम्पत्ति के बारे में ऐसे कितने मुकदमे अथवा अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार अथवा कस्टोडियन आफ इण्डिया एक पार्टी है;

(ख) ऐसी प्रत्येक अपील में कितने मूल्य की सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त है, पार्टियों के नाम क्या हैं, विवाद की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा प्रत्येक मुकदमा अथवा अपील कब से अनिर्णीत पड़ी है; और

(ग) उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भटिण्डा (पंजाब) जिला के न्यायालयों में वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित ऐसा कोई मामला या अपील निलम्बित नहीं है जिस में केन्द्रीय सरकार या परिरक्षक निष्क्रांत सम्पत्ति, भारत एक पार्टी हो।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ, दमण और दीव में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास की कमी

4642. **श्री अमृत कासर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों को गोआ में आवास की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जो अन्य राज्यों से गोआ, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गोआ में आवास की इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस आवास की समस्या के कारण केन्द्रीय सरकार के अधिकारी गोआ में रहने में आनाकानी करते हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति गोआ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिनमें अन्य बातों के साथ साथ इस बात का वर्णन किया गया है कि गोआ में विशेषकर पणजी, मार्गो तथा वास्को इन तीन मुख्य शहरों में रिहायशी वास की नितान्त कमी है जिसके कारण जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्थानान्तरण होने पर गोआ आते हैं वे अपने स्तर के अपने लिए आवास किराये पर लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं ।

(ख) सरकार ऐसे स्थानों पर अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल वास के मकानों का निर्माण करती है जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं अथवा जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है । देश के कई भागों में गोआ से भी अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संकेन्द्रण है किन्तु वहां केन्द्रीय सरकारी सामान्य पूल वास नहीं है । और अधिक शहरों में मकानों के निर्माण के बारे में निर्णय करने के लिए पणजी सहित देश के अनेक शहरों की आवास की मांग के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बोनस का भुगतान

4643. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को बोनस देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण एक स्थानीय प्राधिकरण होने के कारण उसे बोनस की अदायगी अधिनियम के अधीन बोनस की अदायगी से छूट दे रखी है ।

दाखिले के लिए प्राइवेट कालेजों द्वारा दान की राशि प्राप्त करना

4644. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक प्राइवेट कालेज अपने यहां छात्रों को दाखला देने के लिए दान ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट रवैये को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंन्द्र चन्दर):(क) सरकार को कर्नाटक की केवल उन कुछेक इंजीनियरी संस्थाओं का पता है जो छात्रों को, उनके द्वारा दिए गए धन के आधार पर दाखिला देती हैं।

(ख) ये प्राइवेट संस्थायें केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं और न ही ये राज्य सरकार की सहायक अनुदान संहिता में शामिल हैं। तथापि, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को यह सलाह दी गई है कि उनके द्वारा उन संस्थाओं को सम्बद्धता उस समय तक स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जब तक निर्धारित स्तर की अनुशात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो जाते।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff working in the Works and Housing Department

4645. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) the number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes working on posts of various categories in the Works and Housing Department ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government for filling the posts reserved for the scheduled castes and scheduled tribes ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) A Statement showing the number of Scheduled Castes and Schedules Tribes employees working in various categories of posts in the Secretariat of the Ministry of Works and Housing is enclosed.

(b) Direct recruitment to various posts, other than Group 'D' posts, are made through the Department of Personnel and Administrative Reforms. the number of vacancieslin each category including the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities, are notified annually to that Department. Nominations to these posts are made by that Department according to availability.

STATEMENT

Statement showing the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various categories of posts in the Secretariat of the Ministry of Works & Housing

Sl. No.	Category of Posts	No. of employees blonging to the Scheduled Castes community	No. of employees belonging to the Scheduled Tribes community
1	2	3	4
1	Under secretaries and above	1	..
2	Section Officers	2	
3	Assistants	10	..

1	2	3	4
4	U. D. Cs. .	7	
5	L. D. Cs. .	5	
6	Research Assistants	1	
7	Staff Car Driver	1	
8	Despatch Rider .	1	..
9	Class IV Staff .	20	1
10	Other Categories		

अपर कंसावती परियोजना (पश्चिम बंगाल)

4646. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपर कंसावाड़ी परियोजना और अपर दरकेश्वर परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). परिश्चम बंगाल सरकार ने अपर कांसवती परियोजना के बारे में एक परियोजना-रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और उस पर टिप्पणियां राज्य सरकार को जून, 1977 में भेज दी गई थी ।

इस परियोजना से 22.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बांकुरा और पुरुलिया जिलों में लगभग 59,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी ।

अपर दरकेश्वर परियोजना के बारे में राज्य सरकार से अभी तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

Lift Irrigation from Tenu and Konar Dams

†4647. **Shri Ram Das Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to arrange for lift irrigation from Tenu and Konar dams of hill areas of Chhota Nagpur (Bihar) where irrigation by canals and to certain extent from wells is not possible;

(b) if so, when; and

(c) if not, the justification therefor and what can be the other means of irrigation in Chhota Nagpur?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c). Irrigation being a State subject, irrigation projects are planned, investigated, formulated and implemented by the State Governments. The Government of Bihar have not submitted to the Central Water Commission any scheme for lift irrigation from Tenu and Konar dams for the hill areas of Chhota Nagpur. However, the State Government have proposed one major and two medium irrigation schemes namely Konar Division Scheme, Gobai Barrage Scheme and Khudia Irrigation Scheme to provide irrigation facilities to the area in the Hazari Bagh and Dhanbad Districts of Chhota-Nagpur. In addition, irrigation facilities are engvisaged from the Tenughat Dam Project to an area of about 1600 ha. in the Dhanbad-Siridih tribal belt.

Loans to Small Farmers through Land Development Bank in U.P.

4648. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Land Development Banks advances loans for tractors only to those farmers who own 12z acres of land as a result of which the farmers owning land less than that area of land are deprived of this facility; and

(b) if so, whether the Central Government are making arrangements to provide loan facility to farmers owning small land holdings for tractors through Uttar Pradesh Land Development Bank?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b). The Uttar Pradesh Cooperative Land Development Bank advances loan for tractors only to those farmers who own 12½ acres of land and the farmers owning land less than 12½ acreas are not entitled to get loan for tractors singly. But the small farmers having less than 12½ acreas land are allowed group loans with the condition that the total land offered for mortgage to the Bank by the members of the group is not less than 12½ acres of double cropped land.

Expenditure on Primary, Secondary and Higher Education

†4649. Dr. Ramji Singh : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the expenditure being incurred on the primary secondary and higher education (including technical and university education and research) separately;

(b) whether the above mentioned expenditure is being incurred in a proportionate manner if not, whether Government propose to set right the disproportionate expenditure in national interest; if so, how; and

(c) the total revenue from cess on education being realised by Government and whether a proportionate expenditure is being incurred by Government on the class of people from which it is being realised?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The budgeted expenditure for 1976-77 Revenue Account on Primary, Secondary and Higher Education in respect of States/U. Ts. as well as the Centre is as follows :—

(Rs. in thousands)

Primary Education	8660650
Secondary Education	5800512
Higher Education (incl. Technical and University and research)	3665395

(b) States decide their own expenditure patterns depending upon their requirements.

(c) There is no Central cess on education.

Intensive Sheep Breeding Programme In M. P.

4650. **Shri Laxmi Narayan Naik** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Tikamgarh and Chhatarpur districts in Madhya Pradesh have been selected for intensive sheep breeding programme;

(b) if so, the main features of the programme prepared therefor;

(c) whether goat breeding is also covered under this programme; and

(d) when this programme wasstarted and the estimated annual amount sanctioned therefor?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजोरी गार्डन, डी० डी० ए० कालोनियों में वसूल की जाने वाली पानी की दरें

4651. **श्री जगन्नाथ शर्मा:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डी०डी०ए० कालोनी, राजौरी गार्डन (जी-8 क्षेत्र) में पानी की क्या दरें वसूल की जाती हैं ;

(ख) कि वे दरें दिल्ली नगर निगम द्वारा वसूल की जाने वाली दरों से चार गुना अधिक हैं;

(ग) इन बढ़ी हुई दरों के क्या कारण हैं ; .

(घ) क्या इन कालोनियों को लोक कल्याण एजेंसियों के व्यक्ति उप-सभापति से मिले थे और क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन दरों को भूतलक्षी प्रभाव से कम किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक निवासियों को परेशान न करें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण 1 अक्तूबर, 1976 से मीटर वाली जलपूर्ति के लिए 70 पैसे प्रति कि० लीटर ले रहा है और बिना मीटर वाली जलपूर्ति के लिए 20 रुपये प्रति फ्लैट ले रहा है ।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं । तथापि, दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में अधिक मात्रा वाली सप्लाई के लिए प्रभार घटा दिए हैं और इसी के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण भी प्रभार घटा देगा ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे किसी आश्वासन के बारे में पता नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Conversion of Desert Land into Fertile Land

4552. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any programme to convert barren and desert land into agricultural land with a view to promote agriculture in the country;

(b) if so, the expenditure to be incurred on this account during the current financial year; and

(c) the barren and desert land to be converted into cultivable land under the programme?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir. The Government have the following programmes in operation to improve barren and desert lands and to bring them under cultivation with a view to promote agriculture in the country:—

1. The Rajasthan Canal Project aims at providing irriga ion facilities in large portion of Thar desert in Rajasthan which would help to improve the desert area for agricultural production.

   Some Irrigation schemes in Haryana and Gujarat will also provide irrigation facilities to parts of desert areas in these States.

2. Under the Command Area Development Programme in the Rajasthan Canal area, desert lands are being developed for agriculture by proper utilization of irrigation, on-farm development and agricultural supporting services. Afforestation, plantation of shelter belt development of pastures and firewood plantations are also being carried out.

3. Drought-Prone Area Programme is in operation in nine desert districts of Rajasthan, parts of two desert districts of Gujarat and two desert districts of Haryana. Under the scheme, an integrated area programme for treating the agricultural lands with soil conservation measures, providing irrigation facilities, afforestation, pasture development, etc. are being taken up.

4. A scheme of desert development has been initiated by the present Government in the current year with a view to restore ecological balance and to raise productivity in the areas. The programme also envisages to raise the income and employment levels of the small and marginal farmers as well as agricultural labourers.

5. A Centrally Sponsored Scheme for amendment of alkali (usar) soils is in operation in the States of Uttar Pradesh, Punjab and Haryana. Similar scheme for amendment of acidic soils with a view to improving their productivity has been taken up the States of Kerala, Karnataka, Assam, Orissa, Bihar and West Bengal. The sc emes provide subsidy on the cost of amending material at the rate of 50% for small farmers and 25% for others.

6. Under the Central Sector Scheme of Pilot Projects for protection of table lands and stabilization of ravinous areas in Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh shallow and broad ravines are reclaimed for agriculture and horticulture. The medium and deep ravines are stabilized through afforestation and structures.

(b) and (c). The expenditure to be incurred under various schemes during 1977-78 and the barren and desert land to be improved into cultivable land under the programmes are indicated in the table below:

Scheme	Expenditure likely to be incurred during 1977-78 (Rs. in lakhs.)	Area to be covered under the programme
1. Rajasthan Canal Project .	280·00 (For engineering works)	Under the project, which is being taken up in two stages, a total of 5·4 lakh hectares under Stage I and 7·6 lakh

1	2	3
		hectares in Stage II will be provided with irrigation facilities covering parts of districts of Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer, Churu, Nagore, Jodhpur and Barmer.
2. CAD programme in Rajasthan Canal Area.	1,729·83	Two lakh hec. under irrigation and 35,000 hec. non-irrigable sand dunes to be developed into pastures.
3. DPAP in desert districts.	1,114·05	Districts of Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Nagaur, Churu, Jodhpur, Jalore, Pali and Jhunjhunu (Chirwa and Jhunjhunu) in Rajasthan, Banaskantha (Tehsils of Vav, Thorad, Deodar, Radhanpur and Santalpur), Mehsana (Tehsils of Sami and Harij) in Gujarat and (Bhiwani, Dadri and Loharu Tehsils) and Rohtak (Jhajjar Tehsil) in Haryana will be covered in an integrated manner for over all development of agriculture along with pasture lands.
4. Desert Development programme	610·00	All the hot desert districts of Rajasthan, Gujarat and Haryana and the cold arid region of Ladakh and Lahul and Spiti districts of Himachal Pradesh.
5. Centrally Sponsored Scheme for amendment of alkali and acidic soils.	343·00	64,000 hac. of alkali soils and 1.30 lakh hac. of acidic soils to be reclaimed in the Fifth Plan.]
6. Central Scheme of pilot projects for protection of table lands and stabilisation of ravinous areas.	150·00	Out of 24,000 hac. land expected to be covered 4,000 hac. is likely to be reclaimed for agriculture and horticultural purposes and will be provided with irrigation.

Dam on Haren River in Rajasthan

†4653. **Shri Heera Bhai :** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether survey is being conducted for the construction of a dam on the Haren river in Tehsil Kushalgarh in district Banswara in Rajasthan;

(b) if so, the time by which this dam is likely to be completed; and

(c) the area of land which will be submerged and the acreage of land which will be brought under irrigation as a result of construction of this dam and whether a copy of the list containing this information will be laid on the Table of the House?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The State Government have intimated that after surveys which are in progress, and estimation, the project estimate for the scheme would be submitted for clearance to the Centre and work would be taken on availability of funds. Details about the areas to be submerged, area that will be irrigated and time of completion would be available only after the Project estimates have been framed.

झुग्गी निवासियों के यमुना पार कालोनियों में स्थानान्तरण के दौरान मौतों के मामले

4654. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गी निवासियों को आपातस्थिति में यमुना-पार बस्तियों में स्थानान्तरित करने के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) उन लोगों को बलपूर्वक अपने स्थानों से हटाने के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) स्थानान्तरण के दौरान जिन परिवारों के केवलमात्र कमाने वाले मरे, उनकी क्षति-पूर्ति देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग). यह मामला तथ्य अन्वेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आ जाएगा और इस समिति के जांच-परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

Pensioners Among Refugees of 1971 Indo-Pak War

4655. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of pensioners among the refugees who crossed over to India during 1971 Indo-Pak War; and

(b) whether Government have considered the question of continuance of their pension for life time?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) Among the displaced persons who crossed over to India from Pakistan during the 1971 Indo-Pak conflict, 18 cases of pensioners have so far been brought to the notice of Government.

(b) Government is examining this question. However, the pensioners staying in the relief camps have been receiving the same assistance as other displaced persons.

थाली, तमिलनाडु में आलू बीज केन्द्र

4656. **श्री पी०बी० पेरियासायी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आलू के बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में खाली स्थान पर आलू बीज केन्द्र स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) केन्द्र की अन्य प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के थाली नामक स्थान पर आलू के बीजों का केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

बड़ी मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं

4657. **श्री वेणु गोपाल मोडर :** क्या **कृ[ि] और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और तमिलनाडु में बड़ी/मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के पूरी होने में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) भारत और तमिलनाडु में वर्तमान योजना अवधि में आरम्भ की गई नई बड़ी मध्यम की सिंचाई योजनाओं की प्रगति क्या है ; और

(ग) योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित के लिये 'मोनीटरिंग आर्गेनाइज़ेशनों' ने परियोजना राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर क्या योगदान दिया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अन्ततः 14.6 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता वाली बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमें, जिनमें तमिलनाडु की 1.35 लाख हैक्टेयर की शक्यता वाली स्कीमें भी शामिल हैं, पिछली योजनाओं से पांचवीं योजना में आगे लाई गईं थीं। इन स्कीमों से अब तक 8 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता सृजित की गई है, जिसमें तमिलनाडु की स्कीमों से 1.12 लाख हैक्टेयर की शक्यता शामिल है।

(ख) चालू योजना के दौरान क्रियान्वित करने के लिए जो बड़ी और मध्यम सिंचाई स्कीमों को हाथ में लिया गया है उन से अन्ततः 4.3 मिलियन हैक्टेयर की शक्यता सृजित होगी ; इसमें से 0.1 मिलियन हैक्टेयर की शाक्यता सृजित हो चुकी है। तमिलनाडु में ऐसी स्कीमों से अन्ततः सृजित होने वाली शक्यता 20,000 हैक्टेयर है और इनसे सिंचाई के लाभ अभी प्राप्त होने आरम्भ नहीं हुए हैं।

(ग) मानिटरिंग संगठन भौतिक और आर्थिक प्रगति एवं कार्यक्रमों के बारे में और धनराशि, मुख्य निर्माण सामग्री, संयंत्र और मशीनरी आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करके इनका मिलान और विश्लेषण करती है। गहरी मानिटरिंग द्वारा चुनी हुई परियोजनाओं के विभिन्न अवयवों की प्रगति के बारे में सभी सम्बद्ध अधिकारियों को परिचित कराया जाता है और यदि प्रगति के मार्ग में कोई रुकावट हो तो उसे तुरन्त दूर कराया जाता है और इस प्रकार स्कीमों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाती है।

लेकिन अभी कई राज्यों द्वारा राज्य और परियोजना स्तरों पर मानिटरिंग यूनिटों की स्थापना की जानी है।

धान की उत्पादन लागत

4658. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार के अन्तर्गत गोडावनी डेल्टा थनजावोर, पालघाट, कुट्टावाड (निजी खेती) और कायल भूमियों में गत तीन वर्षों में धान की एक क्विंटल की औसतन उत्पादन लागत कितनी रही ; और

(ख) क्या सरकार कुट्टावाड में किसानों को सहायता देने की किसी योजना को प्रोत्साहन देगी और उन के भारी लागत-भार कम करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रमुख फसलों की खेती करने की लागत का अध्ययन करने के लिए वृहत योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि की ओर से आयोजित खेती की लागत सम्बन्धी अध्ययन, इस प्रश्न में विशेष रूप से उल्लिखित क्षेत्रों के लिए धान के उत्पादन की लागत के अनुमान अलग से प्रदान करने के आशय से नहीं किये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा कुट्टानाड में "कायल" भूमि की प्रत्यक्ष खेती नहीं की जाती। कयामकुलम कायल के एक भाग को कृषि योग्य बनाया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा सुधारी हुई भूमि पर परीक्षणात्मक आधार पर खेती की जा रही है। सुधार का कार्य अभी चल रहा है।

(ख) कुट्टानाड में कृषकों की सहायता करने हेतु सरकार पम्पों के लिए साहाय्य दे रही है। तथा मृदा सुधारों के लिए 50 प्रतिशत साहाय्य दे रही है। इसके अतिरिक्त, स्थानिक भारी योजना के अधीन कीटनाशियों की लागत के रूप में 60 रु० प्रति हैक्टेयर और उनके प्रयोग करने के खर्च के रूप में 7.50 प्रति हैक्टेयर दिये जाते हैं। इसके अलावा पम्पसैटों के निःशुल्क सम्भरण की एक योजना भी कुट्टानाड में चल रही है।

Accord on Bansagar Dam.

†4659. **Shri Ramapati Singh** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether an agreement was reached among the State Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar on Bansagar for resolving for some river water dispute in 1973.

(b) whether only 7·75 million acre feet of water was allocated against the demand made by Bihar;

(c) whether the water has not been shared properly as per the Bansagar agreement;

(d) whether all the proposed schemes as well as submitted schemes for making available the allocated water of 7·75 million acre feet to Bihar as per the Bansagar agreement have not been approved so far; and

(e) whether Government propose to make immediate arrangements to provide irrigation facilities and enure increased agriculture production in Bihar?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) to (c). An inter-State agreement on Bansagar Project and the use of Sone waters was reached amongst the States of Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh in September, 1973. According to this agreement, Bihar is entitled to 1 m.a., ft. of water from Bansagar storage. Bihar's irrigation requirements in the Sone basin were accepted as 8·00 m.a. ft. of water, of which 7·75 m.a. ft. was allocated from Sone River which could be supplemented to the extent of 0·25 m.a. ft. by pumping from Ganga. Projects in Sone Basin depending on the availability of 8·00 m.a. ft. were agreed to be sanctioned for Bihar.

(d) Bihar Government have indicated the projects with total utilisation of 7·75 m.a. ft. The State Government have been requested to modify their reports accordingly.

(e) Irrigation is a State subject and irrigation schemes are planned and executed by the State Governments within their developmental plans. The fifth Plan envisages creation of additional irrigation potential of 14·1 lakh hectares—4·7 lakh ha. from major and medium and 9·4 lakh ha. from minor schemes in Bihar. The State Government has been requested to accord priority to the irrigation development and provide necessary funds and other inputs for that purpose. Advance Plan assistance of Rs. 5 crores in 1975-76 and Rs. 3 crores in 1976-77 was given to Bihar for accelerating work on Gandak project.

Intensive Farming of Chironji.

4660. **Shri R. L. P. Verma :** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether intensive farming of chironji can be done and whether any research has been conducted on this;

(b) whether the chironji traders purchase chironji from the adivasis at Rs. 5 or Rs. 6 per kilo and sell it at Rs. 20 to Rs. 25 per kilo; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to ensure fair price to these Adivasis?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) Yes Sir. It is possible to undertake intensive farming of Chironji, which at present is collected as a fruit from wild growing trees of *Buchanania latifolia* in Madhya Pradesh. No organised research has so far been conducted in this regard.

(b) No information is available.

(c) The matter is being brought to the notice of the State Govt. of Madhya Pradesh where chironji is mainly collected by Adivasis and licenced contractors.

चीनी के कोटे का न उठाया जाना

4661. **श्रीमती मृणाल गोरें** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने दिये गये 15,000 टन के चीनी के अतिरिक्त कोटे से उत्तर प्रदेश से 9,000 टन तथा महाराष्ट्र से 1,500 टन चीनी मिलों से उठायी ही नहीं थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि चीनी के इस कोटे को न उठायें जाने से चीनी के मूल्यों में आशानुसार कमी नहीं हुई ; और

(ग) उन थोक विक्रेताओं के विरुद्ध जो सरकार तथा जनता के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार का विचार कौन से सख्त कदम उठाने का है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अधिकाँश फैक्ट्रियों ने जून, 1977 (2-6-1977 को निर्मुक्त 15,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा समेत) के लिए निर्मुक्त खुली बिक्री की चीनी के 1.20 लाख मीटरी टन के समूचे कोटे के प्रति न उठाई गई मात्रा के बारे में सूचित किया है। उक्त 1.20 लाख मीटरी टन में से 44,427.3 मीटरी टन उत्तर प्रदेश की 73 फैक्ट्रियों और 34,215.9 मीटरी टन महाराष्ट्र की 55 फैक्ट्रियों को निर्मुक्त किया गया था। इसके प्रति उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों ने 8,004 मीटरी टन के कोटे रद्द किए जाने के बारे में सूचित किया है जबकि महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों ने रद्द किए कोटे की कोई भी मात्रा नहीं बताई है।

(ख) चीनी के मूल्य में पीछे काफी समय से जो कमी का रुख आया था उसे जून, 1977 और चालू जुलाई माह में भी बनाए रखा गया है। दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसी पांच प्रमुख मण्डियों में 31 मई, 1977 को चीनी के थोक मूल्य 400 रुपये से लेकर 420 रुपये प्रति क्विंटल तक थे। मूल्यों में आगे और भी नरमी आई और वे 15-7-1977 को 397 रुपये से लेकर 415 रुपये प्रति क्विंटल तक थे। एक वर्ष पहले के मूल्य काफी अधिक थे और 15-7-1976 को 460 रु० से लेकर 504 रुपये प्रति क्विंटल तक थे।

(ग) थोक व्यापारियों द्वारा खुली बिक्री की चीनी के पर्याप्त स्टाक रखने की बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है क्योंकि राज्य सरकारें ही थोक व्यापारियों को लाइसेंस देती हैं और उनके कार्यचालन को विनियमित करती हैं। तथापि, राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे लाइसेंसशुदा व्यापारियों को यह अनुदेश जारी करें कि वे खुली बिक्री की चीनी पर्याप्त स्टाक रखें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

G. D. R. Scholarships

4662. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the **Minister of Education, Social Welfare and culture** be pleased to state:

(a) whether any selection has been made for G.D.R. Scholarships for 1977-78.

(b) if so, the number of applications received from the candidates in this connection and the number of candidates out of them called for interview;

(c) the cases among the selected candidates in which seniority and experience were accorded priority;

(d) whether the Selection Committee for G.D.R. Scholarships, 1977-78 was appointed even before the Janata Government was formed; and

(e) if so, the details of the final decision taken by the Selection Committee?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) Yes, Sir.

(b) 97 applications were received and 17 candidates were interviewed.

(c) While making the selection, the Selection Committee took into consideration the candidate's age, academic qualifications, professional/practical experience in sports, general performance in the interview, personality, aptitude, mental acumen etc.

(d) The Selection Committee was constituted on 11th December, 1976. The G.D.R. Government wanted the nominations to be sent to them by 31st March, 1977.

(e) The following were the recommendations of the Committee:—

		Number selected	Number in Reserve List
1.	Track & Field Athletics	2	1
2.	Sports Education	1	—
3.	General Theoretics & Methodics of Sports Training	2	1
4.	Gymnastics.	1	1

Crossing of Efficiency Bar by Employees of Education Directorate, Delhi

†4663. **Shri Shiv Narain Sarsonia :**
Shri Ugrasen:
Shri Kalyan Jain:
Shri Chaturbhuj:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Education Directorate, Delhi Administration had not allowed their employees to cross the efficiency bar during the Emergency period and if so the reasons therefor; and

(b) the steps being taken by Government to allow them to cross efficiency bar and the time by which they will be allowed to cross it?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b). The information is being collected from Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

पुद्दकोट्टाह जिले (तमिलनाडु) में मन्दिरों की सुरक्षा तथा उनका नवनिर्माण

4664. **श्री वी०एस० एलनचेजियन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के पुद्दकोट्टाह जिले के ऐतिहासिक स्मारकों से सम्पन्न पर्यटक आकर्षक केन्द्र के रूप में महत्व से परिचित है ;

(ख) क्या कोदम्बालूर मुवारकोइल, चित्तन्ना बसाल तथा वसालूकोहल जैसे स्मारक लगभग जीर्णावस्था में हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्मारकों का संरक्षण करने तथा इनका नवीनीकरण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) यह स्मारक केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित है तथा इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ।

चन्द्रभान शिविर आरोहण के लिये पर्वतारोही दल

4665. श्री पी०के० कोडियान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रभान 49 तथा 50 शिखरों पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोही दल के दो सदस्यों की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और दो सदस्य घायल हो गये थे ;

(ख) क्या जिन दो सदस्यों की मृत्यु हुई उनमें से एक श्री एस०के० मेंदीरता बिना किसी चिकित्सा सहायता के तीन दिन तक घायल पड़े रहे ;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि इस दल के पांचों सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने किसी भी प्राथमिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और दल के नेता के पास उच्चतर पर्वतारोहण डिग्री भी नहीं थी ;

(घ) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आयी है कि दल के पास पूरा साज-सामान नहीं था और चिकित्सा सुविधायें भी उनके पास नहीं थीं ;

(ङ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच कराई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चद्र) : (क) से (घ). दिल्ली पर्वतारोहण संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभियान के दो सदस्यों की मृत्यु हो गई थी तथा दो हिमखलन से जख्मी हो गए थे। टीम के दो सदस्यों ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग से प्राथमिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम किया हुआ था। इसके अतिरिक्त नेता, कप्तान स्वदेश कुमार ने भी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग से प्राथमिक पाठ्यक्रम किया हुआ था और वह चार मुख्य अभियानों के सदस्य रह चुके थे। किसी अभियान के नेता के लिए उच्च पाठ्यक्रम किया होना आवश्यक नहीं है। अन्य तीन सदस्य शैलारोहण शिविरों में भाग ले चुके थे तथा उन्होंने ऊंची ऊचाई की ट्रेंनिग व्यापक रूप से कर रखी थी। दल के पास पूरा साज-सामान था तथा उन्हें पूरी चिकित्सा किट प्रदान गई थी।

(ङ) से (च). हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करवाएं।

भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अमरीका में प्रसार

4666. श्री डी०वी० चन्द्रगोडा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्में, संगीत और नृत्य अमरीका में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका में, विशेषकर बड़े नगरों में, थियेटरों की स्थापना करके भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रसार हेतु कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय फिल्में, संगीत और नृत्य अमेरिका में लोकप्रिय हो रहे हैं ।

(ख) भारत सरकार का अमेरिका के नगरों में थियेटरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Use of Chemical for Purifying Drinking Water

4667. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the chemical used for purifying drinking water in Delhi has become a health hazard;

(b) the name of that chemical used for purifying the water and its quantity used for the purpose; and

(c) whether Government got the water tested and if so, by whom and the result thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):(a) to (c). The chemical used for purifying the water is named as 'Quick Flok polymix Grade 'A'. It was being used in very small doses (average dose below 0·1 mg per litre) in conjuction with comparatively much higher dosage of alum. The water was being tested regularly by the Laboratory of the Water Supply and Sewage Disposal Undertaking and also by the Public Health Laboratory of the Municipal Corporation of Delhi. However, the question whether the use of the chemical should be continued was considered in consultation with the Adviser Central Public Health and Environmental Engineering Organisation. He advised that the use of the chemical could be continued provided:

(i) that Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking could make sure that the chemical was a polymer of acrylamide only and

(ii) testing facilities were available to check the acrylamide content before every day's application.

As it was not possible for the Undertaking to make sure that the chemical was a polymer of acrylamide only and also to check acrylamide contents before every day's application in different treatment plants, further use of the chemical has been stopped

Loans for Farmers from a single Cooperative Society

4668. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to arrange loans for farmers from a single Cooperative Society and if so, the main features thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government thereon:

(c) whether a society has been formed for the purpose and if so, the name thereof and when it has been formed and the work done by this society so far; and

(d) whether farmers have to know the doors of different societies for meeting their requirements and the action proposed to be taken by Government in this regard.

The Minister of Agricultur and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) to (d): It is an accepted principle that the farmers should be enabled to get credit, supphes and services at a single contact point. In accordance with this and in pursuance of the recommendations of the National Commission on Agriculture, State Governments have been advised to organise Farmers' Service Societies in selected areas, and large-sized multi-purpose societies called LAMPS in the tribal areas. Both the Farmers' Service Socities (FSSs) and the LAMPS are expected to provide all types of credit to the farmers and undertake supply of inputs and essential consumer goods, and marketing of agricultural produce among other things. The Farmers' Service Societies can be attached to commercial banks or good working cooperative banks. They should have a full-time professional Managing Director and be supported by technical staff. To ensure that the interests of small and mar.inal farmers and tribals are adequately protected, two-thirds of the Directors in the Board of Management of the FSSs and at least a majority of the Directors in the Board of Management of the LAMPS are small farmers and tribals respectively. According to information available, 520 Farmers' Service Societies and 827 LAMPS have been organised so far in the country. The State-wise list is given in annexure. Information of name, date of formation and work done socilty-wise is not available.

Besides this, State Governments have also been advised to reorganise the existing primary agricultural credit societies into viable ones with full-time paid secretaries, capabll of providing integrated credit and services of the farmers. Though at present Primary agricultural credit societies provide only short-term and medium-term loans, the question of utiising the well-organised primary societies for providing long-term loans is under consideration in consultation with the State Governments.

Statement

Societies and large sized multi-purpose Societies set up so far.

Sl. No.	States	No. of F.S.S. organised	No. of LAMPS organised
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	31	..
2	Assam	..	
3	Bihar	5	32
4	Gujarat	33	..
5	Haryana	6	—
6	Himachal Pradesh	..	
7	Jammu & Kashmir	1	..
8	Karnataka	214*	—
9	Kerala	9	..
10	Madhya Pradesh	84	689
11	Maharashtra	18	38
12	Manipur	2	..
13	Meghalaya	..	..
14	Nagaland	2	..
15	Orissa	1	44

*Including 114 Sericulture Farmers Service Cooperation Societies.

1	2	3	4
16	Punjab	..	
17	Rajasthan	6	
18	Tamil Nadu	12	
19	Tripura	1	
20	Uttar Pradesh	51	
21	West Bengal	37	24
22	Goa, Daman & Diu	2	
23	Pondicherry	1	..
24	Delhi	4	
25	Other Union Territories	...	..
		520	827

Interest on Loans advanced by Cooperative Banks

4669. **Shri Manohar Lal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reduce interest on loans advanced by cooperative banks as has been done in case of interest on saving bank accounts; and

(b) if so, by what time?

The Minister of Agriculture and Irrigation (**Shri Surjit Singh Barnala**) : (a) and (b). There is no proposal at present under consideration to reduce the interest rates on loans/advances in general by Cooperative Banks.

वर्ष 1975 के दौरान मरमागोग्रा पत्तन में भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की हड़ताल के कारण हानि

3670. **श्री बापूसाहिब फालबर** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोग्रा के मरमागोग्रा पत्तन में 23-3-75 से 14-5-75 तक भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों के 200 श्रमिकों की ग्रवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को लगभग 12 लाख रुपये की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों के श्रमिकों की मांगें स्वीकार करने से यह भारी हानि घटकर कुल 3 लाख 60 हजार रुपये रह सकती थी क्योंकि इस ठेके की समस्त ग्रवधि में ग्रर्थात् 14-12-73 से 18-12-76 तक के दौरान श्रमिकों की मांगों की कुल राशि से भारतीय खाद्य निगम का दायित्व केवल 3 लाख 60 हजार रुपये ही बढ़ता ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने ग्रौद्योगिक शान्ति बनाये रखने की बजाय चार गुना हानि सहन करना क्यों पसन्द किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति किया जाना

4671. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं; और

(ख) भारत सरकार इन परियोजनाओं को कब स्वीकृति देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 322 नई बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं और इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न चरणों में उनकी जांच की जा रही है ।

(ख) इनमें कई परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय जल आयोग,कृषि विभाग तथा वित्त मंत्रालय की टिप्पणियां राज्य सरकारों को भेजी गई हैं और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है । इनमें से कुछ स्कीमों में अन्तर्राज्यीय पहलू भी शामिल हैं ।

राज्य सरकारों से उत्तर शीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा उनके बारे में शीघ्र कार्रवाई कराने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं । परियोजनाओं के तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक रूप में सक्षम पाए जाने, कुछ परियोजनाओं में शामिल अन्तर्राज्यीय पहलुओं के सुलझ जाने और साधनों के उपलब्ध हो जाने पर ही इन्हीं राज्यों को विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए मंजूरी दी जाएगी ।

धान के पौधों का पुनः रोपण

4672. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में धान के पौधों का कितना प्रत्यारोपण किया गया; और

(ख) क्या बिजली की कमी से नर्सरियां तैयार करने और धान के पौधों के पुनः रोपण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पंजाब में 90 प्रतिशत धान का रोपण पूरा हो गया है और इस वर्ष फसल की सम्भावनायें गत वर्ष की तुलना में बेहतर दिखाई देती हैं । हरियाणा में इस वर्ष उतने ही क्षेत्र में चावल की खेती किए जाने की आशा है, जितने में गत वर्ष की गई थी । तथापि, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में जून के अन्त तक रोपित क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में कम हैं ।

(ख) पंजाब में नर्सरियों की बुवाई और धान के रोपण पर बिजली की कमी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा, क्योंकि सरकार ने कृषि के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की थी। हरियाणा में नर्सरियों की ठीक समय पर बुआई की गई थी, किन्तु रोपण कार्यों में लगभग एक सप्ताह से दस दिन तक का विलम्ब हो गया। उत्तर प्रदेश में भी रोपण में कुछ सीमा तक विलम्ब हो गया है।

ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा

4673. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टाफ कालेज आफ एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने 'सशक्त सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक कारणो से आवश्यकताओं को ग्रामीण विकास के साथ जोड़ने के बारे में सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था की 'ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा' पर मुख्य सिफारिशें क्या हैं, तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) एशियन सेन्टर आफ एजूकेशनल इन्नोवेशन फार डेवलपमेंट और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के कहने पर शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली ने "ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा" नामक विषय पर दिसम्बर, 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि "सशक्त सामाजिक, आर्थिक और शक्षणिक कारणों से शिक्षा को ग्रामीण विकास के साथ जोड़ देने की आवश्यकता है।"

(ख) सिफारिशों के सारांश सहित विवरण संलग्न हैं। समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा इनकी जांच की जाएगी।

विवरण

ामीण विकास के लिए शिक्षा पर सम्मेलन की सिफारिशों का सारांश

गरीब ग्रामीण के हितों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हें विकास कार्यक्रमों में लगाने की नोति होनी चाहिए और उनमें आत्मनिर्भरता विकसित करने का उद्देश्य होना चाहिए। इन परिणामों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के प्रमुख एजेंसी के रूप में, प्रभावी ढंग से विकास के साथ जोड़ दिया जाना था ताकि शैक्षणिक और विकासात्मक एजेंसियां पारस्परिक सुदृढ़ सामर्थ्य से आशाजनक परिणाम दे सकें।

प्रारम्भिक **शिक्षा** : प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यचर्या को, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कारणों से इसे प्रभावी ढंग से पर्यावरण से जोड़ने के लिए, परिवर्तित किया जाना था। इससे वर्तमान शक्षिक पाठ्यचर्या और प्रणाली विज्ञान में क्रान्तिकारी परिवर्तन आएगा। विस्तृत एजेंसियों को, स्कूल के भौतिक और परिचित स्रोतों के निर्माण में जनशक्ति और सुविज्ञता के रूप में, उनका पूर्ण समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि बदले में स्कूल प्रभावी ढंग से उनकी सहायता कर सके। स्कूल को सामा-

जिक-आर्थिक विस्तार के केन्द्र के रूप में कार्य करने के अनुकूल बनाया जा सके और विस्तार एजेंसियों को प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पहुंचने के योग्य बनाया जा सके। इससे विकासात्मक एजेंसियों के रुख का पुन:स्थापन और संरचनात्मक परिवर्तन होगा जो शैक्षिक संस्थाओं को विस्तार-कड़ी में प्रभावी ढंग से जोड़ देगा।

तथापि क्रांतिकारी परिवर्तन की योजना सावधानीपूर्वक बनाना और इसे क्रमिक ढंग से निष्पादित करना होगा।

माध्यमिक शिक्षा : प्रारम्भिक स्कूल में स्थापित वातावरण के साथ माध्यमिक स्तर पर सम्बद्धता को गूढ़ किया जायेगा। यद्यपि अधिक अग्रिम अवस्था में छात्रों की सीमाओं का विस्तार उनके तत्कालिक वातावरण से बाहर होगा। कम से कम पहली अवस्था में वातावरण के साथ सम्पर्क कार्यानुभव के माध्यम से होगा। स्कूल उन लोगों को लगातार शिक्षा देने में अन्य विस्तार एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा जो प्राथमिक स्तर के बाद अपने पैतृक व्यवसाय में लग जाते हैं ताकि उनकी अंत:शक्ति का समुदाय के नेतृत्व के लिए उत्तरोत्तर निर्माण हो। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जनशक्ति के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होगी, जिसे अन्य विकासशील एजेंसियों की सहायता से किया जाना आवश्यक है।

उच्चशिक्षा : विश्वविद्यालय स्तर पर देश की दोनों ग्रामीण तथा शहरी विकासकीय प्रक्रियाओं में उच्च शिक्षा की भूमिका का स्पष्ट रूप से अध्ययन तथा उसे फिर से पारिभाषित करना होगा। इसी दौरान, प्रत्येक विषय को अनुपयोग तथा सामाजिक उपयोगिता के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना ही कम हो जैसा कि पांचवीं योजना के मसौदे में बल दिया गया है। विश्वविद्यालयों को ग्रामीण विकास उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जिनमें अनुसंधान अपेक्षित हों तथा इसे पूरा करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनकी सहायता करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों—वस्तुत: सभी स्तर की शैक्षिक संस्थाओं—को समाज के सभी वर्गों की गैर-औपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस कार्य को यथोचित मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी तैयार करने तथा उनकी वर्तमान व्यावसायिक और तकनीकी निपुणताओं को उन्नत करने में सहायता करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ग्रामीण विकास में कालेजो तथा विश्वविद्यालयों द्वारा भाग लेने की योजना बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक सैल स्थापित करना चाहिए।

प्रौढ़शिक्षा : यद्यपि सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए किन्तु उत्पादन तथा उपयोगिता पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे प्रौन्नत करने हेतु सबसे अच्छी नीति, विशेष रूप से ग्रामीण समाज के निर्धन वर्गों में, अध्ययन—उत्पादक ग्रुपों का विकास किया जाना चाहिए, जहां समान हित वाले छोटे परिवार ग्रुपों को एक साथ लाया गया था और उनके लिए बनाए गए सरकारी कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें तैयार किए जाने के अतिरिक्त, उन्हें अपनी समस्याओं और उनके सम्भावित समाधान का पता लगाने के समर्थ बनाना था। ये ग्रुप उन प्रवर्तकों अथवा परिवर्तन एजेंटों द्वारा सर्वोत्तम रूप से आयोजित किए जा सकते हैं जिनमें आवश्यक क्षमता तथा अपने कार्य के प्रति निष्ठा है। तथापि इन प्रवर्तकों

को, यदि उन्हें गांव के निहित स्वार्थ वाले दलों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, जिनकी सामान्य प्रवृत्ति गांव के समाज के किसी अधिक प्रभावशाली दलों के साथ ही मिलकर चलने की होती है, उकसाया तथा निराश न किया गया तो उन्हें मान्यता प्राप्त निकाय तथा संगठन के सहयोग की आवश्यकता होगी। इन अध्ययन-उत्पादक दलों के निर्माण से, समाज को सरकार द्वारा सेवाओं की बढ़ती हुई वितरण पद्धति के अनुरूप अभिग्राही तन्त्र विकसित करने में मदद मिल सकती है जिससे कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तेज की जा सके। यद्यपि, अध्ययन-उत्पादक दलों की शुरूआत परिवर्तन एजेंटों द्वारा की जा सकती है, तथापि ध्येय यह होगा कि यथासमय स्वतः चालक, स्वतः उत्पादक तथा आत्म-निर्भर दलों की स्थापना की जा सके।

प्रौढ़ शिक्षा का अन्य पहलू यह था कि विकास एजेन्सियों को शैक्षिक घटक के रूप में अपने निजी कार्यक्रम बनाने चाहिए ताकि वे अपना सन्देश लोगों तक पहुंचा सकें और उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर सकें।

युवा-छात्र तथा गैर-छात्र कार्यक्रमों में, ग्रामीण विकास पर अधिकाधिक बल दिया जाना चाहिए।

संरचनात्मक परिवर्तनों का समर्थन : अन्तर एजेंसी तथा आन्तरिक एजेंसी समन्वय

तथापि, ग्रामीण विकास की समस्या को, परिवर्तन की प्रक्रिया को संरचनात्मक परिवर्तनों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ अन्तर-एजेन्सी तथा आन्तरिक एजेन्सी समन्वय को प्रभावी बनाना होगा और इससे आधार स्तर पर लोगों को पर्याप्त पहल-शक्ति प्राप्त होगी। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे भारी निवेशों से, परिणाम आज प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

स्कूल को, स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से उभरती हुई पीढ़ी को उपयुक्त जानकारी, निपुणता तथा दृष्टिकोण प्रदान करने के लाभ के लिए, विभिन्न विभागों के उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने की सम्भावना का निरन्तर पता लगाते रहना चाहिए।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजना

4674. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण उड़ीसा में कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध अधिकारी इन परियोजनाओं को कब स्वीकृति दे देंगे; और

(ग) इस संबंध में राज्यों तथा केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चूंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बहुदा नदी के जल के उपयोग के बारे में कुछ मतभेद हैं इसलिए उड़ीसा की बामलाटी सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई है।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए इस मामले को आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ उठाने के लिए अभी तक भारत सरकार से नहीं कहा है। यह मामला निपटारे के लिए फिलहाल दोनों राज्य सरकारों के पास पड़ा हुआ है।

बड़ानाला सिंचाई परियोजना

4675. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने कोरापुट जिले में बड़ानाला सिंचाई परियोजना संबंधी परियोजना प्रतिवेदन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उड़ीसा की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल न करने के क्या कारण हैं जबकि इस परियोजना से अधिकांशत: जनजाति के छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) क्या इस परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के किसी वर्ष में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार से बड़ानाला सिंचाई परियोजना की फिर से तैयार की गई प्रोफार्मा रिपोर्ट अप्रैल, 1977 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई है और इस समय आयोग में इसकी जांच हो रही है । इस परियोजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रश्न तभी पैदा होगा जब परियोजना को तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया जायेगा और राज्य सरकार के पास इसे अपनी योजना में शामिल करने के लिए धन-राशि उपलब्ध होगी ।

राजस्थान में काले हिरणों को मारा जाना

4576. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चुरू जिले में तलचापर वन्य प्राणी विहार में काले हिरणों को चोरी छिपे मारा जा रहा है और यदि हां, तो वन्य प्राणी विहार के बनने के बाद इस नस्ल के हिरणों को अवैध रूप से मारे जाने के कितने मामले रिपोर्ट किये गए तथा इस प्रकार कितने चोरी छिपे मारने वालों को दंड दिया गया ;

(ख) इस वन्य प्राणी विहार में काले हिरणों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा, क्या इनकी संख्या में कमी आई है अथवा वह स्थिर रही है ; और

(ग) क्या विश्नोई संप्रदाय के लोग इन काले हिरणों की अपने बच्चों की भांति रक्षा करते हैं और राजस्थान में इन काले हिरणों को बचाने में शिकार चोरों से लड़ते हुए विश्नोई संप्रदाय के कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) राजस्थान के मुख्य वन्य प्राणि वार्डन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आश्रय स्थल के बनने के बाद चोरी छिपे मारे जा रहे काले हिरणों के संबंध में केवल दो मामलों की रिपोर्ट मिली है । इन दोनों मामलो की जांच हो रही है । इसलिए अब तक किसी को सज़ा नहीं दी गई है ।

(ख) आश्रय स्थल में किये जा रहे सुरक्षा संबंधी उपायों के कारण इस समय उनकी संख्या 800 के लगभग है और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

(ग) बताया जाता है कि विश्नोई संप्रदाय काले हिरणों की अपने बच्चों के समान रक्षा करता है परन्तु इस संबंध में कोई ऐसा सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिस से पता चले कि काले हिरण को बचाने के लिए चोरों से लड़ने में इस संप्रदाय के कितने व्यक्तियों की जाने गई हैं ।

Irrigation Schemes in Rewa Division in Madhya Pradesh

†4677. **Shri Sukhendra Singh** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the irrigation schemes in Rewa Division in Madhya Pradesh on which work has not been completed so far though they were approved by the Central Government; and

(b) the names of the schemes in Rewa Division included in the Fifth Five Year Plan and whether work thereon has been started now and the details of the work?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Two medium schemes in Rewa Division viz. Gurmanalla and Bhainswar had spilled over into the V plan. Both of them were completed last year.

(b) The following five new medium schemes in Rewa Division have been approved during the current plan:—

1. Jarmora Reservoir
2. Umrar Tank
3. Johilla
4. Kachan Dam
5. Mahroi

Work on Johilla, Kachan Dam and Mahroi has commenced as detailed below:—

Name of Scheme	Estimated cost	Expenditure upto 3/77
	(Rs. lakhs)	
1. Johilla	120·10	31·60
2. Kachan Dam	210·07	74·97
3. Mahroi	38·32 (to be revised)	52·82

Works on Jarmora Reservoir and Umrar tank are to be taken up in 1977-78.

नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी कैंपस

4678. डा० आर० रोष्पुअम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक युनिवर्सिटी कैंपस मिजोरम में स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं जो कि नार्थ हिल युनिवर्सिटी के शिलांग स्थित मुख्यालय से सब से दूर है जब कि नागालैंड के लिए दीमापुर में यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित किया गया था ; और

(ख) क्या वे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मिजोरम बहुत दूर है और वहां साक्षरता का प्रतिशत भारत में केरल के बाद सब से अधिक है, उक्त कैंपस एजाल में स्थापित करने के मामले पर विचार करेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख). उत्तर पूर्वी व पर्वतीय विश्वविदयालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2) के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविदयालय को नागालैंड राज्य में एक कैंपस बनाना अनिवार्य था। अतः इस राज्य में कैंपस की स्थापना कर दी गई है। मिजोरम में कैंपस शुरू करने का प्रश्न विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय ने उस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय कालेज तथा अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए मिजोरम सरकार के साथ बातचीत पहले ही आरम्भ कर दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले रिसर्च स्कालर

4679. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में, विश्वविद्यालय-वार तथा विभाग-वार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले कितने रिसर्च स्कालर कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में विश्वविद्यालयों में रिसर्च स्कालरों की संख्या

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उत्कल विश्वविद्यालय	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	बरहमपुर विश्वविद्यालय	कुल
1	गणित	1	1	3	5
2	अर्थशास्त्र .	2	1	2	5
3	दर्शनशास्त्र . .	6	—	—	6
4	राजनीति शास्त्र	1	3	1	5
5	भौतिक शास्त्र	—	—	5	5
6	रसायन शास्त्र .	2	2	2	6
7	जीव विज्ञान .	4	1	—	5
8	वनस्पति शास्त्र .	1	—	—	1
9	आधुनिक भारतीय भाषा .	6	2	2	10

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उत्कल विश्व-विद्यालय	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	बरहमपुर विश्वविद्यालय	कुल
10	इतिहास	3	2	1	6
11	वाणिज्य . .	2	—	1	3
12	समाज शास्त्र .	2	—	2	4
13	शिक्षा . .	3	3	1	7
14	भाषाई . .	1	—	1	2
15	अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं	1	1	2	4
16	मनोविज्ञान . .	7	—	—	7
	कुल . .	42	16	23	81

उपरोक्त के अलावा, आयोग ने बरहमपुर और सम्बलपुर विश्वविद्यालयों को प्रत्येक को 28–28 शिक्षावृत्तियां और उत्कल विश्वविद्यालय को 48 शिक्षावृत्तियां आबंटित की हैं। ये शिक्षावृत्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों में आयोग के शिक्षक शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कल विश्वविद्यालय को 178 शिक्षावृत्तियां प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों से ज्ञापन

4680. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिक तथा नकनीकी स्टाफ एसोसियेशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने स्वयं सेवा नियमों में यह बताया है कि ग्रेड 'एस' नितांत अस्थायी है और यह समाप्त प्रायः संवर्ग है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या 'एस' ग्रेड के कर्मचारियों को 700–1300 रुपये के वतनमान वाले एस–1 ग्रेंण में खपाया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कृषि अनुसंधान सेवा में सिर्फ वर्तमान पदभोगियों के लिए ग्रेड एस (रु० 550–900) रखा गया है और जो धीरे धीरे आगामी वर्षों में, वर्तमान कर्मचारियों के सेवा के ग्रेड एस–1 (रु० 700–1300) में पदोन्नति होने पर या सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप खाली हुई जगहों के बाद, समाप्त कर दिया जायेगा। सेवा नियमों में इस ग्रेड में कोई नयी भर्ती किए जाने का विचार नहीं है ।

(ग) ग्रेड 'एस' के ऐसे पदभोगियों की, सेवा के ग्रेड एस–1 में पदोन्नति की जा रही है, जिन्होंने कि पांच साल सेवा की है जिसमें कि 425–700 के निचलै वेतनमान में की गई सेवा भी शामिल है;

बशर्ते कि उन्हें कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा मूल्यांकन में इस प्रकार की पदोन्नति के लिए उपयुक्त पा या जाये। ग्रेड एस के वर्तमान पदभोगियों को भी, पिछले वर्ष व इस वर्ष हुई कृषि अनुसंधान सेवा की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कि उनकी आयु और ग्रेड में उनकी सेवा की अवधि पर विचार नहीं किया गया था।

कांग्रेस इतिहास के 90 वर्ष पर चित्रमय प्रदर्शनी

4681. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी के निदेशक ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के कोष से लाखों रुपया निकाला और कार्यालय के काम के घंटों में कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता से 'कांग्रेस इतिहास के 90 वर्ष' नामक एक बड़ी चित्रमय प्रदर्शनी तैयार की;

(ख) क्या इस वीर्घा के विशेष सुविधा प्राप्त कर्मचारियों की उपरोक्त प्रदर्शनी के लिए कांग्रेस कोष से हजारों रुपया दिया गया था;

(ग) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अग्रिम वेतन वृद्धि के मामलों में अनियमिततायें बरती गई; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो उक्त वीर्घा के निदेशक के विरुद्ध कोई जांच कर रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी के निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने कांग्रेस फंड से 3,25,554.49 रुपए निकाले और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के मौखिक अनुदेशों पर 'कांग्रेस इतिहास के 90 वर्ष' पर एक चित्रमय प्रदर्शनी तैयार की। लगभग 34.5 हजार रुपए का भुगतान राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी के कुछ अधिकारियों तथा स्टाफ को किया गया जिन्होंने इस परियोजना के लिए कार्यालय समय के बाद काम किया तथा विधिवत इसकी रसीदें प्राप्त कर ली गई थीं, उन्हें रेकार्ड में रखा गया और समुचित रूप से उनकी लेखा परीक्षा की गई थी। निदेशक द्वारा किसी भी तरह का कोई भुगतान चाहे नकद किस्म का हो अथवा किसी अन्य किस्म का नहीं लिया गया था।

(ग) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी के निदेशक के खिलाफ केन्द्रीय जां ब्यूरो द्वारा एक जांच की जा रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्थान

4682. **श्री रशीद मसूद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कितने छात्रों को रखने की अनुमति है;

2063 L.S.—7.

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में वास्तव में कितने छात्र रह रहे हैं;

(ग) क्या छात्रावासों में छात्रों के लिए कमरे उपलब्ध न होने के कारण छात्र विभिन्न रहायशी हालों के भण्डारों और भोजन के कमरों में भी रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह स्थिति विद्या अध्ययन के अनुकूल है तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विश्वविद्यालय द्वारा भजी गई सूचना के अनुसार :

(क) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में 5920 छात्रों को स्थान दिया जा सकता है ।

(ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में 5642 छात्र रह रहे हैं ।

(ग) कुछ छात्रों को हालों से संबद्ध कामन रूम में स्थान दिया गया है ।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 लाख रुपए की लागत पर छात्रावासों के निर्माण की सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रशासनिक ब्लाक के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । इस ब्लाक के निर्माण से सर सैयद हाल में 120 और छात्रों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा ।

महाप्रबन्धक, सरकारी प्रैस, कोराट्टी (केरल)

4683. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत नौ महीनों से सरकारी प्रैस, कोराट्टी (केरल) में कोई महाप्रबन्धक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रैस में वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति के विलम्ब में क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुन सि मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). इस प्रैस में महाप्रबन्धक का कोई पद नहीं है । इस प्रैस में प्रबन्धक ही प्रधान है जो 13 अक्तूबर, 1976 से थोड़ी थोड़ी करके मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी पर है । उनकी अनुपस्थिति में सहायक प्रबंधक (तकनीकी) इसका काम देख रहे हैं । क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके छुट्टी के लिए अनुरोध किया गया था अतः नियमित प्रबन्धक आवश्यक नहीं समझा गया । प्रबन्धक की 1 अगस्त, 1977 को ड्यूटी पर आ जाने की संभावना है ।

गढ़ क्षेत्र के लिए सिंचाई हेतु पानी

4684. **श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गढ़ क्षेत्र में लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और उस क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि सहारनपुर जिले के गढ़ क्षेत्र में 90 नलकूप लगाने की एक परियोजना पहले ही उनके विचाराधीन है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में पैट्रोलियम प्रौद्यागिकी संस्थान की स्थापना

4685. **श्री रशीद मसूद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से संयुक्त अरब अमीरात के शासन की वित्तीय सहायता से एक पैट्रोलियम प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान किस तारीख से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस संस्थान को स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई ह ।

Utilization of funds meant for Ancient Monuments and Ajanta Mural Paintings

†4686. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the funds allocated to the Archaeological Department for carrying out survey of ancient monuments and preparing photo copies of Ajanta Mural Paintings were not utilized; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b). No, Sir. The allotted funds were fully utilized.

Examination for Promotion to the Post of Readers in Government of India Presses

4687. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether examination for promotion to the post of Reader in the Government of India Presses, normally conducted after every two years, was held in August, 1976 after 20—22 years;

(b) whether the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes appearing in the Examination were not given any relaxation;

(c) whether the employees working in these Presses for the last 20—21 years and given two promotions during the last 4 – 5 years have been demoted because of this examination;

(d) if so, whether rules for the said examination were uniformly followed in the Government of India Presses at Minto Road and Ring Road;

(e) whether the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Minto Road Press have not been demoted because of this examination whereas the employees in the Ring Road Press have been demoted; and

(f) if so, the reasons for the discrimination

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) For the first time in August, 1976 this examination was held centrally by the Directorate of Printing in respect of Presses where vacancies of Readers were available. Prior to this, examinations used to be held by the Managers of Presses themselves where the vacancies were available. It is a fact that in certain Press, examination was not held for the last more than 20 years.

(b) No relaxation was admissible under the Examination Rules and none was given.

(c) Yes, Sir. Certain individuals who had been promoted in the past to the post of Reader Grade II and Grade I on *ad hoc* basis on the clear understanding that their regular appointment to these posts is subject to their qualifying in the readership examination have been reverted to the lower post(s) when they failed to qualify the examination.

(d) Yes, Sir.

(e) and (f) While announcing the result of the Examination, the Presses were informed of the policy of the Government that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates who had been declared successful could also be considered for retention/promotion as Readers in relaxation of the general qualifying standards subject to the condition that they are not found unfit for such retention/promotion. In accordance with this policy, the General Manager, Government of India Press, Minto Road have not revrted the S.C. and S.T. pending a final decision in the matter while in the G.I. Press Ring Road all the unsuccessful *ad hoc* Readerrs Grade II and Grade I, both from reserved and unreserved community, were reverted.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों पर अधिकतम क्षेत्र में भवन निर्माण की सीमा

4688. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 84 वर्ग मीटर के प्लाटों पर प्रत्येक मंजिल पर 75 प्रतिशत स्थान में मकान बनाने की अनुमति देने की क्या कसौटी है

(ख) 84 वर्गमीटर के कितने प्लाटों पर 75 प्रतिशत स्थान में मकान बनाने की अनुमति दी गई है और जिन व्यक्तियों को ऐसी अनुमति दी गई है उनके नाम क्या है ; और

(ग) 84 वर्गमीटर के सभी प्लाटधारियों को 75 प्रतिशत स्थान पर मकान बनाने की अनुमति न देने के क्या कारण है और क्या अब ऐसी अनुमति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) 84 वर्गमीटर के प्लाटों की प्रत्येक मंजिल पर 75 % तक कवर करने की अनुमति उन मामलों में दी जाती थी जहां

भवन निर्माण की गति विधियों की अनुमति सितम्बर, 1962 से पहले दी गई थी जब बृहत योजना लागू हुई थी। यह पदधति बृहत योजना की बाद की अवधि में अन्य कालोनियों के लिए भी बढ़ा दी गई थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है की 1000 से अधिक व्यक्तियों को इसकी अनुमति दी गई है और जिन्हे इसकी अनुमति दी गई थी उनके नामों की सूची तैयार करने के लिए लगभग 50,000 फाइलों को देखना पड़गा।

(ग) छोटें प्लाटों की अधिक संख्या को ध्यान में रखतें हुए, जिन्हें हाल ही में काटा गया है और धनत्व व पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव हैं कि छोटे प्लाटों की कवरेंज को 75% सें घाटा दिया जाए। मामलें इस समय दिल्ली विकास प्रधिकरणा कें विचाराधीन है।

पीतमपुरा रिहायशी योजना में खाली स्थान छोड़ने की योजना

4689. **कचरूलाल हेमराज जैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस आधार पर किसी नक्शे को रदद किया है कि पीतमपुरा रिहायशी योजना में जहां 'सर्विस लेन' सुविधा पहले ही उपलब्ध है, 84 वर्गमीटर के प्लाट के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए इमारत के नक्शे में पीछे की ओर न्यूनतम 5 फुट का स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है।

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है और क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों को मनमानें ढग सें न बनाया जायें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) ऐसे मामलें में, आवश्यकता यह है कि पिछली ओर के सैट बैक में कम से कम 5' औसतन छोड़ा जाए, न कि पोछे की चार दीवारी से 5' का स्पष्ट सैट बैक। कुछ ऐसे भवन प्लान जहां उपयुक्त औसत नहीं रखी गई थी वे ही केवल रदद किए गए है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

पीतमपुरा, दिल्ली प्लाटों का आवंटन

4690. **श्री रामप्रसाद देशमुख : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निम्न आय वर्ग योजना के अधीन 86 वर्गमीटर क्षेत्रफल के प्लाटों के आवंटन के लिए अनेक व्यक्ति डी० डी० ए० में पंजीकृत है और उनमें से कई व्यक्तियों को प्लाट नहीं मिले है ;

(ख) क्या डी० डी० ए० पीतमपुरा में उन व्यक्तियों को प्लाट आबंटित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिन्हे ड्रा में प्लाट नहीं मिल सके थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां। निम्न आय वर्ग योजना के अन्तर्गत 84 वर्गमीटर के प्लाटों के आवंटन के लिए 4191 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया, इनमें से 1979 आवेदक आवंटन प्राप्त करने में असफल रहे।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी 1979 असफल आवेदकों से अनुरोध किया है जो व्यक्ति पीतमपुर रिहायशी योजना क्षेत्र में वैकल्पिक आवंटन लेने में रुचि रखते है, वे अपनी सहमति भेजें।

भवन निर्माण सम्बन्धी कानून

4691. **श्री प्रदयुम्न बाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम के भवन निर्माण संबंधी कानूनों में कितना अन्तर है और किस संबंध में अन्तर है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है कि भवन निर्माण संबंधी कानूनों में किसी प्रकार अन्तर न हो, और

(ग) यदि हां, तो उन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला तथा इन तीनों संगठनों के भवन निर्माण संबंधी कानूनों में एक रुपता आने की कब तक संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) फिलहाल दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के पृथक पृथक भवन उप नियमों के सैट है। दिल्ली विकास प्राधिकरण नगर निगम के भवन उप-नियमों का अनुसरण करता है दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के भवन उपनियमों के उपबंधों में मुख्य अन्तर की मदों का एक विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०-820/77]

(ख) जी, हाँ,। भारतीय मानक संस्थान के तत्वाधान में, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समान भवन उप नियम बनाने के लिए एक पैनल गठित किया गया था।

(ग) पैनल द्वारा अन्तिम रुप दिए गए एक समान भवन उप नियमों के प्रारुप को अप्रैल, 1976 में दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया था। एक समान भवन उप नियमों में कतिपय संशोधन करने के बाद जैसा कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से युक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सर्व सम्मति से सहमति दी थी, उन्हें अधिसूचित करने की कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा आरम्भ की गई हैं।

नेत्रहीन वृद्ध व्यक्तियों का सर्वेक्षण

4692. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने नेत्रहीन वृद्ध व्यक्तियों की संख्या के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता करती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते है ।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

योजना का नाम	**केन्द्रीय सरकार की सहायता**	
	1975-76	1976-77
(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा .	3,04,400 रु०	8,93,140 रु०
(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	92,023 रु०	9,52,762 रु०

शेरों की संख्या

4693. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शेरो की वर्तमान संख्या कितनी है और क्या 'प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के शुरू होने के बाद उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रत्येक "प्रोजेक्ट टाइगर" शरण स्थली में कितने शेर है; और

(ख) क्या शेरों और अन्य वन्य जन्तुओं को चोरी छिपे मारने का कार्य अब भी 'प्रोजेक्ट टाइगर' क्षेत्रों में चल रहा है और क्या विश्व वन्य जन्तु निधि द्वारा उपलब्ध अधिकांश सहायता राशि "प्रोजेक्ट टाइगर" क्षेत्रों में बेकार पड़ी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) 1972 में की गई संगणना के अनुसार, सारे देश में बाघों की संख्या 1,827 थी। "प्रोजेक्ट टाइगर" परियोजना के शुरु होने के बाद उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। प्रत्येक प्रोजेक्ट टाइगर आश्रय स्थल की संख्या नीचे दी गई है :--

आश्रय स्थल का नाम	बाघों की संख्या 1972 से	जून 1977 तक
(1) कोरबट (उ० प्र०) .	44	57
(2) मनस (असम) .	31	51
(3) कान्हा (मध्य प्रदेश) . .	43	54
(4) मेलघाट (महाराष्ट्र) .	27	57

आश्रय स्थल का नाम	बांधों की संख्या 1672 में	जून 1977 तक
(5) रंथम्बौर (राजस्थान)	14	22
(6) मालामाऊ (बिहार)	22	32
(7) सिमिली पाल (उड़ीसा)	17	60(अनुमानित
(8) बंदीपुर (कर्नाटक)	10	26 औसत)
(9) सुन्दरबन (प० बंगला) : ,, (क्षेत्र के भाग से)	60	181
योग	268	540

(ख) बाघों का चोरी छिपे मारना बहुत सीमित है। अन्य जानवरों के चोरी छिपे शिकार करने पर भी बहुत नियंत्रण किया गया है। विश्व वन्य प्राणि निधि की सहायता का वाहनों तथा उपस्करों के लिए पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है।

उर्वरक की नियंत्रित मूल्य पर बिक्री

4694. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है और इसे काला बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों के नियंत्रित मूल्य पर उचित वितरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनलाला): (क) उर्वरकों के बिक्री में काला बाजारी की कोई रिपोर्ट हाल ही में किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भारत सरकार आवश्यकताओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके विभिन्न राज्यों को उर्वरकों का आवंटन करती है । प्रत्येक फसल के मौसम के सम्बन्ध में राज्य सरकारें जिलेवार और खण्डवार आपूर्ति की योजना तैयार करती हैं । अनेक साधनों के माध्यम से उर्वरक वितरित किया जाता है । जिलों के अतिरिक्त भागों में उर्वरक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अलावा, 600 से अधिक केन्द्रों में पूल उर्वरकों का बफर स्टाक जमा है ताकि सप्लाई में रुकावट आने पर अथवा मांग में अचानक वृद्धि हो जाने पर अल्पावधि के नोटिस पर ही उर्वरकों की आपूर्ति की जा सके । समन्वित आपूर्ति योजना और सुगम उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए सामान्यतः उर्वरकों की कोई काला-बाजारी नहीं होनी चाहिए । यूरिया ,आमोनियम सल्फेट और कैल्शिम अमोनियम नाइट्रेट जैसे प्रमुख उर्वरकों के मूल्य कानूनी तौर पर नियंत्रित हैं । कानूनी तौर पर नियंन्त्रित मूल्यों से अधिक मूल्य लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है । ऐसे मामले में राज्यों को तुरन्त मुकदमा चलाने के अधिकार दिए गए हैं ।

अध्यात्मिक ठगों की गतिविधियों की जांच हेतु समिति

4695. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री के० ए० राजन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० एच० नरासमैया ने देश में आध्यात्मिक ठगों की गतिविधियों को जांच करने के लिए न्यायक शहियां में सम्पन्न एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख). 7 दिसम्बर, 1976 को भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में बंगलौर विश्वविद्यालय के कुलपति डा० एच० नरसिम्हैया ने करामातों और अन्य असामान्य घटनाओं की वैज्ञानिक जांच हेतु एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना करने के लिए उससे अनुरोध किया था। कुलपति को यह सूचित किया गया कि ऐसी समिति का गठन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

Irrigation schemes in Madhya Pradesh

4696. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Agricultur and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of major irrigation schemes in Madhya Pradesh under the last Five Year Plan which could not be completed so far; and

(b) the names of the schemes included in the new Fifth Five Year Plan and whether work thereon has commenced ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Following six major/multi-purpose schemes of Madhya Pradesh which spilled over from the IV Plan are still under execution:—

1. Chambal Stage-I
2. Chambal Stage-II
3. Mahanadi Reservoir
4. Tawa
5. Barna
6. Hasdeo R.B.C.

The Chambal Project (Stages I and II) is practically complete except for some extension and improvement works which are in progress.

(b) 32 new medium schemes have been approved during the V Plan so far and work on 13 schemes has already commenced. Work on the other schemes, which were approved only recently, is also likely to be started during the current year.

Fair Price Shops in Rural Areas

4697. **Shri Yuvraj** : Will the Minister **of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there are fair price shops in rural areas for supplying at fixed prices wheat, rice, sugar, kerosene oil etc. and if so, their number;

(b) the extent of difference in fair prices of May, 1976 and that of May, 1977; and

(c) whether it is proposed to make adequate arrangements for the supply of essential commodities to weaker sections, such as agricultural labour etc. in rural areas during rainy seasons and if so, by what time and if not the reasons therefor?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) About 1·87 lakhs fair price shops are functioning in rural areas for distribution of wheat, rice and sugar at fixed prices. There are about 1·82 lakhs retail outlets for distribution of kerosene oil in the rural areas.

(b) The Central issue price of rice, wheat and coarse grains releaed to the State Governments/Union Territories for the public distribution system have remained unchanged during the period May, 1976 to May, 1977 expecting the issue price of milo which has been reduced from Rs. 86/- to Rs. 70/- per quintal whith effect from November, 1976. By and large there has also been no change in the retail prices of levysugar through fair price shops during the period in question. Similarly, fixation of retail selling prices of kerosene oil is the responsibility of the concerned State Govt./Union Territory Administration. There has, however, been no change in the basic selling price of Kerosene oil fixed by the Central Government since May, 1976 onwards.

(c) The distribution of foodgrains and other essential commodities within the States is the responsibility of State Govts./Union Territory Administrations. To enable the State Governments to make timely arrangements, adequate quantities of foodgrains are being issued from the Central stocks, to meet the full requirements of the public distribution system through-out the year.

Export of Rice

4698. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the States which have exported rice for earning foreign exchange and the names of the States allowed to export rice;

(b) the quantity of rice exported during the last two years and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) how each State utilised this foreign exchange?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The State Trading Corporation has been exporting basmati rice procured from Punjab, Haryana and U.P. No other variety of rice is exported either by the S.T.C. or by any State Government.

(b) The quantities of rice exported by the S.T.C. during 1975-76 and 1976-77 and the value thereof are as follows:—

Year	Quantity exported (in metric tons)	Value (in lakh Rupees)
1975-76	30,261	1159·28
1976-77	20,215	628·59

(c) Does not arise.

Pig as preserved animal

4699. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether pig has been declared as "preserved animal" under the Preservation of Wild Life Act of India, whether the pigs cause heavy damage to the crops of the farmers near Gir forests in Gujarat and if so, the arrangements proposed to be made by Government in this regard;

(b) whether many demands for delisting the pig have been received and if so, when and from which quarters these demands have been received; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala):(a) The "pig" has not been declared as a"presevcd animal" under the Wild Life (Protection) Act, 1972. However, the 'Andaman Wild Pig' and 'Wild Pig' are listed under Scheduled III of this Act which regulates their hunting through a licence on the conditions stipulated in Sub-section (2) of Section (9) of the Act. While some damage to crops of the farmers adjoining the Gir sanctuary cannot be avoided, such measures as the construction of a boundary wall has minimised such damage.

(b) No demands for delisting the wild pig from Schedule III of the wild Life Protection Act, 1972 have been received by the Government of India. The question of such a demand would not appear to arise in view of the fact that the "pig" is not included in the banned category for hunting purposes.

(c) Does not arise.

कवर एण्ड प्लिंथर भण्डारण के कारण भारतीय खाद्य निगम की हुई हानि

4700. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को अपर्याप्त आवाजाही के कारण कवर एण्ड प्लिंथ में जमा खाद्यान्न के मामले में अप्रैल, 1976 से मई, 1977 तक की अवधि में लगभग 4 करोड़ रुपए की या इससे अधिक की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने और हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला):(क) और (ख). जी हां। उपयुक्त रूप से बने भण्डारण स्थान की कमी के कारण, परित्यक्त हवाई पट्टियों, विशाल खुले मैदान, डिपो के अहातों में सड़कों आदि जैसे किन्हीं उपलब्ध खुले स्थानों पर "कैप" में 50 लाख मीटरी टन से भी अधिक खाद्यान्नों को रखना पड़ा था। उपयुक्त निभार का प्रयोग और चट्टों को पोलीथीन की चादरों से ढकने जैसी सभी सावधानियों बरतने के बावजूद मुख्यतया अभूतपूर्व लगातार भारी वर्षा, तूफानों, बाढ़ों आदि के कारण स्टाकों को क्षति से नहीं बचाया जा सका था। ऐसे कुछेक मामलों में जहां स्टाफ की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों को क्षति पहुंची थी, वहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यक जांच शुरु की गई है।

चिदम्बरम्, तमिलनाडु में बीजों और उर्वरकों की सप्लाई

4701. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के चिदम्बरम् और साऊथ अर्काट जिलों में उचित दरों पर उर्वरकों और बीजों की नियमित सप्लाई प्राप्त करने में अनुभव की गई कठिनाइयों का पता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वितरण पद्धति का पुनर्विलोकन करने का है, जिस से प्रयोक्ताओं को सुगम पहुंच के अन्दर सप्लाई प्राप्त हो सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) राज्य के अन्दर उर्वरक और बीजों की सप्लाई का कार्य राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार को जानकारी नहीं है कि तामिलनाडु में चिदम्बरम और साऊथ अर्काट जिलों में उचित दरों पर उर्वरकों और बीजों की नियमित सप्लाई में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है।

(ख) ऊपर (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

तमिलनाडु में पानी की कमी

4702. श्री ए० मुरुगेसन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में और विशेषकर चिदाम्बरम तथा दक्षिणी आर्काट जिलों में पानी की गम्भीर कमी की जानकारी है; और

(ख) पीने के लिए तथा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). विभिन्न योजना अवधियों में कई बड़ी और मध्यम सिंचाई स्कीमें हाथ में ली गई थी जिसके फलस्वरुप दक्षिण अरकाट जिले में 6000 हेक्टैयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो गई है। हाल ही में 5000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए सबनूर पिक-अप एनिकट से दाएं किनारे की नहर की खुदाई की एक स्कीम को अनुमोदित किया गया है। तमिलनाडु सरकार से चिदाम्बर जिले में सिंचाई के लिए कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान

4703. श्री एस0 आर0 दामाणी :

श्री पी0 एस0 रामलिंगम :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अन्तर्राज्यीय जल विवादों का अभी समाधान नहीं हुआ है तथा प्रत्येक विवाद किन-किन राज्यों में है ;

(ख) किन विवादों पर राज्यों में पारस्परिक विचार विमर्श से समझौता होने की सम्भावना है और किन विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपे जाने की सम्भावना है;

(ग) इन विवादों के कारण कौन-कौन सी योजनायें रुकी हुई हैं; और

(घ) इनका शीघ्र समाधान कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) . बृहद नदी बेसिनों की 18 बृहद और 14 मध्यम सिंचाई स्कीमें अन्तर्राज्यीय मतभेदों के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई है । उनमें से एक बृहद और एक मध्यम सिंचाई स्कीम गोदावरी बेसिन में है और 4 बृहद और 6 मध्यम सिंचाई स्कीमें नर्मदा बेसिन में हैं । गोदावरी बेसिन से संबंधित विवाद में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा पक्ष राज्य हैं और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान नर्मदा जल विवाद से संबंधित हैं । इस समय नर्मदा और गोदावरी के जल से संबंधित विवाद न्यायाधिकरणों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए प्रस्तुत हैं ।

7 बृहद और एक मध्यम सिंचाई स्कीम बिहार और पश्चिम बंगाल के संयुक्त बेसिन में हैं । इन परियोजनाओं के संबंध में, जो अजय, महानन्दा, स्वर्णरेखा और दामोदर बेसिनों में हैं, अधिकारियों के स्तर पर सहमति हो गई है । इसकी राज्य सरकारों के साथ सलाह करते हुए जांच की जा रही है, क्योंकि यह दामोदर नदी के जल के उपयोग और विकास से संबंधित है जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के कार्य-क्षेत्र में है और इसका संबंध अधिनियम के उपबन्धों से है ।

5 बृहद और 5 मध्यम परियोजनायें यमुना बेसिन में हैं । यमुना नदी के जल की उपलब्धता और उसके बंटवारे की जांच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन के साथ सलाह करते हुए की जा रही है ।

रावी नदी पर थीन बांध परियोजना की स्वीकृति, लागत और विद्युत लाभों के बंटवारे के संबंध में निश्चय न होने के कारण रुकी पड़ी है । इस मामले पर हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

बहुदा बेसिन में, जो आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त बेसिन है, उड़ीसा की बहुदा चरण-दो परियोजना के बारे में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

नर्मदा और गोदावरी से संबंधित विवादों को छोड़कर शेष सभी विवादों को परस्पर बात-चीत द्वारा सुलझाने के प्रत्यत्न किए जा रहे हैं ।

Central aid for Tube-wells in U. P.

4704. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state the expenditure to be incurred on the State tubewells in Uttar Pradesh out of the grants for irrigation to be provided to the State during 1977-78 ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : According to the system in vogue, Central assistance to State Plan Schemes is given in the form of block loans and grants for the Annual Plan as a whole and is not related to any individual Scheme or Head of development.

The outlay provided for State Tubewell Programmes in U.P. in the State Plan for the year 1977-78 is Rs. 25·40 crores.

Seeds development and their demand

4705. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity and varieties of various seeds developed by National Seeds Corporation ;

(b) the names of States from which demand for seeds for 1977-78Kharif Crops have been received and also the quantum of demand in each case; and

(c) the extent to which the Corporation will be able to meet their demands?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The development of varieties is not a function performed by the National Seeds Corporation.

(b) & (c). A statement indicating the States from which firm indents for certified seeds were received by the National Seeds Corporation, the quantities of seeds offered and the quantities actually lifted is appended.

STATEMENT

Statement of firm indents for certified seeds received from States and quantities offered and lifted for Kharif, 1977-78 in quintals

S. No.	Name of State	Firm indents received from State (Crop and quantity)		In Qtls.	quantity made available In Qtls.	quantity actually lifted by State In Qtls.
1	Jammu & Kashmir	*Maije*	Ganga S-2	900	900	900
		Bcjra	PHB-14	60	60	60
			NHB-5	22	22	22
		Paddy	Jaya	125	125	125
2	Punjab	*Maije*	Ganga-5	3000	3000	2557
		Bajra	PHB-14	1000	1000	510
3	Haryana	*Bajra*	BJ-104	3500	3500	3417
		PHB-14		500	500	500
4	Madhya Pradesh	**Sorghum*	CSH-5	1000	300	300
		Maije	Ganga-5	465	400	400
			Ganga S-2	100	100	100
5	Maharashtra	**Sorghum*	CSH-5	16000	7061	7061
			CSH-1	5000	2787	2787
		Paddy	Ratna	10000	10000	2500
6	Karnataka	**Sorghum*	CSH-1	3000	1010	1010
7	Tamil Nadu	*Paddy*	I.R.-20	7000	7000	Being lifted
			Pusa 2-21	1000	1000	
8	Bihar	*Paddy*	Jaya	3023	3023	3023
			Pasa 2-21	366	366	366
			I.R.-8	160	160	160
			Ratna	160	160	160
			Cauvery	40	Nil	Nil

There was a general shortfall in Sorghum production during Rabi 1976-77 in the major producing States of Andhra Pradesh and Karnataka owing to cyclonic weather conditions having caused considerable damage to the standing crop. Hence the resultant short supplies in kharif 1977-78.

तकनीकी संस्थानों को ऋणों के पुनर्भुगतान में छूट

4706. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तकनीकी संस्थानों (जिनमें विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं) को भवनों के लिए दिए गए सरकारी ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में छूट दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). अनुमोदित योजनाओं के संबंध में, छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी, गैर-सरकारी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों (विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित) को ब्याज-मुक्त ऋण दिए जा रहे हैं। ऋणों को चुकाने में गैर-सरकारी संस्थाओं (विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित) द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष मामले के रूप में यह निश्चय किया गया था कि, इन संस्थायों को संस्वीकृत कुल ऋण का 50% मूलरूप से निर्धारित की गई किस्तों की संख्या में वसूल किया जाये तथा जब तकनीकी संस्थाओं/विश्व विद्यालयों द्वारा यह राशि पूर्णतया लौटा दी जाये तब भारत सरकार, संस्वीकृत ऋण के बकाया 50% को बटटे खाते में डाल दें ।

यह सुविधा, सरकारी संस्थाओं को नहीं दी गई थी, जिन्हें इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई थी ।

Allotment of Government Quarters and Rent therefor

4707. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of cases of charging of rent or allotment of Government quartes in which the recommendation of former Director of Estates was not accepted by the then Minister;

(b) if so, the reasons for not accepting his recommendation;

(c) whether some cases, out of them, have again been taken up now for doing justice; and

(d) if so, whether Government propose to provide relief to the persons concerned after reconsidering these cases ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No separate record is maintained about the cases submitted to higher officers including Ministers.

(b) to (d). Does not arise in view of the reply given to part (a) of the question. Besides, advice tendered by officers to a Minister is an internal matter of day-to-day working.

Offices and Godowns of Central Education Board

4708. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether offices and godowns etc. of the Central Secondary Education Board are housed in rented buildings;

(b) if so, the locations of the offices and godowns of the Board and the monthly and yearly rent paid for each building; and

(c) the total amount of rent paid by the Board so far and whether Government have acquired any plot so far for construction of building for the Board itself and if so, where and at what cost it has been acquired and if not, the action proposed to be taken by Government in future ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Main Office . .	17-B, Indraprashtha Estate, New Delhi.
Monthly rent . . .	Rs. 14,050/-
Yearly rent . .	Rs. 1,68,600/-
(ii) Branch Office . .	2/42, Sant Vihar Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi.
Monthly rent . .	Rs. 6,2000/-
Yearly rent . . .	Rs. 74,400/-
(iii) Godowns for storing paper of huge quantity	(i) Govt. Higher Secondary School, Lodhi Road, New Delhi.
	(ii) Govt. Higher Secondry School, Matiala, New Delhi.
Monthly rent . .	Rs. 423/- for both
Yearly rent . . .	Rs. 5,076/-

(c) (i) The total amount of rent paid by the Board since its inception (1963) till June, 1977 is Rs. 15,12,185/-

(ii) A piece of land measuring 255 acres was allotted to the Board in Rouse Avenue institutional complex in 1969. The Board has also made the payment of Rs. 26,167/50 as cost of land. The possession of the plot however, has not yet been given to the Board. The matter is being pursued with the Ministry of Works and Housing for giving possession of the allotted land early.

सूखा प्रभावित श्रौर श्रादिवासी क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजना

4809. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश के सूखा प्रभावित श्रौर श्रादिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के श्राधार पर एक नई सिंचाई नीति स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने से पहले इन क्षेत्रों में कुल कितनी मध्यम दर्जे की श्रौर प्रमुख सिंचाई योजनायें श्रारम्भ की जाने वाली हैं; श्रौर

(ख) इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाश्रों के लिए राज्यों द्वारा धन नियत किए जाने श्रौर केन्द्र द्वारा सहायता दिए जाने हेतु क्या मापदण्ड श्रपनाये जाते हैं ?

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकास योजनाश्रों के श्रंतर्गत तैयार श्रौर कार्या-

न्वित की जाती हैं। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के समुचे विकास के लिए यह नीति बनाई गई है कि उपयोजनायें तैयार की जायें जिनमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाए जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की हो ; पांचवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए 190 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त सूखे से प्रभावित पिछड़े जिलों में जहां वर्तमान सिंचाई सुविधायें या तो नगण्य हैं या राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हैं मध्यम सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गयी है।

(ख) लगभग 49 लाख हैक्टेयर सूखा प्रवण जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 117 बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा अन्य 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ देने के लिए अब तक 59 स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जनजातीय सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी जाए और 1978–79 की वार्षिक योजना के लिए विचार-विमर्श के दौरान पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष में हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं की संख्या के बारे में फैसला किया जाएगा।

(ग) सिंचाई स्कीमों से लाभान्वित क्षेत्रों की सिचाई-विकास की आवश्यकता तथा अन्य सेक्टरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसका किसी विशेष विकास शीर्ष अथवा परियोजना से संबंध नहीं होता। लेकिन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यम स्कीमों की वित्तीय-व्यवस्था केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर की जाती है सिवाए उन मामलों के जिनमें किसी स्कीम की लागत उस राज्य विशेष के लिए उपलब्ध परिव्यय से अधिक हो और इन मामलों में शेष राशि की पूर्ति संबंधित राज्य सरकार को करनी पड़ती है। समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में राज्यों की जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है। समेकित जनजातीय विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्धारण स्वीकृति देने के लिए गठित समिति द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल अन्य क्षेत्रों की सापेक्ष प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है।

10+2 प्रणाली के क्रियान्वयन की पद्धति और उसकी समस्याएं

4710. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में 10+2 स्कूल प्रणाली के क्रियान्वयन की पद्धति और उसकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समिति के सदस्यों के नाम निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

2063—L.S.—8.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रधान की हैसियत से शिक्षा मंत्री ने डा० ईश्वरभाई पटेल, कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रलेख '10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम' में बताए गए उद्देश्यों का स्तरवार और विषय-वार पुनरीक्षण करना ।

(2) उपरोक्त विषय संख्या (1) के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की जांच करना ।

(3) उक्त प्रलेख में दी गई अध्ययन योजना की जांच करना, और यह देखना कि क्या अध्ययन योजना या समय सारिणी में अथवा दोनों में उपयुक्त संशोधन नहीं किये जाने चाहिए तथा उपयुक्त स्टाफ पद्धति के बारे में सुझाव देना ।

(4) विद्यमान अध्ययन योजनाओं और विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित समय की पुनरीक्षा करना ताकि निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जा सकें :

(i) संस्था, अध्यापक के पास प्रयोग करने, रचनात्मक कार्य, उपचारिक शिक्षण आदि के लिए पर्याप्त समय है; और

(ii) विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों और शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ विषय क्षेत्रों में, बच्चों में विशिष्ट रुचि और अधिरुचि अथवा उसमें कमी; उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए होनहार बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना ।

विभिन्न विषयों पर कार्यकारी दलों द्वारा विचार किया जाएगा जिनमें काफी संख्या में कार्यरत अध्यापक शामिल होंगे । ये दल पुनरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित परिमापों के अनुसार कार्य करेंगे । पुनरीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. डा० ईवरभाई पटेल—अध्यक्ष
कुलपति,
गुजरात विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद ।

2. प्रोफेसर बी० शरन,
अध्यक्ष,
विज्ञान और गणित में,
शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान,
तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।

3. श्री एम० एस० अरोड़ा,
प्रोफेसर, गणित
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली ।

4. प्रोफेसर बी० पारख,
अध्यक्ष,
मानव विज्ञान (भाषाएं) और समाज विज्ञान में शिक्षा विभाग,
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली ।

5. श्री अनिल विद्यालंकार,
समाज विज्ञान और मानव विज्ञान (भाषाएं) में शिक्षा विभाग,
रा० शै० अ० और प्र० परि०,
नई दिल्ली ।

6. डा० जी० एल० बक्शी,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
नई दिल्ली ।

7. डा० आर० पी० सिंघल,
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
नई दिल्ली ।

8. प्रोफेसर एस० एम० चटर्जी,
अध्यक्ष,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।

9. श्री सिंह भंडारी,
अध्यक्ष,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
अजमेर ।

10. श्री यू० टी० भेलांड़े,
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
पूना ।

11. डा० एस० एन० मेहरोत्रा,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

12. डा० ए० के० नारायण नम्बियार,
निदेशक,
अनुसंधान और अध्ययन,
केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

13. डा० (कुमारी) ए० नन्दा,
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

14. डा० आर० सी० शर्मा,
अतिरिक्त उप आयुक्त (शैक्षिक),
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
नई दिल्ली ।

15. श्री एस० एन० भनोट,
उत्तर स्नातक अध्यापक राजकीय उच्चतर
माध्यमिक बाल विद्यालय, नेताजी नगर,
नई दिल्ली ।

16. श्री राना प्रताप,
दिल्ली अध्यापक शिक्षक संघ,
नई दिल्ली ।

17. श्री आर० के० मोहन्ता,
सचिव,
अखिल भारतीय विज्ञान अध्यापक संघ,
नई दिल्ली ।

18. श्री आर० आर० बयाला,
प्राचार्य,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
राष्ट्रपति एस्टेंट, नई दिल्ली ।

19. डा० (श्रीमती) चित्रा नायक,
निदेशक,
भारतीय शिक्षा संस्थान,
पूना ।

20. प्रोफसर ए० आर० दाऊद,
24 होटल डी लामार,
मैरीन ड्राइव, बम्बई ।

21. श्री ए० ई० टी० बैंरी,
सचिव,
भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद्,
नई दिल्ली ।

22. प्रोफेसर राम लाल पारिख,
संसद सदस्य (राज्य सभा)
नई दिल्ली ।

23. श्रीमती शांति कबीर,
अध्यक्ष,
अभिभावक-अध्यापक संघ,
नई दिल्ली ।

24. श्रीमती लोतिका रत्नम,
न्यूज सर्विस प्रभाग,
आकाशवाणी, नई दिल्ली ।

25. श्री मनु भाई पंचोली,
लोकभारती सनीसारा,
(जिला भावनगर) गुजरात ।

26. प्रोफेसर ए० एन० बोस,
डीन, सदस्य संयोजक
एन० सी० ई० आर० टी०,
नई दिल्ली ।

समिति से तीन महीने के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ।

गुजरात को सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

4711. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं का विस्तार करने और उन्हें गहन बनाने के लिए गुजरात राज्य को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975, 1976 और 1977 के लिए तत्सम्बन्धी तथ्य क्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में सिंचाई की बड़ी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चालू एवं आगामी वर्षों में इस सहायता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). सिंचाई राज्य विषय है और राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसका विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर अथवा परियोजना से संबंध नहीं होता ।

1975-76 और 1976-77 के वर्षों में सिंचाई-लाभ शीघ्र प्राप्त करने के लिए कुछ चुनी हुई वृहद परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए गुजरात सरकार को क्रमशः 7.30 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता योजना दी गई थी । सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दो मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 1976-77 में 25.98 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान भी दिया गया था । सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत लघु-सिंचाई स्कीमों के लिए 1975-76 से 1976-77 तक के वर्षों के दौरान 653.24 लाख रुपए का व्यय किया गया था जिसमें से 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र द्वारा अनुदान के रूप में दी गयी थी ।

(ग) और (घ). 1977-78 में वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना सहायक देने का विचार है लेकिन अभी तक ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । चालू वर्ष में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यम स्कीमों के लिए 110 लाख रुपया निर्धारित किया गया है । जहां तक लघु सिंचाई कार्यों का संबंध है गुजरात में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जिलों के लिए 1977-78 की वार्षिक योजनाओं को अभी मंजूरी नहीं दी गई है । लेकिन 329.27 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

नृत्य स्कूलों को बढ़ावा देना

4712. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में संगठित और नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम और कक्षायें चलाकर विभिन्न नृत्य स्कूलों को बढ़ावा देने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं और या व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-1975, 1976 और 1977 के लिए तत सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) संगीत नाटक अकादमी एक स्वायत्त निकाय है, जो संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करता है तथा इसके लिए धन की पूर्ण व्यवस्था इसी विभाग द्वारा की जाती है, यह सांस्कृतिक संस्थाओं

को वित्तीय सहायता की एक योजना संचालित करती है, जिसके अन्तर्गत अकादमी ने भारत में विभिन्न नृत्य स्कूलों को विकसित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी। उक्त प्रयोजन के लिए अकादमी ने अपनी विवेकाधीन अनुदान निधि से व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग ने (i) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां और (ii) सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की अपनी योजनाओं के अन्तर्गत भारत के विभिन्न नृत्य स्कूलों की प्रोन्नति के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की।

(ख) वर्ष 1973-74, 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के लिए अकादमी द्वारा दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	उन संस्थाओं की संख्या जिन्हे अनुदान दिए गए	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई	दी गई वित्तीय सहायता/अनुदानों की कुल राशि
			रुपए
1973-74	23	..	1,68,500
1974-75 .	32	6	2,12,600
1975-76	40	3	2,30,000
1976-77 . . .	42	..	2,67,500

(i) विभिन्न क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां (ii) नृत्य के क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की अपनी योजनाओं के अन्तर्गत संस्कृति विभाग द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं की छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत नृत्य के क्षेत्र में अध्ययेताओं को दी गई छात्रवृत्तियों की राशि।

वर्ष	अध्ययेताओं की संख्या	दी गई राशि
		रुपए
1973-74 . .	23	48,025
1974-75	31	58,650
1975-76 . . .	35	93,150
1976-77	31	91,850

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नृत्य के क्षेत्र में अध्येयताओं को दी गई छात्रवृत्तियों की राशि।

वर्ष	अध्येयताओं की संख्या	दी गई राशि
		रुपए
1973-74 .	11	2,016
1974-75 . . .	13	18,201
1975-76	50	40,397
1976-77	50	43,347

Buffer Stock of Foodgrains

4713. **Shri Mani Ram Bagri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the buffer stock created by the Government during the last three years in respect of each variety of foodgrains;

(b) the quantity of foodgrains which was damaged, stolen or was shown in the accounts as eaten up by mice; and

(c) whether Government had made a thorough enquiry into each case and if not, the reasons therefor?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The grain-wise total stocks (buffer and operational) with public agencies during the last three years is indicated below:—

Stocks of foodgrains (In '000 tonnes)

Year	Rice	Wheat	C. Grains	Total
1-7-74	1610	1959	432	4001
1-7-75	1584	2980	161	5725
1-7-76*	5112	11499	904	17515
1-7-77*	5591	14652	489	20732

* Provisional. Subject to revision.

(b) Out of the stock held by F. C.I., the quantity of foodgrains damaged, lost due to theft/pilferage/misappropriation/fire etc. is as under:

(In '000 tonnes)

	Damaged and rendered unfit for human consumption	Lost due to theft/ pilferage/misappropriation/ fire @etc.
1974-75	1·7	6·2
1975-76	1·7	12·8
1976-77	27·0	0·1

@Technically and practically it is not possible to work out separately the loss due to mice and loss caused due to draageof grains and different modes of weighment.

(c) Enquiries wherever considered necessary are made by the Food Corporation of India in accordance with the prescribed procedure.

Decision on the Report of the Sub-Committee of DDA

4714. **Shri Shiv N?rain Sarsonia** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos. 6610, 1607, and 2276 on 15th April, 1974, 5th August, 1974 and 12th April, 1976 respectively and state:

(a) whether any decision has been taken on the report of the Sub-Committee of Delhi Development Authority;

(b) if so, the details there of;,

(c) whether that decision has been implemented:

(d) if so, whether permission for construction of houses in this colony has been given and if not, the time by which the said decision would be implemented; and

(e) the time by which plot owners would be allowed to construct houses?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) The matter was left to the Lt. Governor, Delhi, who is also Chairman of the Delhi Development Authority to take decision thereon. The details regarding this are given in the statement attached herewith.

(c) The decision taken by the Chairman is being implemented by the Authority.

(d) No Sir. The matter is under examination by the Technical Committee of the Delhi Development Authority for a decision on implementation of the award.

(e) As soon as the Technical Committee has taken a decision on implementation of the award, plot owners would be allowed to construct houses.

Statement

The details regarding the decision taken on the Report of the Sub-Committee of the Delhi Development Authority are as follows:—

(a) The revised lay-out plan sanctioned by the Municipal Corporation of Delhi should be adopted as per the conditions laid down by the Corporation in its Resolution dated the 29th September, 1965, while sanctioning the revised lay-out plan.

(b) The additional area of 7·60 acres required for community facilities should be acquired immediately.

(c) The interests of a few plot-holders, whose land will form part of the area of 7·60 acres proposed for acquisition in order to make-up the deficiency in the provision of community facilities, cannot, however, over-ride the requirements of Master Plan and the Zonal Plan and larger considerations of public good, although it may affect the interests of the aforesaid plot-holders.

Madhav Das Committee on Land Development Banks

4715. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the recommendation of Madhav Das Committee on Land Development Banks regarding imposing cess on land instead of mortgages as guarantee for loans for investment purposes has been implemented; and

(b) if so, the date from which the recommendation has been implemented indicating the names of the State in which it has been implemented and if not, the reasons therefor?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b). The recommendation of the Madhav Das Committee on Land Development Banks appointed by the Resereve Bank of India regarding creation of charge on land instead of mortgage as security for loans for investment purposes by the Land Development Banks has been commended to the State Governments for consideration and implementation. As this involves amendments to State laws, State Governments are examining the recommendation.

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनैतिक व्यक्तियों की नियुक्तियां

4716. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्षतः राजनैतिक किस्म की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राजनैतिक व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, श्री पी० सी० जोशी को उनसे प्राप्त संकलन के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था । श्री जोशी को 1400 रुपए प्रति माह के समेकित वेतन पर 1-12-1970 से नियुक्त किया गया और वे 13-12-1976 तक कार्य करते रहे । विश्वविद्यालय ने किसी अन्य राजनैतिक व्यक्ति को प्रत्यक्षत: राजनैतिक किस्म की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नियुक्त नहीं किया है ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों से ज्ञापन

4717. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों से (एक) आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों (दो) बहुत से शिक्षकों तथा कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति (तीन) राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित परियोजनाओं को अपनाने तथा (चार) अनुसंधान कार्यों में राजनैतिक अभिप्रेरण के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). अध्यक्ष, जवाहर लाल नहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय प्राधिकारयों की अनियमितताओं और ज्यादतियों के बारे में आरोप लगाए गए हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

Idol of Lord Bahubali

4718. **Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the new item published in the 1st June, 1977 issue of 'Mangal Jyoti' fortnightly (published from Calcutta) that dynamite blasts have endangered the attractive idol of Lord Bahubali and Vindhya Giri and Chandra Giri hills which are depositaries of religious and cultural art pieces; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Praatap Chandra Chunder) : (a) and (b). To ensure the safety of Gomatesvara Statue of Sravanabelagola and other ancient monuments located in its vicinity in Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka, the question of stopping quarrying was taken up with the Government of Karnataka even before the publication of the news report in the 1st June, 1977 issue of 'Mangal Jyoti'. The State Government have since issued orders for stopping immeditely the quarrying operations around these monuments.

तकनीकी शिक्षा निदेशालय में नसबंदी किये गए कर्मचारियों की संख्या

4719. श्री **प्रद्युम्न बाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान दिल्ली प्रशासन के तकनीकी शिक्षा निदेशालय के कितने कर्मचारियों की नसबंदी की गई थी ;

(ख) नसबंदी न कराने अथवा नसबंदी के लिए प्रेरित न करने पर इसी निदशालय के कितने कर्मचारियों को कितनी अवधि तक निदेशक ने वेतन नहीं दिया था; और

(ग) इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रशासन के तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा की गई कथित ज्यादतियों को देखते हुए क्या सरकार का विचार उस निर्देशक के विरुद्ध कोई तात्कालिक कार्यवाही करने का है जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : क) 155 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से नसबंदी कराई ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में रेगिस्तान

4720. **श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर स्थित सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट न बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इस्टीटयूट द्वारा किए गए कार्य से सन्तुष्ट है और यदि नहीं, तो इससे क्या अधिकतम आशा की जा सकती है; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने भी रेगिस्तान के कृष्यकरण में सहायता देने के लिए एजेंसियों की स्थापना की है और यदि हां, तो क्या यह दोहरी कार्यवाही नहीं है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में किए गए अनुसंधान से इस राय की पुष्टि नहीं होती कि राजस्थान का रेगिस्तान फैल रहा है ।

केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने मरुक्षेत्रों के सुधार के उद्देश्य से और लोगों की रहन सहन की स्थितियों को सुधारने के लिए अनेक सुधरी तकनीकी का विकास किया है । ये विधियां विशेष रूप से फसलों की अधिक उपज, पर्वतमाला और चरागाह सुधार, रेत के टीबो का स्थिरीकरण, वन लगाना और चूहे आदि का नियन्तण, सौर ऊर्जा के उपयोग आदि से संबंधित है । इस संस्थान द्वारा आरम्भ किये गए एक व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना के माध्यम से इन तकनीकों को ग्राम्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) राजस्थान सरकार के अन्तर्गत दो एजेंसी द्वारा यानि मरुस्थल विकास आयोग और सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन काम किया जा रहा है। प्रकृति में इन दोनों संगठनों का काम विकास संबंधी है और ये संगठन मरुक्षेत्र अनुसंधान तथा राज्य विभागों द्वारा किए गए अनुसंधानों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल करते है। एक ही काम के लिए दोहरे प्रयत्नों से बचने के लिए इन संस्थानों के बीच गहरा समन्वय रखा जाता है।

स्नातकों को अन्तरिम रोजगार दिलाने की योजना

4721. श्री **के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने 1976-77 में युवा स्नातकों को अंतरिम रोजगार दिलाने की योजना बनाई है;

(ख) क्या इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) विभिन्न राज्यों में छात्र कल्याण बोर्डों युवक सेवा बोर्डों और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). कुछ राज्यों में सामाजिक सेवा तथा विभिन्न राष्ट्र-निर्माण कार्यकलापों के लिए मानदय वजीफे देकर स्नातक युवकों की सेवाओं का उपयोग करने की योजनायें हैं। केन्द्र सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देती ।

(ग) राज्यों में विभिन्न युवक कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है ।

Place given to Hindi in States

4722. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the place given to Hindi in each State under the three language formula in the country and State-wise number of students studying Hindi; and

(b) the State-wise number of Graduates who had Hindi as optional subject at Primary, econdary and University level?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b). All the States except Tamil Nadu, Mizoram and Pondicherry (in the Pondicherry and Karaikal areas) have accepted the teaching of Hindi as per the three language ormula.

In so far as collecting uuormation regarding the number of students studing Hindi and the number of graduates who had Hindi as optional subject at various levels of education is concerned, the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the advantage thereof.

प्रामाणिक बीजों का उत्पादन

4723. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार विभिन्न राज्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनकी बीज के रूप में बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं प्राप्त करने का है जबकि राष्ट्रीय बीज निगम को प्रमाणिक बीजों का उत्पादन करने से रोक दिया गया, यदि हां, तो क्यों;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम किस दर से बीज वसूल कर रहा था;

(ग) राज्य बीज निगम ने कहां तक मूल्यों में कमी की है और उनके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विचार विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये प्रामाणिक बीजों को पूरी मात्रा में सप्लाई करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या राज्य बीज निगम ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया, यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बीज निगम की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि देश में प्रामाणिक बीजों की भारी कमी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछली कटाई के समय वर्षा से हुए नुकसान की अपरिहार्य परिस्थिति के कारण कुल उपलब्धि में आई गिरावट को पूरा करने के लिए किसानों द्वारा पौद-सामग्री के रूप में उपयोग में लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम से बढ़िया किस्म का अनाज प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम को अधिप्रमाणित बीज का उत्पादन करने से रोका नहीं गया था; इसके विपरीत देश में

गेंहूं के अधिप्रमाणित बीजों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य बीज निगमों के उत्पादन कार्यक्रमों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रीय बीज निगम ने उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया।

(ख) प्रमुख धान्य फसलों के बीजों के बारे में रबी 1975–76, खरीफ 1976 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के अधिप्राप्ति दरों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध–I के रूप में संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०–821/77]

(ग) राष्ट्रीय बीज निगमों के पहले के बिक्री मूल्यों तथा चालू बिक्री मूल्यों, जिन पर राष्ट्रीय बीज निगम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्य बीज निगमों के लिए अन्तर्राज्यीय बिक्री कर रहा है, को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध–II के रूप में संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०–821/77]

(घ) जी हां। राष्ट्रीय बीज निगम का उन राज्यों को प्रमाणिक बीजों की पूरी मात्रा सप्लाई करने का विचार है, जिन्होंने समय पर सही मांगपत्र प्रस्तुत किये हैं। परन्तु कृषि-जलवायु की अपरिहार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे फसल का खराब होना आदि निगम के नियन्त्रण से बाहर के हालातों में निगम यह सप्लाई नहीं कर सकेगा।

(ङ) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में गठित किये गये नये राज्य बीज निगम (1) अपना पर्याप्त अवस्थापना सम्बन्धी विकास न कर पाने, तथा (2) जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ फसलों के प्रमाणिक बीजों के सम्बन्ध में उत्पादन के अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। राष्ट्रीय बीज निगम ने अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए जहां सम्भव था वहां प्रतिपूरक उत्पादन करना आरम्भ किया ताकि देश में प्रमाणिक बीजों की प्रभावी मांग को पूरा किया जा सके।

ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर (प्रोफेसर आफ एमीनेंस) के पद पर नियुक्ति

4724. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कतिपय व्यक्तियों को ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर (प्रोफेसर आफ एमीनेंस) के पद पर नियुक्त किया गया है अथवा नियुक्त करने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और अर्हतायें क्या-क्या हैं तथा जहां वे काम कर रहे हैं उन विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं के नाम क्या हैं और ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके पदनाम क्या क्या थे; और

(ग) ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या-क्या मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं और क्या उपरोक्त मामलों में उनका पालन किया गया था?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी सूचना के अनुसार उसकी ऐसी किसी योजना के अन्तर्गत ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर (प्रोफेसर आफ एमीनेंस) के पद पर न तो किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और न ही ऐसे पद का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्गदर्शी सिद्धान्त दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

क. (i) ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर के रूप में चुने गये व्यक्ति को 3,000 रुपये मासिक का वेतन मिलेगा किन्तु वह पद अथवा पदनाम के रूप में "ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर" शब्द का उपयोग नहीं करेगा।

(ii) पांचवीं योजना अवधि के दौरान किसी भी दिये गये समय में विश्वविद्यालयों में ख्याति-प्राप्त प्रोफेसरों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। इसका विभिन्न विषयों अथवा अन्तर-विषयक अध्ययन क्षेत्रों में उचित रूप से विभाजन किया जा सकता है।

(iii) ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर के रूप में किसी प्रोफेसर के चयन का अर्थ उसके द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में किये गये सराहनीय कार्य अथवा उसकी पदोन्नति के लिए बुनियादी तौर पर उसे मान्यता प्रदान करना है। आशा है कि चयनकर्ता अपना चयन करते समय उच्चतम स्तरों की मांग करेंगे। अतः चयन के लिए स्वयं नामांकन तथा वैयक्तिक आवेदन वांछनीय नहीं होगा।

(iv) विश्वविद्यालय, ख्याति-प्राप्त प्रोफेसरों के रूप में चयन करने के लिए व्यक्तियों के नामों का केवल तब ही प्रस्ताव कर सकते हैं जब वे स्वयं को इस बात से पूरी तरह से सन्तुष्ट कर लें कि संबंधित प्रोफेसर शैक्षिक योग्यता के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और स्वयं के लिए सार्थक कार्य करने तथा दूसरों को मार्गदर्शन देने तथा प्रोत्साहित करने के योग्य है।

ख. (i) वि० अनु० आ० द्वारा समय-समय पर प्रस्ताव मांगे जायेंगे। कुलपतियों से या तो विश्वविद्यालय के संकाय/संबंधित स्कूल के डीन से या उसी अथवा दूसरे विश्वविद्यालय में सेवारत संबंधित विषय के किसी प्रोफेसर से परामर्श करके प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जायेगा।

(ii) केवल 1500—2500 रुपये के संशोधित वेतनमान में कम से कम 2,000 रुपये मासिक का वेतन पाने वाले प्रोफेसर ही (अथवा यदि भिन्न वेतनमान में हो, तो वे सात वर्ष तक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हों) चयन के लिए विचारार्थ पात्र होंगे।

(iii) इसके अतिरिक्त, वि० अनु० आ० उत्कृष्ट प्रोफेसरों, विख्यात अध्येताओं तथा वैज्ञानिकों से भी इस सम्बन्ध में सुझाव मांग सकता है।

ग. जब 'ख' के अन्तर्गत प्रस्ताव किया जाये, तो आयोग विश्वविद्यालयों अथवा प्रायोजक व्यक्तियों से संबंधित प्रोफेसर की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में उचित प्रलेखबद्ध सूचना प्राप्त कर सकता है, जिसमें प्रकाशित रचनाओं, आविष्कारों, खोजों, पुनरीक्षणों, विनिबन्धों, पुस्तकों और ऐसी ही अन्य सामग्रियों सहित अनुसंधान/वैज्ञानिक कार्य तथा योगदान शामिल हैं और जिनमें व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी दल के सहयोग से किये गये मौलिक कार्य का आवश्यक प्रमाण दिया गया हो। संबंधित प्रोफेसर से एक ऐसी संक्षिप्त टिप्पणी भी प्राप्त की जा सकती है जिसे वह ज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान समझता हो। प्रोफेसर से अपनी प्रकाशित रचनाओं के बारे में आवश्यक संदर्भ देने के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है।

घ. (i) आयोग, संबंधित क्षेत्रों में प्रोफेसरों द्वारा किये गये कार्यों के प्रारम्भिक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उप-समितियों का गठन करेगा :

(क) मानविकी और समाज विज्ञान

(ख) भौतिक, प्राकृतिक और भू-विज्ञान

(ग) कृषि विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान।

(ii) प्रारम्भिक मूल्यांकन के बाद, आयोग को विचारार्थ उपयुक्त नामों की सिफारिश करने से पहले उप-समिति मध्यस्थों के पैनलों से परामर्श कर सकती है। उप-समिति, अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रोफेसर के कार्यों के महत्व पर भी प्रकाश डालेगी, जिसके नाम की उसने सिफारिश की है।

(iii) उप-समितियों की मूल्यांकन रिपोर्टों और आयोग को अंतिम सिफारिशें देने हेतु सिफारिशों की जांच एक ऐसी समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें आयोग के पांच सदस्य होंगे तथा जिसे विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

(iv) इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सुझाए गए व्यक्तियों के नाम तथा उन प्रोफेसरों के कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट, जिनके नामों का सुझाव दिया गय है, व्यक्तिगत तथा गोपनीय समझा जाए। प्रोफेसर द्वारा अथवा उनकी ओर से की गई सिफारिश पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

ङ. (i) जब किसी प्रोफेसर से संबंधित विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ऐसे व्यक्ति को ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर (प्रोफेसर आफ एमीनेंस) के रूप में नियुक्त कर सकती है। उस मामले में, आयोग, विश्वविद्यालय को, चयन के समय उनके द्वारा लिए जा रहे वेतन के ऊपर तथा 3,000 रुपये प्रति मास के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति करेगा। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को यह अन्तर संबंधित

व्यक्ति की सेवा-निवृत्ति के समय तक आवर्ती आधार पर दिया जाएगा तथा प्रोफेसर द्वारा अर्जित वार्षिक वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप इसमें कमी-बेशी नहीं होगी।

तथापि, संबंधित प्रोफेसर के वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप सेवान्त लाभ देने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।

(ii) इस योजना में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाएगा कि वे, ऐसे प्रोफेसरों को किसी अन्य विश्वविद्यालय/उच्च अध्ययन संस्थान में अंश-कालिक नियुक्ति की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था करें।

(iii) उस विश्वविद्यालय को जो ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर (प्रोफेसर आफ एमीनेंस) को आमन्त्रित करेगा, प्रोफेसर का मूल वेतन वहन करना चाहिए और आयोग को प्रोफेसर के वेतन को 3,000 रुपये के बराबर लाने के लिए केवल अन्तर की अदायगी करनी चाहिए, बजाये इसके कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सारा खर्च वहन करे।

(iv) यदि विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालयों को छोड़ कर किसी अन्य संस्था में अथवा विदेश में किसी विश्वविद्यालय में अथवा संस्था में कार्य कर रहे किसी उत्कृष्ट व्यक्ति को (बशर्ते कि वह भारतीय नागरिक हो) ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित करना चाहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विश्वविद्यालयों की, उस प्रोफेसर के वेतन को 3,000 रुपये प्रति मास के बराबर करने के लिए अन्तर की अदायगी करके, सहायता कर सकता है, बशर्ते कि संबंधित विश्वविद्यालय मूल वेतन के रूप में 2,000 रुपये प्रति मास तथा विश्वविद्यालय प्रोफेसर के लिए स्वीकार्य भत्ते वहन करने को सहमत हो।

च. इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत होने वाले विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे अधिमानतः आयोग के परामर्श से अपनी-अपनी संविधियों/अध्यादेशों को उचित ढंग से संशोधित कर लें।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में आवास की समस्या

4725. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में आवास समस्या बहुत गंभीर है और सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई अधिक सहायता नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समस्या का समाधान करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

2063 L S.—9

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि उस राज्य में, आदिवासी क्षेत्रों सहित आवास की समस्या जटिल है। राज्य सरकार इसे हल करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। आवास सहित राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्त सहायता "समेकित अनुदान", और "समेकित ऋणों" के रूप में दी जाती है जो किसी विकास शीर्ष अथवा योजना विशेष से संबंधित नहीं होती। राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार आवास सहित राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों के नियतन के लिए स्वतंत्र है। केन्द्रीय समेकित सहायता के अतिरिक्त निर्माण और आवास मंत्रालय ने गुजरात सरकार को उनकी विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1976–77 तक 999.10 लाख रुपये के जीवन बीमा निगम के ऋणों का नियतन किया। पुन: आवास तथा नगर विकास निगम ने राज्य में विभिन्न आवास अभिकरणों को 2881 लाख रुपये के ऋणों की मंजूरी दी है।

आवास के लिए गुजरात राज्य का योजना-परिव्यय 1977–78 के लिए 8.65 करोड़ रुपये है, आदिवासी उप-आयोजना के अन्तर्गत आवास के लिए 80 लाख रुपये उद्दिष्ट हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए निगम की स्थापना

4726. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए कोई निगम है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में ग्रामीण आवास को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण आवास बोर्ड की स्थापना की है। तमिलनाडु में तमिलनाडु हरिजन आवास तथा विकास निगम है जो मद्रास शहर सहित समस्त राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हरिजनों को नि:शुल्क आवास देने के इस प्रयोजन के लिए ली गई भूमि पर मकानों का निर्माण करता है।

शीरा के मूल्यों में गिरावट

4727. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि शीरे के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि शीरे का काफी भण्डार जमा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो शीरा उत्पादकों को शीरा बेचने में सहायता देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का शीरे का निर्यात करने की अनुमति देने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यकीय निदेशालय द्वारा संकलित की गई थोक मूल्यों की साप्ताहिक रिपोर्टों (विवरण संलग्न है) से मूल्यों में भारी गिरावट का संकेत नहीं मिलता है। हालांकि मई और जून, 1977 की अधिकांश अवधि के दौरान मूल्य प्रवृत्तियां मिश्रित अथवा स्थिरता से वृद्धि की ओर थीं, लेकिन केवल 25–6–77 और 9–7–77 को समाप्त हुए सप्ताहों के दौरान मूल्य प्रवृत्ति स्थिरता से गिरावट की ओर थी।

(ख) शीरे के स्टाक को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है और जमा स्टाक के बारे में मंत्रालय के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शीरे के मूल्यों और स्टाक के निपटान को सामान्यतया मंडी में सप्लाई और मांग संबंधी तत्वों पर छोड़ दिया जाता है और सामान्यतया उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता है। लेकिन जब कभी मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है, जिससे सर्वसाधारण को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तब ऐसे किया जाता है।

(घ) शीरे का निर्यात करने से आन्तरिक मंडी मूल्यों पर कुप्रभाव पड़ता है और इसकी सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती है। शीरे की खासी मात्रा को निर्यात करना वांछनीय नहीं हो सकता है।

विवरण

इस वर्ष मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए गुड़ के थोक मूल्य का सूचकांक और 1975–76 तथा 1976–77 के वर्षों के दौरान आर्थिक सलाहकार के गुड़ के थोक मूल्य का सूचकांक

(मासिक औसत)

मास	गुड़	
	1975–76	1976–77
अक्तूबर	324.1	260.2
नवम्बर .	258.5	227.8
दिसम्बर .	188.8	215.8
जनवरी .	174.1	195.4
फरवरी .	175.3	208.2
मार्च	176.9	210.3(पी) (अस्थायी)
अप्रैल	213.2	206.9
मई . .	229.7	213.2
जून . .	244.7	222.5(18–6–1977 तक
जुलाई . . .	277.4	
अगस्त . . .	280.0	
सितम्बर . . .	290.2	

मई और जून, 1977 के दौरान गुड़ के थोक मूल्य की प्रवृत्ति

सप्ताह के अन्त में	प्रवृत्ति	मूल्यों में गिरावट (–) वृद्धि की मात्रा + (रु० प्रति क्वि०)	
		गत मास की तुलना में	गत वर्ष की तुलना में
7–5–77	मिश्रित	मिश्रित	(–) 2.55
14–5–77	स्थिरता की से वृद्धि की	मिश्रित	(–) 5.35*
21–5–77	मिश्रित	मिश्रित	(–) 2.40*
28–5–77	मिश्रित	मिश्रित	(–) 5.50
4–6–77	मिश्रित	मिश्रित	(–) 5.51
11–6–77	स्थिरता की से वृद्धि की	मिश्रित	(–) 5.47*
18–6–77	स्थिरता की से वृद्धि की	मिश्रित	(–) 5.45
25–6–77	स्थिरता की से गिरावट की	मिश्रित	(–) 4.60
2–7–77	मिश्रित	मिश्रित	(–) 5.60
9–7–77	स्थिरता कीं से गिरावट की	मिश्रित	(–) 13.85

नोट :— गर्मी के महीनों में गुड़ के मूल्यों में सामान्यतया वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है और मई तथा जून, 1977 में न्यूनाधिक यही प्रवृत्ति देखी गई। केवल सप्ताह के अन्त में गुड़ के थोक मूल्यों में स्थिरता की से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। सामान्यतया, पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इन महीनों में मूल्य कम थे।

*कुछ अपवाद(ों) को छोड़कर।

सिंचाई की संभावनाओं की जांच

4728. **श्रीमती वी० जयलक्ष्मी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने गत वर्ष विभिन्न राज्यों में सिंचाई की सम्भावनाओं की तकनीकी जांच करने का आदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी सलाहकार समिति को कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई और कितनी बार स्वीकृति दे दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की रिपोर्टें विभिन्न पहलुओं की तकनीकी जांच के लिए, जिनमें सिंचाई शक्यता का पहलू भी शामिल है, नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती

हैं। इसके बाद ये रिपोर्टें, इन परियोजनाओं को राज्य की विकास योजनाओं में शामिल करने की दृष्टि से इनकी स्वीकार्यता पर विचार किये जाने के लिए योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के पास भेजी जाती है।

(ख) 1976-77 में 74 बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई थीं जिनमें 70 परियोजनाएं इस समिति द्वारा स्वीका पाई गई थीं।

कृषि विश्व विद्यालयों के बारे में रामहारा समिति

4729. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य के मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त रामहारा समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति कितना समय और लेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति डा० एम० एस० रणधावा की अध्यक्षता में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) समिति से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1977 तक प्रस्तुत कर दे, जिससे कि इसकी सिफारिश कृषि विश्वविद्यालयों की छठी योजना के विकास कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में, कुछ काम आ सके।

अनाजों, दालों और तिलहनों के मूल्य

4730. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस समय अनाजों, दालों और तिलहनों के मूल्य क्या-क्या हैं; और

(ख) यदि मूल्य बढ़ रहे हैं तो सरकार का कैसे मूल्यों पर नियंत्रण करने अथवा उन्हें कम करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 25-6-1977 को समाप्त सप्ताह को अनाजों, दालों और तिलहनों के अस्थायी थोक मूल्य सूचकांक क्रमशः 163.2, 190.1 और 196.5 थे जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान सूचकांक क्रमशः 151.8, 130.5 और 130.3 थे। (आधार 1970-71-100)

(ख) किसी अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पग उठा रही है।

सरकारी आवास खाली कराने की कार्यवाहियों में हुई प्रगति

4731. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 'स्टे पुट टिनेन्ट्स' के बारे में 13 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 96 भूतपूर्व संसद सदस्यों और 4 भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध शुरू की गई आवास खाली कराने की कार्यवाही में कोई प्रगति हुई है, जिन्होंने सरकारी आवास पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). जिन 96 भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा 4 भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई थी उनमें से 58 भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा 2 भूतपूर्व मंत्रियों ने अब सरकारी मकान खाली कर दिये हैं। सम्पदा अधिकारी ने 36 भूतपूर्व संसद सदस्यों और दो भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ बेदखली के आदेश पास कर दिये हैं। शेष दो भूतपूर्व संसद् सदस्यों के खिलाफ मामलों में सुनवाई चल रही है।

कावेरी नदी के जल का वितरण

4732. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने कावेरी जल के वितरण के बारे में अपना विवाद सुलझा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). 25 और 26 अगस्त 1976 को हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच निम्नलिखित पर मतैक्य हो गया था, अर्थात

(1) इस समय कावेरी के 671 टी एम सी जल का समुपयोजन होता है जिसमें से 489 टी एम सी तमिलनाडु, 177 टी एम सी कर्नाटक तथा 5 टी एम सी केरल द्वारा किया जाता है।

(2) वर्तमान अयाकटों को नुकसान पहुंचाए बिना जल के वर्तमान समुपयोजन में किफायत करने की गुंजाईश है।

(3) कावेरी बेसिन में जलाशयों के समेकित प्रचालन की तथा जल के इष्टतम समुपयोजन एवं न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जल की सप्लाई के नियमन की आवश्यकता है ।

(4) सिंचाई के अन्तर्गत वर्तमान क्षेत्रों को किसी साधारण वर्ष में पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा।

(5) कमी वाले वर्षों में उपलब्ध जल के बटवारे का तरीका तय करने एवं इस समय समुपयोजन के लिए उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त जल की मात्रा का हिसाब लगाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति तत्काल गठित की जाएगी ।

(6) 'कावेरी घाटी प्राधिकरण' को स्थापित किया जाएगा ।तीनों राज्यों के सचिवों की एक समिति द्वारा प्रस्तावित कावेरी घाटी प्राधिकरण के कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली तैयार की जाएगी ।

(7) ऊपर उल्लखित दोनों समितियों की रिपोर्टों पर मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में विचार किया जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र में माल चढ़ाने-उतारने के शुल्कों में वृद्धि

4733. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी क्षेत्र में माल चढ़ाने उतारने के शुल्कों नें वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इन शुल्कों में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन शुल्कों पर सरकार राज-सहायता देती है और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम केवल पश्चिमी बंगाल में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यानों को वितरित करने संम्बंधी कार्यों को सम्भालता है । भारतीय खाद्य निगम को पिछले वर्ष से जिन सम्भालने संम्बंधी खर्चों की अनुमति प्रदान की गयी थी, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

कालेजों में उर्दू को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना

4734. **श्री सी०क० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस समय कालेजो में और उच्च शिक्षा के लिए उर्दू को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : उन विश्वविद्यालयों में जो उर्दू में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम चलाते हैं, उर्दू शिक्षण का माध्यम है। 1 जुलाई, 1976 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए जिन विश्वविद्यालयों ने उर्दू

को शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी है वे हैं :—आगरा, अलीगढ़, गुरु नानक देव, जवाहरलाल नेहरू, कानपुर, काश्मीर, कुरुक्षेत्र, मेरठ, उस्मानिया, मैसूर, पंजाब, श्री वेंकटेश्वर तथा जामिया मिलिया इस्लामिया (विश्वविद्यालय समझी जाने वाली एक संस्था) ।

आदिवासियों की भूमि का स्वामित्व

4735. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों की अधिकांश भूमि के मालिक गैर-आदिवासी हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार, आंध्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र में आदिवासियों की कितनी भूमि गैर-आदिवासियों के कब्जे में हैं और

(ग) ये भूमि आदिवासियों को वापस दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के रिकार्ड आमतौर पर अपर्याप्त हैं । अतः यह बताना ठिन है ककि आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के कब्ज़े में कितना क्षेत्र है । इसके अलावा, भूमि के सभी हस्तांतरण औपचारिक एंव कानून के अनुसार नहीं किए गए हैं । आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के फर्ज़ी हस्तांतरण होते रहते हैं, जो भूमि के रिकार्डों में नहीं दिखाए जाते हैं । तथापि, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सम्पूर्ण देश में अथवा प्रश्न के भाग (ख) में उल्लखित राज्यों में ही अधिकांश आदिवासी भूमि गैर-आदिवासियों के कब्जे में हैं ।

(ग) इन सभी राज्यों में आदिवासियों की भूमि क अनाधिकृत अंतरण को रद्द करने के कानूनी उपबंध हैं । इन उपबंधों को सम्बंधित राज्य सरकारें लागू करती हैं ।

मुसलमानों में साक्षरता

4736. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुसलमानों की संख्या और कुल जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) देश में मुसलमानों की संख्या और देश की कुल जनसंख्या की तुलना में मुसलमान महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) मुसलमानों में शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). साक्षरता से सम्बन्धित आंकड़े धर्मवार सारणोबद्ध नहीं किए जाते हैं और इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में समुद्री कटाव की समस्या का समाधान

4736. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री-कटाव की समस्या, जो देश में प्रति वर्ष उत्पन्न हो जाती है, का समाधान करने की सरकार की कोई नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल को इस समय भीषण समुद्री-कटाव का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार का केरल तथा अन्य तटवर्ती राज्यों के लिए समुद्री-कटाव को रोकने हेतु तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने समुद्री-कटाव को बाढ़ नियंत्रण से अलग करने के बारे में केरल सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों पर सहमत होने का निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यद्यपि भारत के समुद्र-तट के साथ-साथ कुछ स्थानों में विभिन्न मात्राओं में समुद्र द्वारा कटाव की समस्या विद्यमान है परन्तु यह केरल के समुद्र-तट पर दूर-दूर तक फैली है और गम्भीर है । केरल के 560 कि० मी० लम्बे समुद्र-तट में से लगभग 320 कि० मी० में समुद्र-कटाव होता है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान मानसून के मौसम के दौरान केरल के समुद्र-तट के साथ-साथ गम्भीर कटाव हुए हैं और इससे किनारों, झुग्गियों, वर्तमान समुद्री दीवारों, नारियल के वृक्षों आदि को लगभग 250 लाख रुपये की हानि हुई हैं जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है ।

(ग) केरल की राज्य सरकार द्वारा प्रथम योजना के अन्त से समुद्र-कटाव-रोधी उपाय जिसमें समुद्री-दीवारें, ग्राइन्स आदि शामिल हैं आरम्भ किए गए थे । तब से लगभग 21.5 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ, मार्च, 1976 तक लगभग 150 कि० मी० की लम्बाई में तट को सुरक्षित किया जा चुका था । पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान समुद्र-कटाव रोधी कार्यों पर 5.94 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं । चालू वर्ष का स्वीकृत परिव्यय 3 करोड़ रुपये हैं । यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार की समुद्री-दीवारों का निर्माण किया जा रहा है वे समुद्र-कटाव से सुरक्षा प्रदान करने में पर्याप्त पाई गई हैं और उनके निर्माण को जारी रखने का प्रस्ताव है । अन्य राज्यों में जहां पर यह समस्या स्थानीय प्रकार की हैं और गम्भीर नहीं हैं, सम्बद्ध राज्य सरकारें जैसाकि वे आवश्यक समझती हैं उपायों का आयोजन करती है तथा उनको कार्यान्वित करती हैं ।

(घ) केरल की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Civic amenities in Delhi Sadar Parliamentary Constituency

4738. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the colonies under the Delhi Sadar Parliamentary Constituency which are duly approved but the Municipal Corporation of Delhi has not taken them over for providing civic amenities therein;

(b) names of such colonies and since when the cases of each of these colonies are pending;

(c) whether Government have not taken any action in this regard for the last many years; and

(d) the time by which the process of taking them over by DMC would be completed ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) and (b). The various civic services of a colony are taken over by the Municipal Corporation of Delhi on written request from the sponsorer/Association of the colony, subject to the development work carried out in the colony, is found to be in order. A number of colonies under the Delhi Sadar Parliamentary Constituency have been approved by the Corporation from time to time. Some of the colonies, although approved by the Corporation, are not complete in their development work and formal request from the sponsorer/Association of those colonies for taking over of the services, have not been received by the Corporation. The services in respect of the following colonies in that Constituency, from whom formal requests have already been received, are yet to be provided by the Corporation :—

Name of the Colony	Date since the case is being processed
1. Bank Enclave	May, 1969
2. F & G Blocks, Mansarover Garden	August, 1967
3. DLF Indl. Area Najafgarh Road	July, 1960
4. Karampura Indl. Housing Colony, Najafgarh Road	September, 1963
5. Jaidev Park, Rohtak Road	1964/65
6. Bhagwan Dass Nagar, Rohtak Road	May, 1969
7. PWD Group Housing Colony, Gulabi Bagh	August, 1973
8. Gujranwalan Colony Part I & II	February, 1972
9. PWD Group Housing near Alpna Cinema	June, 1972
10. Timarpur 272 Qrs. Type II	December, 1970

(c) No, Sir.

(d) Since sponsorer/Association have to complete the development works as per approved lay-out Plan the Corporation does not take over the colonies unless sponsorer/Association deposit the deficiency charges. Under these circumstances it is not possible to give a time limit within which these colonies would be taken over by Municipal Corporation Delhi.

Expenditurie on centrally assisted schemes for irrigation in Eastern U.P.

4739 **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress of the Centrally assisted middle and small irrigation schemes in four districts of eastern Uttar Pradesh *viz.* Ghazipur, Ajamgarh, Deoria and Jaunpur;

(b) the expenditure incurred thereon; and

(c) the advantage received therefrom ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a): There are no medium or minor schemes in districts of Ghazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur of Uttar Pradesh which are being financed by the Central Governemmnt.

(b) and (c): Do not arise.

Preliminary survey in respect of certain schemes conducted by U. P. Government

4740: **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Government have conducted a preliminary survey in respect of (a) Kamali scheme on the Ghaghra river (b) Bhaloowang (c) Pancheshwar scheme on Rapti river and submitted these schemes to the Central Government for their approval recently;

(b) whether brief details of these schemes would be laid on the Table of the House; and

(c) whether the Nepal Government have given permission for the final survey to be conducted by the joint team of the schemes; if not, the reasons therefor ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (c) Preliminary surveys and investigations in the Sarda Valley were carried out during the sixties by the Uttar Pradesh authorities. Based on these surveys and investigations two sites, one at at Pancheshwar and the other at Poornagiri, were identified for construction of high dams for multipurpose development. As the project sites are located on the stretch of the Sarda where it forms the boundary between Nepal and India, it has been agreed between the two countries that investigations on the Pancheshwar dam should be taken up jointly. It has also been agreed to constitute a Joint Expert Group to direct the investigations of this project.

No suitable site for construction of a dam across the Rapti within the Indian territory is available. A preliminary report based on topo sheet studies envisaging a dam at Jalkundi in Nepal was prepared by the Uttar Pradesh Government. This site, however, involved submergence of large cultivable land in Nepal. The Government of Nepal have since prepared an interim report for the consturction of a dam on the Rapti at Bhalubhang in Nepal. It has been agreed to discuss with the representatives of the Government of Nepal about this report, its scope, terms of reference for full scale feasibility study and arrangements for joint investigations.

The Government of Uttar Pradesh have not carried out any investigations for power generation on the Ghaghra river in Karnali basin. However the G overnment of Nepal have proposals for development of Hydro electric potential of the Karnali river in Nepal at a site near Chisapani. Nepal and India have been exploring the possibility of cooperation in developing the site for their mutual benefit. India have agreed in principal to purchase power from Karnali project. Understanding has been reached between the two countries that India would be fully associated with the detailed investigations and formulation of the project.

As detailed investigation of these projects are yet to be carried out, it is not possible to furnish any details at this stage.

उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनायें

4741. **श्री डी० अमात:** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिए कोई लघु सिंचाई योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). प्रचलित प्रणाली के अनुसार वार्षिक योजनाओं में शामिल की गई राज्य योजना के लिये ही केन्द्रीय सहायता ऋणों और अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जाती है और इसका किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से कोई सम्बंध नही होता ।

वर्ष 1977-78 के लिये राज्य की योजना में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 10.58 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है । इस कार्यक्रम में सतही जल-भण्डारणों के निर्माण और दिशा बदलने की योजनायें, उठाऊ सिंचाई योजनाएं, सार्वजनिक नलकूप, और सरकारी नलकूप तथा खुदाई के कुएं शामिल हैं ।

Gogri-Narayanpur Embankment

4742. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Gogri-Narayanpur embankment in Ganaul-Maujma Panchyat area was damaged due to erosion by Ganga during the floods last year;

(b) if so, whether second embankment is being consturcted to save the said area from floods and the total outlay on its consturction;

(c) whether a R.E.O. road and a ring embankment by its side were constructed in 1976 with a view to reinforce this embankment and to raise its height; and

(d) if so, the amount spent in 1976 and the results thereof ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (d). Prior to 1976 floods, the State Government of Bihar had raised a portion of the existing Rural Engineering Organisation road to serve as flood embankment and in addition provided a retired embankment near Ganul village near the existing Gogri-Narayanpur embankment. The State Government have reported that during floods of 1976 the retired embankment near Ganaul village had breached and a portion of Rural Engineering Organisation road serving as flood embankment had been washed away.The Government of Bihar have formulated a scheme for protection of the Narnyanpur area from erosion by Ganga at an estimated cost of Rs. 350 men The scheme is yet to be finalised. However to meet the immediate needs, the State Govern-lakhs. has taken up anti-erosion measures in the Narayanpur area for protection of vulnerable reaches at an estimated cost of Rs. 40 lakhs.

Consruction of mbankment from Balaghat to Paharpur

4743. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whethr the Department of Irrigation has under consideration a scheme to construct an embankmene from Badlaghat to Paharpur (upto Nagarpara dam) in Monghyr district for proteciton against floods in Kosi;

(b) if so, the difficulty in constructing this embankment; and

(c) whether it is a fact that two-three crops can easily be grown in about one lakh hectare of land on north side of Khagaria Sub-division as a result of consturction of this embankment ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a): and (b). The State Government of Bihar have prepared a scheme costing Rs. 242·35 lakhs for construction of 29 Km. long embankment on the right bank of the Kosi starting from Railway embankment near Badlaghat and linking it to the existing Nagarpara embankment near Paharpur. The scheme was submitted to the Ganga Flood Control Commission who after scrutiny have suggested to the State Government certain modifications in the scheme. The modified scheme is awaited from the State Government.

(c) On completion of the proposed embankment an area of about 0·18 lakh hectare and consequently the crops thereon is expected to be protected from the floods of the Kosi.

Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Ministry

*4744. **Shri Ram Vilas Paswan**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various categories of posts in the Ministry; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Statement is attached [**Placed in Library See No. LT-822/777**]

(b) The following safeguards are observed to ensure that reserved posts go to reserved community.

(i) appointments are strictly made in accordance with communal rosters and orders on the subject.

(ii) the rosters are inspected to see that they are maintained properly.

S.C. aad S.T. Employees in Ministry

4745. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in various categories of posts in the Supply and Rehabilitation Department; and

(d) the steps proposed to be taken by Government in regard to completing the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)(a): Department of Supply :

(Information as on 1-7-1977)

Groups of Posts	Scheduled Castes	Scheduled Tribe
Group A .	31	2
Group B	81	7
Group C . .	586	132
Group D . .	291	57
TOTAL	989	198

Department of Rehabilitation:
(Information as on 1-7-1977)

Groups of Posts	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
Group A	4	..
Group B	16	2
Group C	683	57
Group D	506	137
Total	1209	196

(b) The instructions of the Ministry of Home Affairs on the subject are being strictly followed by the Ministry of Supply and Rehabilitation.

ग्रामीण आवास के लिए राज्यवार मंजूर की गई धनराशि

4746. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक ग्रामीण आवास योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार, कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई हैं और वितरित की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य सरकार ने वास्तव में कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) कुल कितने मकान बनाने की राज्यवार योजना हैं; और

(घ) वास्तव में कुल कितने मकान बनाये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). पांचवीं योजना के दौरान राज्यों को उनके वार्षिक प्लानों के लिए केन्द्रीय सहायता एकमुश्त 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है । यह किसी विकास उप-शीर्ष या योजना से संबंधित नहीं है । अतः ग्रामीण आवास योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में सूचना देना संभव नहीं है ।

(ग) तथा (घ). ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधायें देने के लिए दो प्लान योजनायें हैं नामतः ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना। ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत, 1957 में जब इसे आरम्भ किया गया था, 98,364 मकान निर्माणार्थ स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 65,672 मकान बनाये जा चुके हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवासस्थल देने की योजना का संबंध है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के परिवारों को बिना लागत आवास स्थल देना है। जिनके पास पहले अपने आवास स्थल या अपनी भूमि पर निर्मित मकानया झौंपड़ी नहीं है। इस प्रकार उपलब्ध किए गए आवास स्थलों पर मजदूरों से यह आशा की जाती है कि वे अपने साधनों या ऐसी सहायता से उन पर मकानों का निर्माण करें जो राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उन्हें दी जा सकती हो।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी गजेन्द्रगडकर समिति

4747. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यों के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशक, के विशेष संदर्भ में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता वाली पिछली केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पर गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट 19 जनवरी 1973 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार से थी :—

(1) यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को केन्द्रीय सरकार का एक विभाग बनाया जाए ।

(2) यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक पदों की भर्ती का कार्य केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाय ।

(3) यह कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के लिए खाद्य एवं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद् होनी चाहिए ।

(4) यह कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में दो कार्यकारी समितियां होनी चाहिएं —एक कृषि शिक्षा तथा दूसरी कृषि अनुसंधान के लिए ।

(5) यह कि इस विभाग में संयुक्त सलाहकार मशीनरी की पद्धति प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

(6) यह कि प्रत्येक संस्थान में एक शिकायती कक्ष होना चाहिए ।

(7) यह कि इस विभाग तथा संस्थानों के अधीन काम करने वाले स्टाफ को चार [illegible]णयों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए—वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा स्पोर्टिंग ।

(8) यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में, उच्चतर पदों की भर्ती, सावधिक आधार पर की जानी चाहिए ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की भूमिका के सं ध में कोई निश्चित सिफारिश नहीं की गयी थी ।

(ग) तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में बने एक चार मंत्रियों के दल की सहायता से इस समिति की सिफारिशों की बारीकी के साथ जांच पड़ताल की और इस समिति की सफिारिशों को इस प्रकार के संशोधनों के साथ क्रियान्वित किया

जिन्हे वैज्ञानिक अनुसंधान के हित में आवश्यक समझा गया । सरकार के निर्णयों प : संसद् के दोनों सदनों में 1973 में विस्तृत विचार विमर्श किया गया ।

(घ) सिफारिशें तथा उन पर की गयी कार्यवाही दर्शाने वाली टिप्पणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० –823/77]

संसद सदस्यों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था

4748. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्यों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के मामले में आवासों की अत्यधिक कमी का अनुभव कर रही हैं ;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो मंत्री थे (पांचवीं लोकसभा के प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष सहित) और चुनाव में हार जाने पर भी सरकारी आवास में ही रह रहे हैं ; और

(ग) ऐसे आवासों में कितने आवास 'यूनिट' हैं जो वर्ष 1971—77 (पांचवीं लोक-सभा) के दौरान रहे मंत्रियों को दिए गए थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार संसद सदस्यों के लिए वास की कमी अनुभव कर रही है क्योंकि बहुत से भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा अभी तक सरकारी वास खाली नहीं किए गए हैं ।

(ख) दो भूतपूर्व मंत्री, नामत: सर्वश्री बी० पी० मौर्य तथा जगन्नाथ पहाड़िया जो छठी लोक-सभा के पिछल आम चुनावों में हार गए थे, अभी भी सरकारी वास के दखल में हैं ।

(ग) श्री बी० पी० मौर्य को 1974 में तथा श्री जगन्नाथ पहाड़िया को 1969 मे वास का आवंटन किया गया था ।

Grants and loans to small and marginal farmers in U.P.

4749. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount provided to the Government of Uttar Pradesh during the financial years 1975-76 and 1976-77 for giving grants and loans to marginal and small farmers; and

(b) the amount, out of this, spent for marginal and small farmers and the purpose for which the remaining amount has been utilised ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The following amounts have been provided under the various Central Sector programmes, as noted against each of them, during the years 1975-76 and 1976-77:—

(Rs. in lakhs)

	1975-76	1976-77
Amounts totally provided for small and marginal farmers .	121·95	561·24
Amount partially provided for small and marginal farmers .	..	2590·80
(b) (*i*) Amount totally spent on marginal/small farmers . .	270·20	637·04
(*ii*) Amount partially spent on marginal and small farmers •	..	9·23

The expenditure is higher than the releases for the reason that the Agencies had un-spent balances from the previous years which were carried forward and utilised by the Agencies. Further, expenditure figures reflect the contributions made by the State Government for these programmes.

Under certain schemes like D.P.A.P. and credit for agricultural inputs, grants are made available to farmers other than small and marginal farmers also. Therefore, these provisions are spent on small and marginal farmers partially only and question of utilising remaining amount does not arise.

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों की व्यवस्था

4750. **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने प्रत्येक पुनर्वास कालोनी के लिए सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था की हैं जिससे वहां के रहने वालों की सामुदायिक आवश्यकताएं पूरी हों ;

(ख) यदि हां, तो क्या रणजीतनगर पुनर्वास कालोनी के प्रत्येक ब्लाक के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक ब्लाक में इस प्रयोजन के लिए ग्राउंड फ्लौर के दो टेनमेंट दिए जायेंगे ताकि वहां के लोगों की कठिनाई दूर हो सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कई पुनर्वास कालोनियों के विन्यास नक्शों में समाज सदन/कौम्यूनिटी हाल का प्रावधान किया गया है । किन्तु यह बात सभी पुनर्वास कालोनियों के बारे में नहीं है ।

(ख) तथा (ग). रणजीत नगर में समाज सदन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । और इस प्रयोजन के लिए ग्राउण्ड फ्लौर टेंनमेंट की व्यवस्था करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है । क्योंकि समीपवर्ती जे० जे० कालोनी पाण्डव नगर में समाज सदन की व्यवस्था की गई है ।

उत्तर प्रदेश को "कैन" उर्वरक का आंवटन

4751. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 'कैन' उर्वरक के सबसे बड़े उत्पादक, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह चालू खरीफ की फसलों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 'कैन' उर्वरक के आवंटन में कोई भारी कटौती न की जाय ताकि 'फेरो-एसिडिक' मिट्टी वाली भूमि, जहां आलू, आम, गन्ना और सब्जियों जैसी नकदी फसलें पैदा होती हैं, के किसानों को अनुचित नुकसांन न हो और फसलें भारी मात्रा में नष्ट/क्षतिग्रस्त न हों ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की खरीफ रबी फसलों के लिए 'कैन' के आवंटन का केवल 1 : 10 अनुपात चालू खरीफ मौसम के लिए आवंटित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसानों, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों को बड़ी भारी कठिनाई हो रही हैं ; और

2063 LS—10

(ग) नकदी फसलों को बचाने और छोटे तथा सीमान्त किसानों की भारी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार का तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भाड़ा शुल्क के व्यय में कमी करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अनुरोध किया था कि उनकी फैक्टरी से उत्तर प्रदेश को कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए और तदनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और टी बोर्ड (दक्षिण) को की जाने वाली सप्लाई भी कम कर देनी चाहिए ?

(ख) खरीफ 1976 और 1977 में आवंटन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है : —

खरीफ 1976 . . .	58,000 मीटरी टन
खरीफ 1977	23,320 मीटरी टन

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय उर्वरक पूल भण्डार से कुछ और माल भी सुलभ किया जा रहा है। इसके अलावा, उतर प्रदेश में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः कृषक समुदाय को किसी प्रकार की कठिनाई अथवा फसलों को हानि होने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

खाद्य पदार्थों की औसत खपत

4752. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रति वयस्क खाद्य पदार्थों की औसत खपत भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सभी राज्यों को खाद्य-पदार्थों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत, जोकि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न होती है, खाद्यान्न उत्पादन के प्रतिमान, खाद्य की मंडी में उपलब्धता, खाद्य संबंधी स्थानीय आदतों, वैकल्पिक खाद्य की उपलब्धता, सामाजिक धार्मिक रिवाजों, जनता की क्रय शक्ति, आयु लिंग योग और विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की साक्षरता के स्तर जैसी कई एक बातों पर निर्भर करती हैं । प्रति व्यक्ति खपत के स्तर का अन्दाजा लगाने के लए अधिकांश परिवर्तनशील तत्वों की दृष्टि में, खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत में अन्तर-राज्यीय अन्तर का ठीक-ठीक अंदाजा लगाना कठिन है ।

उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, राज्य के अन्दर उत्पादित और बेचे गए खाद्यान्नों के अलावा, केन्द्रीय स्टाफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं, चावल और मोटे अनाज भी दिए जाते हैं ।

मसालों के बारे में अनुसंधान और उनका विकास

4753. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मसालों के अनुसन्धान और विकास का कार्य बहुत मन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी नहीं, श्रीमान । इस समय मसालों के अनुसन्धान और विकास पर उपयुक्त ध्यान दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(ग) जहां तक अनुसन्धान का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद पहले ही, चौथी योजना ही से, एक अखिल भारतीय समन्वित मसाला सुधार प्रायोजना चला रही है। प्रायोजना के अन्तर्गत अब 9 केन्द्र हैं (केरल में कसरगोड, पम्पादुम्पारा और पन्नियूर, कर्नाटक में मुड़ीगेर, तमिलनाडु में कोयम्बेटोर, आंध्र प्रदेश में लाम, राजस्थान में उदयपुर, गुजरात में पिलवाई और हिमाचल प्रदेश में कंडाघाट) पांचवीं योजना में इस प्रायोजना के लिए 24.2 लाख रु० की राशि का प्रावधान है । अनेक प्रमुख और गौण मसालों पर अनुसन्धान प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, केरल में कालीकट के पास, पेरूवन्ना मुजी स्थान पर नवम्बर, 1975 से पांचवीं योजना के अन्तर्गत 42 लाख रुपये की लागत का एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया है । इस मसाले के केन्द्र पर 22.95 रुपये की लागत का केरल कृषि विकास प्रायोजना के अन्तर्गत काली मिर्च पर गहन अनुसन्धान करने का सुझाव है ।

विभिन्न राज्यों में मसालों के विकास के लिए अनेक केन्द्र संचालित कार्यक्रम कृषि विभाग चला रहा है । निम्नलिखित कार्यक्रमों की प्रगति इस प्रकार है :—

योजना का नाम	पांचवीं योजना में लागत क्षेत्रफल हेक्टेर में	वित्तीय (रु० लाख में)
1	2	3
काली मिर्च		
1. (क) संकर काली मिर्च "पन्नीयूर–1" के लिए केन्द्रीय नर्सरी की स्थापना और रखरखाव ।	80 हेक्टेर	
(ख) पन्नीयूर–1 की जड़ कर्त्तन का उत्पादन और वितरण ।	50 लाख	45.666

1	2	3
2. पन्नीयूर–1 की खेती को बढ़ावा देने के लिए खेतों में प्रदर्शन द्वारा 30,000 हेक्टेर क्षेत्र में काली मिर्च उगाने के लिए पैकेज कार्यक्रम योजना और वैज्ञानिक पैकेज पद्धतियों को अपनाना।	300 नये प्रदर्शन प्लाट, 11000 हेक्टेर खाद और पौध संरक्षण प्रदर्शन प्लाट। दुबारा रोपाई के लिए सहाय दरों पर पन्नीयूर-1 की 30 लाख जमी हुई करतनों का वितरण।	119.025
लौंग और जायफल		
(3) लौंग और जायफल के श्रेष्ठतर पौधों का उत्पादन और वितरण	5 लाख	राशि योजना-1 के अन्तर्गत सम्मिलित।
अदरक		
(4) अदरक के बीज संवर्धन .	20 हेक्टेर प्रति वर्ष	राशि योजना-1 के अन्तर्गत सम्मिलित।
(5) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में 1977-78 और 1978-79 के दौरान मसालों के विकास के लिए योजना	(i) काली मिर्च, लौंग, जायफल और दालचीनी का सन्तति उद्यान–26 हेक्टेर (ii) पौधों का उत्पादन और वितरण : काली मिर्च––3 लाख लौंग––40,000 जायफल––40,000 (iii) प्रदर्शन प्लाट्स काली मिर्च––150 लौंग––100 जायफल––100 हेक्टेर (iv) फील्ड कर्मचारियों का प्रशिक्षण।	12.376 लाख

इलायची बोर्ड (वाणिज्य मंत्रालय) इलायची विकास के लिए कुछ योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

गन्ने और धान के वसूली मूल्य

4754. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने, धान आदि के उत्पादकों को इस समय क्या वसूली मूल्य दिया जा रहा है ;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने सरकार को अगली फसल के लिए वसूली मूल्य में संशोधन करने के लिए कुछ ठोस सिफारिशें भेजी हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस प्रयोजन हेतु राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दो विवरण संलग्न हैं (विवरण I और II) ।

(ख) आगामी मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । तथापि, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकारों की राय पर विचार किया जाएगा ।

विवरण I

उत्पादकों को दिए गए धान के मौजूदा मूल्यों आदि को बताने वाला विवरण

जिन्स	किस्म	मूल्य (रुपये प्रति क्विं०)
धान	मोटा उचित औसत किस्म	74.00
चावल	मोटा उचित औसत किस्म	117.00 से 126.00
ज्वार*	उचित औसत किस्म	74.00
बाजरा	उचित औसत किस्म	74.00
मक्का	उचित औसत किस्म	74.00
रागी	उचित औसत किस्म	74.00
गेहूं@	उचित औसत किस्म	110.00 सभी किस्मों के लिए

*खरीफ विपणन मौसम 1976-77 के लिए निर्धारित मूल्य

@रबी विपणन मौसम 1977-78 के लिए निर्धारित मूल्य

विवरण–II

फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1976-77 के दौरान उनके द्वारा फैक्ट्री के दरवाजे पर वास्तव में दिए गए/दिए जा रहे गन्ने के मूल्य का रेंज।

राज्य	गन्ने के मूल्य का रेंज (रु० प्रति क्विं०)
उत्तर प्रदेश	12.25 से 13.25
बिहार	12.25@
पश्चिमी बंगाल	12.50 से 14.50
हरियाणा	13.00
पंजाब	13.25@@@
असम	11.00
राजस्थान	12.25 से 14.25
मध्य प्रदेश	12.00@@
उड़ीसा	8.50 से 13.00
महाराष्ट्र	9.00* से 16.60*
गुजरात	9.00* से 14.00*
कर्नाटक	10.60* से 15.00*
केरल	13.00 से 13.30
आंध्र प्रदेश	10.00 से 12.00
तमिलनाडु	8.50 से 11.70
पांडिचेरी	9.50
नागालैंड	11.00
गोआ	12.00

@हरिनगर स्थित एक फैक्ट्री 12.50 रुपये प्रति क्विं० की दर से भुगतान कर रही है।

@@मुरैना स्थित एक सहकारी फैक्ट्री 13.50 रुपए प्रति क्विं० की दर से भुगतान कर रही है।

@@@मौरिन्दा स्थित फैक्ट्री ने सूचित किया है कि वे 11 रुपये प्रति क्विं० की दर से भुगतान कर रही है।

*ये अधिकांशतः सहकारी चीनी फक्ट्रियों द्वारा खेत पर दिए जा रहे अस्थायी मूल्य हैं।

निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के लिए 50 प्रतिशत भुगतान के बारे में असंतोष

4755 **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग से पहली किस्त के रूप में निम्न आय वर्ग फ्लैटों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत मूल्य मांग रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उन ग्रुपों से 50 प्रतिशत भुगतान की मांग के कारण बड़ा असंतोष है ; और

(ग) निम्न कोटि के लोगों का बोझ कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस समय लागत का 33 % से 50 % तक मांगा जा रहा है।

(ख) सिवाय कुछ मामलों के जिनमें आरम्भिक धरोहर राशि के भुगतान में समय बढ़ाने की मांग की जाती है, अधिकांशत: अलाटी प्रारम्भिक धरोहर राशि का भुगतान समय पर कर देते हैं। तथापि इस बारे में किसी बड़े असंतोष का सरकार को पता नहीं है।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान प्राथमिकता निम्नलिखित रूप से थी :—

(i) कुल लागत का एक मुश्त भुगतान करना।

(ii) लागत की 75 % राशि का भुगतान अलाटमेंट के समय करना तथा शेष राशि का भुगतान 60 बराबर मासिक किस्तों में करना।

(iii) लागत की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अलाटमेंट के समय करना तथा बकाया राशि का भुगतान 84 बराबर मासिक किस्तों में करना।

(iv) लागत की 33 % राशि का भुगतान अलाटमेंट के समय करना तथा शेष राशि का भुगतान 120 बराबर मासिक किस्तों में करना। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब यह निर्णय किया है कि :—

(क) प्रत्येक काम्पलैक्स में 50 प्रतिशत मकानों के निपटान पूरी कीमत का भुगतान करने पर किया जाए तथा शेष का निपटान किराया खरीद आधार पर किया जाए।

(ख) जो किराया खरीद आधार पर खरीदेंगे उन्हें कीमत का 50 % अलाटमेंट के समय देना पड़ेगा। बकाया रकम और ब्याज का भुगतान मध्यम आय वर्ग द्वारा 7 वर्ष में तथा निम्न आय वर्ग द्वारा 10 वर्ष में मासिक किस्तों में किया जाएगा।

कोग्रापरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी शाहदरा द्वारा सदस्यता का समाप्त किया जाना

4756. **श्री डी० ग्रमात** : क्या **नर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ हाऊस बिल्डिंग कोग्रापरेटिव सोसाइटियों ने, जिन्हें शाहदरा में भूमि ग्राबंटित की गई है, ग्रपने मूल सदस्यों की, जो वर्ष, 1959 से सदस्य थे, सदस्यता रद्द कर दी, ग्रौर जब मूल सदस्यों द्वारा जमा कराई गई धनराशि से भूमि का विकास पूरा हो गया तब वर्ष, 1970 में कुछ प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों के नाम शामिल कर लिये गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नये सदस्यों के प्रवेश के बारे में जांच करेगी ग्रौर जाली सदस्यों के नाम हटायेगी ग्रौर मूल सदस्यों को उनके ग्रधिकार दिलायेगी ; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उन मूल सदस्यों की सहायता किस प्रकार करेगी जिन्हें उनके ग्रधिकार से वंचित कर दिया गया है ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सदस्यता रद्द करने के कुछ कथित मामले ध्यान में ग्राए हैं। उनके स्थान पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग). दिल्ली प्रशासन ने 3 ग्रगस्त, 1967 को सदस्यता समाप्त कर दी थी। दिल्ली प्रशासन ने ग्रावास निर्माण सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के सत्यापन के लिए एक साधारण प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इस प्रक्रिया के ग्रन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें 3 ग्रगस्त 1967 से पहले सदस्य बनाया गया था, किन्तु सोसाइटी द्वारा किसी कारण से उन्हें निकाल दिया गया, सहकारिता विधि के ग्रन्तर्गत उनके निष्कासन की वैधता जानने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक नोटिस (सोसाइटी की प्रतिलिपि सहित) भेजा जाएगा। इस वर्ग के व्यक्ति, यदि उनकी सदस्यता पुनः स्वीकार की जाए तो वे प्लाटों के ग्रावंटन के पात्र होंगे।

उन व्यक्तियों के मामलों में जिन्होंने 3 ग्रगस्त, 1967 से पहले ग्रपने ग्रापको सदस्य बनने का दावा किया किन्तु कुछ भूल के कारण उनके नामों को शामिल नहीं किया गया उनके मामले पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली प्रशासन 3 ग्रगस्त, 1967 के पश्चात् बने सदस्यों के मामले पर विचार करेगा।

तमिलनाडु में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता

4757. **श्री पी० एस० राम लिंगम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है ; ग्रौर

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसे विद्यालयों को कितनी सहायता देती है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1976–77 में तमिलनाडु में कोई भी उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में सप्लाई विभाग की भूमिका

4758. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में सप्लाई विभाग की क्या भूमिका है ;

(ख) उक्त क्षेत्र में सप्लाई, आर्डर देने के बारे में विभाग की क्या नीति है ;

(ग) एक वर्ष में क्रयादेशों के कुल मूल्य की तुलना में इनको दिये गये आर्डरों के मूल्य की औसतन प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) इस क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु किसी अन्य प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पूर्ति विभाग का यह एक क्रय नीति संबंधी उद्देश्य है कि सरकारी खरीदों के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पादन और उपयोग को यथा संभव अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये ।

(ख) (1) सरकार की नीति यह है कि लघु उद्योग से खरीद के लिए आरक्षित की गई 241 वस्तुओं को केवल उसी क्षेत्र से ही खरीदा जाए ।

(2) लघु और बड़े दोनों ही क्षेत्रों में निर्मित होने वाली वस्तुओं की बाबत लघु तथा कुटीर उद्योगों को 15 प्र0 श० का मूल्य अधिमान दिया जाता है ।

(ग) 1976–77 के दौरान लघु तथा कुटीर उद्योगों को दिये जाने वाले आर्डरों का मूल्य, कुल दिये गये आर्डरों का 12.5 प्रतिशत था । (वर्ष 1976–77 में 781.24 करोड़ रुपये मूल्य के कुल आर्डरों में से लघु तथा कुटीर उद्योगों को 95.68 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर दिये गये ।)

(घ) पूर्ति विभाग लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र से खरीदों में वृद्धि करने के विचार से ऐसी वस्तुओं और पूर्तिकर्ताओं का पता लगाने की संभावनाओं का लगातार पुनरीक्षण करता रहता है । इसके परिणाम-स्वरूप लघु और कुटीर उद्योगों के पूर्ति कर्ताओं का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है । इसके अलावा लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के निम्नलिखित अन्य उपाय भी किये गये हैं :—

(1) केवल लघु एककों से खरीद के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या उत्तरोतर बढ़ाई जा रही है ।

(2) खादी व ग्रामोद्योग आयोग और लघु उद्योग निदेशालयों को, सरकारी खरीदों के लिए मांगी जाने वाली वस्तुओं के क्षेत्र के विषय में लगातार सलाह दी जाती है ताकि जहां भी संभव हो, वे उत्पादन की व्यवस्था करने में सहायता करें ; और

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एकमात्र माध्यम से लघु एककों के पंजीकरण से भी लघु एककों को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से आर्डर प्राप्त करने में विशेष रूप से मदद मिलती है ।

ऐसी वस्तुओं की बाबत, जिनमें लघु उद्योग एककों की रुचि होती है, टैण्डर सैटों (समूल्य विशिष्टियों और/या समूल्य ड्राइंगों को छोड़कर) को पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय लघु उद्योगों निगम के मुख्य सम्पर्क अधिकारी के पास लघु उद्योग एककों में वितरित करने के लिए भेज दिया जाता है ।

कमजोर वर्गों के लिए कम लागत वाले मकानों का नमूना तथा लागत

4759. **श्री एस० डी सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम लागत वाले मकानों संबंधी विभिन्न योजना की किस हद तक क्रियान्विति हुई है;

(ख) कमजोर वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु स्वीकार किए गए कम लागत वाले मकानों का नमूना तथा लागत क्या है; और

(ग) कम लागत के मकान बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया है; और कमजोर वर्गों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जैसी प्लान योजनाएं जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिये कार्यान्वित की जाती है, का उद्देश्य निर्माण की अधिकतम लागत पर, अनुमय ऋण की अधिकतम राशि पर, सहायता की पात्रता पर आय सीमा आदि पर रोक लगा कर कम लागत के मकानों को बढ़ावा देना है ।

इसी प्रकार, मकानों के लिए ऋण देते समय हुडको लिमिटेड विभिन्न आय वर्गों के लिए निर्माण की अधिकतम लागत और अधिकतम कुर्सी क्षेत्र निर्धारित कर निम्न लागत के मकानों पर बल देता है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन निर्माण की लागत में कमी लाने के लिए नई तकनीकियों और नयी भवन निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देकर प्रयोगात्मक आवास योजना का कार्यान्वियन करता है ।

(ख) प्लान योजनाओं के लिए, लागत का स्वरूप कुर्सी क्षेत्र, आदि, इस प्रकार है :-

(i) औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना :-

निर्माण की विभिन्न टाइपों के लिए अधिकतम लागत निर्धारित की गई है ।

(ii) **निम्न आय वर्ग आवास योजना** :

ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन की वार्षिक आय 7,200 रुपए से अधिक न हो । ऋण की अधिक से अधिक राशि 14,500 रुपए प्रति मकान स्वीकृत की जाती है । मकान की लागत (जिस में विकसित भूमि की लागत शामिल नहीं है) 18000 रुपए से बढ़नी नहीं चाहिए ।

(iii) **मध्यम आय वर्ग आवास योजना** :

योजना में उन व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक 27,500 रुपए तक ऋण सहायता देने की आवश्यकता है जिस की वार्षिक आय 7201 रुपए से 18,000 रुपए के बीच हो । मकान की लागत (जिस में विकसित भूमि की लागत शामिल नहीं है) 42,000 रुपए से बढ़नी नहीं चाहिए ।

(iv) **ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम** :

इस में अधिक से अधिक 5,000 रुपए प्रति मकान ऋण की राशि अनुमेय है और मकान की अधिकतम लागत 8000 रुपए होनी चाहिए।

(v) **बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना** :

एक छोटे दो कमरे के मकान के लिए 4000 रुपए की अधिकतम लागत निर्धारित है तथा दो कमरों के नियमित मकान के लिए 5000 रुपए ।

हुडको की योजनाओं के लिए अधिकतम कुर्सी क्षेत्र और अधिकतम लागत आदि इस प्रकार हैं : –

रिहायशी एककों का वर्ग	अधिकतम कुर्सी क्षेत्र	अधिकतम लागत रुपए
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	35 वर्ग मीटर	8000 (उन योजनाओं को वरीयता दी जाएगी जिन में मकान की लागत 65000 रुपए प्रति मकान से कम है ।
निम्न आय वर्ग	55 वर्ग मीटर	18000
मध्यम आय वर्ग	95 वर्ग मीटर	42000
उच्चतर आय वर्ग	185 वर्ग मीटर	1,00,000

(ग) हुडको निम्नलिखित प्रकार से प्रोत्साहन दे रहा है :—

(i) अक्कल ब्याज दर आंरम्भ करना जिस के अन्तर्गत समाज के गरीब वर्गों के लिए मकानों के लिए ऋण 5 प्र० श० वार्षिक ब्याज कम दर पर दिए जाते है ।

(ii) कमजोर वर्गों के लिए लम्बे समय की पुन: अदायगी की अवधि निर्धारित करना उदाहरणार्थ आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 20 वर्ष, निम्न आय वर्ग के लिए 15 वर्ष, मध्यम आय वर्ग के लिए 12 वर्ष और उच्चतर आय वर्ग के लिए 10 वर्ष।

(iii) मकानों के विभिन्न वर्गों की लागत पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना।

(iv) ऋण सहायता का स्लाइडिंग स्केल निश्चित करना। 5000 रुपए या उस से कम लागत के मकानों के लिए मकान की पूर्ण लागत के बराबर ऋण देना।

(v) लागत को कम करने की तकनीकियां तथा प्रतिस्थापना भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना।

(vi) प्रदर्शन परियोजनाओं को आरम्भ करना।

(vii) कम लागत आवास डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन करना। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने भी कमजोर वर्गों के लिए कम लागत के मकानों के डिजाइन विकसित किए है। लागत घटाने की तकनीकियां और सस्ती भवन निर्माण सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए यह अपनी प्रयोगात्मक आवास योजना के अधीन अनुदान स्वीकृत करना है। यह कम लागत के मकानों का प्रदर्शन करता है। इस से नई दिल्ली में 1975 में कम लागत के प्रदर्शन मकानों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी।

कम लागत के मकानों के निर्माण को कमजोर वर्गों ने पसंद किया है।

नेहरू युवक केन्द्र पर व्यय

4760. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**

डा० रामजी सिंह :

क्या **शिक्षा; समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान योजना के प्रत्येक वर्ष में नेहरु युवक केन्द्र पर कितना व्यय हुआ और शेष वर्षों में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है ताकि इसको उनके संविधान के उद्देश्यों के अनुकूल बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान नेहरु युवक केन्द्रों पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़
1974-75 .	12.00	78.37	40.37
1975-76	31.77	33.00	64.77
1976-77	32.00	33.00	65.00
			170.14 लाख

1977-78 के दौरान, योजनागत बजट प्राक्कलनों में 75 लाख रुपए तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत 35 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । 1978-79 के दोरान किए जाने वाले वास्तविक आंवटन को दर्शाना इस समय सम्भव नहीं है ।

नेहरु युवक केन्द्रों सहित मुख्य युवक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा इन कार्यक्रमों के समन्वित तथा संघटित कार्यान्वियन के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए, लेफ्टनेन्ट जर्नल के० पी० कन्डेथ (सेवा निवृत्त) के नेतृत्व में एक अनौपचारिक दल का गठन किया गया था। दल, जिसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जून, 1975 में प्रस्तुत की थी, का विचार था कि, यद्यपि नेहरु युवक केन्द्रों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना समय से पूर्व हैं, किन्तु यह एक उपयोगी कार्यक्रम हैं, और नेहरु युवक केन्द्र अच्छा काम कर रहे है। तथापि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकल्पों के महत्व का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

अतिरिक्त प्रोफेसर के पद के लिए सेवा शर्ते

4731. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से कुछ विश्वविद्यालयों के नियुक्त किए गए अतिरिक्त प्रोफेसरों की सेवा शर्तें क्या हैं ;

(ख) उनके वेतनमान क्या हैं ; और

(ग) उनका काम किस प्रकार का होना है और यदि काम की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क). से (ग). प्रोफेसर के अतिरिक्त पद का वेतनमान विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों के वेतनमान के बराबर होता है। सेवा की शर्तें, कार्य का स्वरूप और कार्य की सीमा आदि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक मामले में उनको नियमों के अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध टोकनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4762. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध के टोकनों के लिये दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं :

(ख) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को दूध के टोकन देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता क्या है और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या दिल्ली से सभी डेरियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया गया है और नगर में दूध की भारी कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 31 मार्च, 1977 को दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतीक्षा सूची में 38,440 व्यक्तियों के नाम थे।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना अपनी अधिकतम प्रतिष्ठापित क्षमता प्राप्त कर चुकी है ; अतः जब तक कि कोई मौजूदा धारक अपना दूध का टोकन वापिस नहीं कर देता तब तक नये टोकन देना संभव नहीं हैं।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सम्भालने की प्रतिष्ठापित दैनिक क्षमता 3.75 लाख लिटर की है और इसकी क्षमता को बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह सच है कि शहर से हटाकर सभी डेरियां दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सीमाओं के बाहर स्थापित डेरी कालोनियों में भेज दी गई हैं। दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दूध जमा करने वाले केन्द्र दिल्ली नगर निगम / दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित उन सभी डेरी कालोनियों में स्थापित कर दिए हैं। इस प्रकार शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण करने से दूध की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इन कालोनियों में मिलने वाला दूध दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(ङ) दिल्ली की दूध की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही प्रतिदिन 4 लाख लिटर की प्रष्ठिापित क्षमता वाली एक अन्य डेरी पटपड़गंज में स्थापित कर दी है। इस समय यह डेरी सम्पूर्ण शहर में स्थित अपने 188 खुले विक्रय बूथों के माध्यम से प्रतिदिन 1.80 लाख लिटर की क्षमता तक कार्य कर रही है और इस डेरी द्वारा 12 और बूथ पुनर्वास कालोनियों में प्रतिष्ठापित कर दिए हैं। पानी तथा बिजली के कनैक्शन मिलने पर इनके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त बूथों का निर्माण करने के लिए 27 और स्थलों का भी चयन किया गया है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली अर्बन आर्टस कमीशन जैसे स्थानीय निकायों से स्वीकृति मिलते ही इन बूथों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निकट भविष्य में इस डेरी द्वारा पोलीथीन की थैलियों में 30,000 से 40,000 लिटर तक दूध रोज़ाना बेचने का भी प्रस्ताव है।

अलाटियों द्वारा सरकारी आवास किराये पर देना

4763. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाटियों का एक चौथाई भाग अपने सरकारी आवास को अधिक किराये पर देता है जबकि जरुरतमन्द लोगों को आवास के अभाव के कारण कठिनाई उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा का दुरुपयोग करने के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड देना ऐसी प्रथाओं को दुरुत्साहित करने हेतु कभी-कभी गोपनीय ढंग से सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं, वर्ष 1976 के दौरान केवल 130 उपकिरायेदारी के मामले साबित हुए।

(ख) सरकारी वास के अनधिकृत रूप से उपकिरायेदारी के मामलों को पकड़ने के लिए विभिन्न सरकारी कालोनियों के अचानक निरीक्षण की एक पाक्षिक प्रणाली है। इसके अतिरिक्त जब कभी उपकिरायेदारी के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार किया जाता है। नियमों के विरुद्ध सरकारी निवास स्थानों को उपकिरायेदारी पर देने के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास प्लाटों के पंजीकरण के लम्बित मामले

4764. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्लाटधारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने नीलामी द्वारा शालीमार बाग रिहायशी योजना ब्लाक 'बी' में प्लाट खरीदे और उनके मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकरण के लिए लम्बित हैं हालांकि प्लाट की पूरी कीमत अदा कर दी है और पट्टे के दस्तावेज समार्हता से समुचित रूप से मोहर लगाकर तैयार करके पेश कर दिये गए हैं ; और

(ख) इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद कितना समय लगता है और उनका पंजीकरण कब तक होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तीन मामले।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया है औपचारिकता पूरी करने के लिए समय लगभग 3 सप्ताह हो सकता है। तथापि, विधिवत स्टाम्प किए पट्टे दिलेख निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर फिर से कब्ज़ा करने के मामले

4765. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को कहा है कि दिल्ली एवं नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर फिर से अनधिकृत कब्ज़ा करने के मामले रोके जाएं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनधिकृत कब्ज़ा करने वाले नई दिल्ली में फिर से वापस आ गए हैं और उन्होंने सरकारी ज़मीन पर फिर से कब्ज़ा कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिनके क्षेत्रों में अनधिकृत कब्ज़ा करने के मामले होते हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति

4766. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से लोगों ने दिल्ली में ज़खीरा से रामपुरा (रोहतक रोड) तक जबरदस्ती सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कब्ज़ा करने वाले वहां उस सड़क से गुज़रने वाले यातायात के लिये कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्हें वर्तमान स्थान से हटाने के लिये किसी प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई इस बीच की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है जो ज़खीरा दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). दिल्ली नगर निगम अनधिकृत अनधिवासियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

Doctors, Engineers, Advocates, Graduates among sindh refugees

4767. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of doctors, engineers, advocates or graduates among the refugees who crossed over to India from Sindh during the Indo-Pak war of 1971;

(b) the movable and immovable property left in Pakistan by them and whether the Central Government have ascertained this fact; if so, the value thereof and whether the refugees have been paid compensation therefor; if so, the percentage thereof; and

(c) whether the Government of India would grant citizenship rights to the refugees for their permanent rehabilitation here ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Among the Pakistan nationals who crossed over to India during the 1971 Indo-Pak conflict, the cases of 4 doctors, 3 engineers, 2 advocates and 35 other graduates have come to notice.

(b) These persons are entitled to return to their homes in Pakistan in safety and honour as and when the conditions permit. Accordingly, the question of ascertaining the value of movable and immovable property left by them in Pakistan or paying them compensation in lieu thereof does not arise.

(c) The Government has not yet looked at the question from this aspect.

लघु सिंचाई कार्यक्रम

4768. **श्री सी० वेणुगोपाल गाऊन्डर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई कार्यक्रम के कार्यान्वियन को गति देने में कौन-कौन सी रुकावट पता लगी हैं;

(ख) राज्य सरकारों को राज्यीय लघु सिंचाई संगठनों को मजबूत बनाने के लिये अनुदानों के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) तमिलनाडु को कितनी धनराशि दी गई है ; और

(घ) लघु सिंचाई कार्यक्रमों को चलाने के बारे में राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन को तेज़ करने के लिए जिन मुख्य समस्याओं का पता चला है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. राज्यों में समग्र रूप से वित्तीय कठिनाईयों के कारण राज्यों में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन न किया जाना।

2. राज्यों के पूर्वी प्रदेश में, जहां भूमिगत जल का और अधिक विकास करने की काफी गुंजाइश मौजूद है, सहकारी तंत्र की कमजोरी ।

3. सिंचाई वाले पम्पों के लिए बिजली की कमी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए अपर्याप्त आवंटन ।

4. लघु सिंचाई योजनाओं की जांच, आयोजना तथा डिजाइन के लिए राज्यों में पर्याप्त संगठनों का न होना ।

(ख) राज्य लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए 1976-77 के दौरान राज्य सरकारों को 11.72 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया था। 1976-77 वर्ष के दौरान ही यह योजना शुरू की गई थी।

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान तमिलनाडु को कोई अनुदान नहीं दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने अनुमोदित योजना के अन्तर्गत किसी खर्च की सूचना नहीं दी।

(घ) क्षेत्रीय आधार पर लघु सिंचाई कार्यक्रम के मोनिटोरिंग के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक सैल स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस समय इसकी स्थापना की जा रही है। विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई कार्यक्रम की व्यवस्था सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग आदि विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विशेषकर कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन ऐसे सैल स्थापित करें जो लघु सिंचाई कार्यक्रम के मोनिटोरिंग और कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई समग्र प्रगति की जांच और संकलन के बारे में सूचना दें।

CBI Enquiry against Officers of C.S.T.T.

4769. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of officers of the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Ministry against whom a C.B.I. enquiry has been conducted during the last five years;

(b) the names and designations of such officers;

(c) the caharges against them; and

(d) the results of the enquiry ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) C.B.I. conducted enquiries against eleven officers in the last five years.

(b) The designations of the officials are given below:—

(i) Joint Educational Adviser	1
(ii) Directors	2
(iii) Deputy Director	1
(iv) Assistant Educational Adviser	1
(v) Youth Coordinators	2
(vi) Administrative Officer	1

(vii) Deputy Superintending Archaeologist 1

(viii) Private Secretary to Deputy Minister . . 1

(ix) Deputy Keeper 1

In the interest of public administration it would not be proper to mention names of officers against whom enquiries are conducted.

(c) Generally the charges include various administrative and financial improprieties/irregularities, fabrication of records, possession of assets disproportionate to known sources of income etc.

(d) The result of seven cases out of the eleven is as follows:—

(i) Imposition of minor penalty . 1

(ii) Recovery of charges 2

(iii) Termination of services 1

(iv) Compulsory retirement 1

(v) Closed without action on the advice of the Central Vigilance Commission 2

Date for digging out of Time Capsule

4770. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Short Notice question No. 7 on the 28th June, 1977 regarding Time Capsule and state the month and date by which the Time Capsule embedded in the Delhi Red Fort is proposed to be dug out ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): The estimate for recovering the Time Capsule is under examination for according administrative approval. From the date of commencement of work it is likely to take 2-3 weeks to recover the Time Capsule. Technical advice is to commence the operation after the monsoon, as water table is high during the monsoon period.

सिंचाई योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

4771. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के लिये हिमाचल प्रदेश को कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1977–78 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश को 1.85 करोड़ रु० के स्वीकृत परिव्यय के अलावा कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है ?

Shellac Consumption

4772. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the domestic consumption of shellac is declining in the country day by day;

(b) if so, the steps being taken by Government to encourage its domestic consumption;

(c) whether the patents of the Shellac Research Institute of India are not being accepted by the Indian Industries; and

(d) whether research being conducted for the use of shellac in defence production has come to a standstill; and if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) It can not be said that the domestic consumption of Shellac is declining in India. The domestic consumption varies between 2000 to 3000 tons annually.

(b) An expert Committee of the Ministry examined the various aspects of Lac utilisation and have made recommendations for increasing domestic utilisation. These have been circulated to all concerned departments for appropriate action.

(c) A detailed report is being obtained from the Institute and would be submitted as quickly as possible.

(d) The only item of research at I.L.R.I. having application to defence production, is the use of shellac for the development of a shellac based rocket propellant for firing mortars missiles and small rockets.

Experiments are in progress for improving the properties of different composition of propellants developed earlier. A few samples of such propellants have been prepared and sent to Birla Institute of Technology for determination of calorifie value, as the required facilities are not available at I.L.R.I. This research will continue to receive priority.

Loan to Sugar Mills

4773. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the sugar mills and the amount of loan being given to each sugar mill for its development; and

(b) whether it is a fact that the loan is mostly being advanced only to those sugar mills which are in the hands of big capitalists and small sugar mills, particularly in Deoria district in Uttar Pradesh, are being deprived of this loan facility and if so, whether Government will pay attention to this matter immediately ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Details are not availble. However, according to the information furnished by the Ministry of Finance a credit of Rs. 270 crores was outstanding against various sugar mills in the country as on 25-3-1977. Financial assistance sanctioned by Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India and Industrial Credit and Investment Corporation of India to sugar industry is as under:—

	(Rs. in crores) Amount sanctioned
1. Industrial Development Bank of India (upto 30-6-70)	39·58
2. Industrial Finance Corporation of India (upto 30-6-76)	
(i) Cooperatives	106·39
(ii) Others	15·18
	121·57
3. Industrial Credit & Investment Corporation of India (upto 31-12-1975)	12·83
TOTAL	173·98

(b) No, Sir.

गुजरात विद्यापीठ का पुनः खोलना

4774. **डा० श्री वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से गुजरात विद्यापीठ को पुनः खोलने के प्रयास करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या प्रयास किये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). विद्यापीठ और उसके कर्मचारियों के बीच के झगड़े में सरकार का हस्तक्षेप चाहने वाले बहुत से तार प्राप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सूचित किया है कि आयोग द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विद्यापीठ के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों की सहमति से, राज्य के मुख्य मन्त्री ने इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की, किन्तु समझौता नहीं हो सका। आन्दोलन जारी है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध टोकनों के लिए आवेदन-पत्रों का रद्द किया जाना

4775. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसाधारण को नए दुग्ध टोकन देने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने आवेदन पत्रों का पंजीकरण मनमाने ढंग से बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या टोकन जारी करने के लिए उन आवेदन पत्रों को भी भूतलक्षी प्रभाव से रद्द करने का निश्चय किया गया है जो दिल्ली दुग्ध योजना में पहले से ही पंजीकृत थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और क्या इससे जनसाधारण को बहुत परेशानी होगी ; और

(घ) क्या डाक्टरी आधार वाले आवेदन पत्रों को भी अस्वीकार कर दिया गया है और किसी को भी किसी भी आधार पर टोकन नहीं दिया जाएगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सम्भालने की अधिकतम दैनिक क्षमता 3.75 लाख लिटर की है। इस क्षमता को, 31 दिसम्बर 1976 तक दिल्ली दुग्ध योजना के यहां पजीकृत सभी आवेदकों को इस योजना से दूध लेने के लिये अनुमति देकर प्राप्त कर लिया गया है। 31 मार्च, 1977 को 38,440 आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे। चूंकि प्रतीक्षा सूची के अधिकांश व्यक्तियों को निकट भविष्य में दूध देना सम्भव दिखाई नहीं देता, अतः दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष ने एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी करके जनता को सलाह दी है कि वे फिलहाल आवेदनों का और पंजीकरण न कराएं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर दिये गए (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

(घ) 31–3–1977 तक स्वास्थ्य के आधार पर पंजीकृत किए गए सभी आवेदन पत्र अब भी वैध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4776. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इन श्रेणियों के कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए कई बार ज्ञापन दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 824/77]**

(ख) तथा (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के एक सहायक सचिव, एक सहायक, एक सांख्यिकीय सहायक तथा एक अवर श्रेणी लिपिक से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने अभिवदन किया है कि अगले उच्चतर ग्रड के लिए पदोन्नति में उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण कृषि विकास का रुक जाना

4777. **श्री वी० एस० एलनचेजियन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों में व्याप्त निराशा की इस भावना का पता है कि अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद कृषि विकास में रुकावट बन रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों के समान हितों में एक व्यापक नीति के अन्तर्गत नदी जल के उपयोग के राष्ट्रीयकरण हेतु तत्काल कार्रवाई करने का है ; और

(ग) इस बारे में की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चूंकि सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि को योजना अवधियों के दौरान पूरी तरह व्यय किया जा चुका है इसलिए यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राज्यीय नदी जल-विवादों के कारण कृषि विकास में बाधा नहीं पड़ी है। लेकिन ऐसे विवादों के परिणामस्वरूप विवादास्पद बेसिनों में कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है जिससे सम्बद्ध राज्यों द्वारा परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग). यह उत्तरोत्तर अधिक महसूस किया जा रहा है कि इस केन्द्र को विशेषकर अन्तर्राजीय नदियों के जल के आवंटन एंव नियमन से सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा राज्यों के

बीच मतभेदों को तेजी से दूर करने के तरीके निकालने की आवश्यकता है । इसके लिए संसद द्वारा विधान बनाना होगा । इन सभी मामलों पर, जिनमें उपयुक्त संस्थागत प्रबन्ध एंव नया विधान बनाना भी शामिल हैं, सरकार द्वारा गहराई से अध्ययन किए जा रहे हैं ।

घरेलू खपत के लिए बिजली की सप्लाई

4779. **श्री के० लक पा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री घरेलू खपत के लिए बिजली की सप्लाई के बारे में 11 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3061 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास बस्ती सुल्तानपुरी के निवासियों की घरेलू खपत के लिए बिजली हेतु अब तक धनराशि मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वित्तीय प्रबन्धों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) उक्त बस्ती के निवासियों की घरेलू खपत के लिए बिजली के कनैक्शन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). वित्तीय व्यवस्था पर दिल्ली प्रशासन से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । उनसे शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है ।

मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना

4780. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मामला पश्चिम बगाल सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा और विचार के लिए पुनः निर्देशित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निकायों को कौन से विशेष मुद्दे निर्देशित किए गए हैं ;

(ग) क्या उनसे उत्तर प्राप्त होने के बारे में कोई समय सीमा नियत की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) उपरोक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को तत्काल अनुमति देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्मुख क्या कठिनाई आई ; और

(च) मामले को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उसने सितम्बर, 1976 में इस प्रस्ताव पर विचार किया और आयोग ने यह निर्णय किया कि इस स्तर पर नए विश्वविद्यालय को स्थापना

के लिए सिफारिश नहीं की जा सकती। आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक स्वायत्त विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना की सम्भावना पर, विचार करने के लिए राज्य सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय को सलाह दी जाए, ताकि मिदनापुर क्षेत्र में मुसंगत स्नाकतोत्तर अध्ययन के लिए एक केन्द्र शुरू किया जा सके। मार्च, 1977 में, राज्य सरकार ने आयोग को यह सूचित किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन का एक स्वायत्त केन्द्र क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा। और एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उसके प्रस्ताव पर पुनः विकार करने के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, आयोग ने मई, 1977 में इस मामले पर विचार किया। आयोग ने यह महसूस किया कि राज्य में नये विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार से और विस्तृत विचारविमर्श करना आवश्यक होगा। यह निर्णय किया गया कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से मामले पर विचार विमर्श करने और उच्च शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाए। समिति राज्य सरकार से इस मामले पर शीघ्र विचारविमर्श करेगी।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा छोड़े गए पुनर्वास स्थान

4781. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वपाकिस्तान के उन शरणार्थियों के आंकड़े क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1974 के बाद अपने पुनर्वास स्थानों को छोड़ दिया था ;

(ख) उन पुनर्वास स्थानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं और प्रत्येक शरणार्थी परिवार को उनके सामान्य और आर्थिक पुनर्वास के लिए क्या लाभ देने की पेशकश की गई ;

(ग) क्या अनेक शरणार्थियों ने अपने पुनर्वास के स्थानों को पहले भी छोड़ था और यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त शरणार्थियों द्वारा छोड़े गये स्थानों के बारे में पता लगाने के लिये कोई समिति स्थापित की गई ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1974–75 से 1976–77 के बीच लगभग 950 परिवार पुनर्वास स्थानों को छोड़ कर चले गए हैं ;

(ख) राज्य/पुनर्वास स्थानों के क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कृषि तथा लघु व्यवसाय में बसाने के लिए सहायता का ब्यौरा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को 1976–77 की वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट VI से VIII के पृष्ठ 126 से 130 पर दिया गया है।

(ग) 1970–71 से 1974–75 की अवधि के दौरान स्थानों को छोड़ने के राज्यवार आंकड़े और उनके कारण दिनांक 9-5-1974 के अतारांकित प्राप्त संख्या 9796 के उत्तर के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में पहले ही 5–8–1975 को दिए जा चुके हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र जहां भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शंरणार्थियों को बसाया गया है।
1.	पश्चिमी बंगाल
2.	आसाम
3.	त्रिपुरा
4.	बिहार
5.	उत्तर प्रदेश
6.	मध्य प्रदेश
7.	उड़ीसा
8.	आंध्र प्रदेश
9.	अरुणाचल प्रदश
10.	कर्नाटक
11.	महाराष्ट्र
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	पंजाब
15.	राजस्थान
16.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप
17.	दण्डकारण्य परियोजना

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सैनिक अकादमी आडिटोरियम, देहरादून, जांच आयोग का प्रतिवेदन आदि

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारतीय सैनिक अकादमी आडिटोरियम, देहरादून जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) जांच आयोग के उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** सं० एल टी०–807/77]

आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के राज्य कृषि उपयोग निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

सिंचाई और कृषि मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--

(एक) (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ख) आन्ध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 30 जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** सं० एल टी–808/77]

(दो) (क) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल टी–809/77]

(तीन) (क) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय म रखे गये । देखिए** संख्या एल टी–810/77]

(चार) (क) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ख) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल टी–811/77]

(पांच) (क) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ख) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय मे रखे गये । देखिए** संख्या एल टी–812/77]

(छः) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1973–74 का वार्षिक-प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल टी–813/77]

(सात) केला तथा फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

उपर्युक्त मद (3) (एक) से (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल टी–814/77]

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 की धारा 102 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1976 के दिल्ली राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या एम आई एस सी 7(64)/पी-75/16405-634 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल टी–815/77]

भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के प्रमाणित लेखे आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(7) उपर्युक्त मद (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** सं० एल टी–816/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारी समुद्री कटाव के कारण केरल तथा कर्नाटक की कथित तबाही

श्री वायालार रवि (चिरयिंकली) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं :

"भारी समुद्री कटाव के कारण केरल के समूचे तट का तथा कर्नाटक राज्य के कुछ भागों में अभूतपूर्व कथित तबाही, जिससे तटीय मछेरों तथा गरीब लोगों को अकथनीय कठिनाइयां हुई हैं और कई करोड़ की हानि हुई है तथा प्रति वर्ष समुद्र के कटाव का खतरा बना रहता है जिसके फलस्वरूप केरल का बहुत बड़ा क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य के कुछ भाग जलमग्न हो जाते हैं ।"

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) **केरल** : केरल में लगभग 560 किलोमीटर लम्बा समुद्र तट है। तटवर्ती इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजपथ और अन्तर्देशीय नौवहन प्रणाली का मार्ग तट के समानान्तर है और उनके और समुद्र के बीच जमीन की बहुत कम चौड़ी पट्टी है।

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव अधिकांशत: बरसात के मौसम में होता है जो मई के महीने के अन्त से शुरु होता है और इसी समय ही समुद्र प्राय: अधिक उग्र होता है। कई स्थानों पर समुद्र का जल 30–40 मीटर आगे बढ़ आता है और 25––30 मीटर पीछे हट जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 5–10 मीटर भूमि कट जाती है। इससे आवास-गृहों और कृषि भूमि की हानि होती है। सबसे अधिक प्रभाव तटवर्ती पट्टी के निवासियों पर पड़ता है जो अधिकतर मछुवे हैं।

सरकार केरल तट पर कटाव की समस्या की गम्भीरता, इसके कारण तटवर्ती पट्टी के निवासियों को होने वाली हानि और मुसीबत, संचार व्यवस्था को इसके कारण उत्पन्न होने वाले खतरे और उन निर्माण-कार्यो को पूरा करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से सजग है, जिनसे तटवर्ती भूमि के स्थिरीकरण में सहायता मिलेगी। केरल सरकार 1955 से समुद्री दीवारों, ग्राइन आदि के निर्माण सहित, समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के उपाय कर रही है और 320 किलोमीटर के प्रभावित भाग में से 175 किलोमीटर लम्बे भाग को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष (1977) की मौनसून के मौसम में तट की कुछ पहुंचों में तट का कटाव खास तौर से भीषण रूप में हुआ है। जिन क्षेत्रों में समुद्री दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, वहां नारियल के बगानों और आवास-स्थलों तथा मकानों को क्षति पहुंची है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं को जैसे कालीकट जिले में बापुर नामक स्थान पर स्थित प्रकाश स्तम्भ के लिए खतरा पैदा हो गया है। जो इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, वे हैं : पूंथुरा इंडियन रेअर अर्थर्स फैक्टरी के सामने का क्षेत्र चावड़ा, चेल्लानाम, आझीकोडे, मनकाडाबू, चमक्कला चेडुवाई, कालीकट में दक्षिणी जहाजघाट सदक्करा, चप्लियम आदि। कटाव औसत रूप से 10 मीटर तक हुआ है लेकिन चमक्कला में यह 30 मीटर तक की चौड़ाई में हुआ है। बहुत बुरी तरह से प्रभावित भाग 20 किलोमीटर लम्बा है। अनुमान लगाया गया है कि कटाव के कारण नारियल के बागानों, मकानों, आवास स्थलों को हुई हानि, तथा पहले से हाथ में लिए गए सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों को पहुंची क्षति के फलस्वरूप लगभग 2.5 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

उन क्षेत्रों में जहां भारी क्षति पहुंची है और महत्वपूर्ण संरचनाओं के प्रभावित होने की संभावना है, नियमित समुद्री दीवारों का निर्माण होने तक अस्थाई उपाय हाथमें लिए गए हैं। इन उपायों में महत्वपूर्ण संरचनाओं को रेत के बोरों, रेत के तटबन्धों और कंकरीले टीलों (रबल मांउड) आदि द्वारा सुरक्षित करने के उपाय भी शामिल हैं। इस प्रकार के कार्य चालियम, चेल्लानाम, मदक्करा आदि में शुरू किए गए हैं।

भारत सरकार ने विशेषज्ञों के एक तट कटाव बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकारों को निर्माण कार्यों के आयोजन और क्रियान्वयन में अपेक्षित सलाह इस बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार तात्कालिक कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

सहायता भी दे रही है। 1972–73 और 1973–74 में 4.39 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 5.94 करोड़ रुपया व्यय किया गया था, जिसमें केन्द्रीय सहायता 3.75 करोड़ रुपया थी। चालू वर्ष में 2.00 करोड़ रुपए की प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता सहित 3.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में अब तक 5.4 लाख रुपया खर्च किया गया है।

(ख) **कर्नाटक** : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष समुद्र द्वारा भूमि-कटाव से कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन हाल में भारी वर्षा होने के कारण तटवर्ती इलाकों में कई स्थान जलमग्न हो गए हैं। राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 के 186वें किलीमीटर पर बड़ामली उप-सेतु (काजवे) में बाढ़ आने के कारण 19 जुलाई, 1977 को यातायात बन्द कर दिया गया था।

कर्नाटक में आम तौर पर दक्षिण-पश्चिमी मानसून के शुरू के दिनों में केवल कुछ स्थानों पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव होता है और राज्य सरकार द्वारा, आवश्यकतानुसार, सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। राज्य सरकार ने अपनी पांचवीं योजना में समुद्र द्वारा भूमि-कटाव रोधी निर्माण कार्यों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): महोदय, केरल के समस्त समुद्री तट के साथ-साथ इस अभूतपूर्व मुसीबत के कारण सभी को चिंता है। प्रतिवर्ष 5 से 10 मीटर भूमि की हानि हो जाती है और मछेरों पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार ने केवल 175 कि० मी० समुद्री तट की सुरक्षा का प्रबन्ध किया है जबकि केरल का तट 320 कि० मी० लम्बा है।

वहां पर दीप घर को भी खतरा पैदा हो गया है। यह बहुत गम्भीर समस्या है जिसके कारण 2.5 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। इस बारे में मंत्री जी तुरन्त क्या वित्तीय सहायता देंगे और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कौन से उपाय किये जाने हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दीप घर के बारे में मुझे कल ही टेलीफोन पर सूचना मिली है कि कालीकट के निकट दीपघर को जो खतरा पैदा हो गया है उसकी सुरक्षा के लिए निकट ही कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जहां तक वित्तीय सहायता का प्रश्न है 2 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई थी अभी 45 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। शेष काफी राशि पड़ी है। यदि और जरूरत हुई तो हम देख लेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : यदि कोई सेना हमारी सीमा का उल्लंघन करे तो सरकार युद्ध द्वारा उसका मुकाबला करेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार अरब सागर द्वारा हमारी सीमा के उल्लंघन का भी सामना युद्ध स्तर पर करे।

क्या सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल, जिसमें गहरे समुद्र कटाव बोर्ड के सदस्य हों, घटना स्थल की जांच के लिए भेजा जायेगा जो इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय सुझाये। स्टेट्समेन में इस आशय का समाचार भी छपा है। क्या इस बारे में शीघ्र उपाय किये जायेंगे ?

वियतनाम और चीन समुद्र-तट पर पेड़ लगा कर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्या सरकार इस दीर्घगामी उपाय पर भी विचार करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजा जायेगा । वे समुद्र कटाव वाले क्षेत्रों का पहले ही दौरा कर रहे हैं । वे पुन: वहां जायेंगे । मुझे भी वहां जाने का मौका मिल सकता है ।

नारियल आदि के पेड़ वहां पहले ही लगाये गये हैं । इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है और पेड़ लगाना ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता क्योंकि वहां रेतीला क्षेत्र है और पानी रेत को अपने जोर से बहा ले जाता है ।

श्री वी० एम० सुधीरन (अलप्पी) : मंत्री जी ने विवरण में कई प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताये हैं जैसे पूंथूरा, चेवारा, चेल्लानम, अझीकोड़, मनकादवू, छमक्कला आदि लेकिन वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलप्पी को छोड़ गये हैं जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है । वहां के कई क्षेत्रों में हजारों लोग बेघर हो गये हैं । केरल सरकार बधाई की पात्र है जो उन्हें खाने का सामान नि:शुल्क दे रही है । अभी तो 145 कि० मी० तट की सुरक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सदस्य महोदय ने अलप्पी के बारे में बताया है । मुझे ध्यान आकर्षण के सिलसिले में राज्य सरकार से इस बारें में सूचना प्राप्त हुई थी । हम इस बारे में राज्य सरकार से और सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । मुझे पता है कि अभी एक लम्बे तटपट्टी की सुरक्षा का प्रबन्ध करना है । इस वर्ष हम 33 कि० मी० लम्बे तट की सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। हम पहले से काफी अधिक काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यापक योजना के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी कोई योजना नहीं है । यह तो राज्य सरकार हमें प्रस्तुत करेगी । हम उन योजनाओं की जांच करते हैं जो राज्य सरकारें हमें प्रस्तुत करती हैं ।

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : कर्नाटक तट के बारे में उत्तर न तो संतोषजनक है और नही ठीक है । वास्तविक तथ्य नहीं दिये गये हैं । सम्भव है कि राज्य सरकार ने मंत्री जी को पिछली एक दशाब्दी के दौरान उत्पन्न हो गई वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया है । विशेषज्ञों के अनुसार जबकि पश्चिमी तट का पिछले 200 वर्षो से कटाव हो रहा है इस ओर भी पिछले 30 वर्षो से ऐसा हो रहा है । कर्नाटक का 200 मील लम्बा तट भी बहुत अधिक प्रभावित है । इस वर्ष 16, 17 और 18 जून को वहां लगभग 18 इंच वर्षा हुई । इस मास भी वहां लगभग 18 इंच वर्षा हुई और करवार, भटकल, कुमटा और दक्षिण कनारा जिले के क्षेत्र में समुद्र से भारी कटाव हो रहा है । मछियारों की हालत बहुत खस्ता है । उन के मकान बह गये हैं । हम ने उन के फोटो देखे हैं वे बहुत बुरी हालत में हैं । इस परिस्थिति में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक की तट भूमि को समुद्री कटाव से बचाने के लिए कोई योजना है ? यह बहुत गम्भीर स्थिति है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या राष्ट्रीय संकट का रुप धारण कर लेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक जून में भारी वर्षा होने का सम्बन्ध है, यह सही है कि जून में भारी वर्षा हुई है, परन्तु भारी वर्षा का समुद्री कटाव से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक समुद्री कटाव का सम्बन्ध है, हम ने राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें डिविजनल इंजीनियर, कारवार से तार प्राप्त हुआ है जिस में लिखा है कि बाढ़ के कारण यातायात बन्द रहा तथा गत छः दिनों से भारी वर्षा हो रही है।

कर्नाटक सरकार का समुद्री दीवार बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री के० गोपाल (कासर) : महोदय, मैं ने आप को सूचना दी थी .... ।

अध्यक्ष महोदय : आप की सूचना मेरे सामने है। मैं उस की जांच कर रहा हूं। मैं अपना विनिर्णय कल दूंगा * (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री भी मेरी अनुमति के बिना उत्तर नहीं दे सकते। मैंने मामले पर विचार करना है। मैंने आप को बता दिया है कि मैं अपना विनिर्णय कल दूंगा * (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।* (**व्यवधान**).

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते।* (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ को निदेश नहीं दे सकते। अध्यक्ष की शक्तियों को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इस तरह से सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती .... ।

अध्यक्ष महोदय : यदि निर्णय 24 घण्टे बाद दिया जाता है, तो माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा *(**व्यवधान**)

अनुदानों की मांगें (नागालैंड) 1977–78

DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND) 1977-78

वित्त तथा राजस्व और बैंकारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैंने माननीय सदस्यों के भाषण ध्यान से सुने हैं। मैं चर्चा में भाग लेने वाले और सुझाव देने वाले सदस्यों का बड़ा

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*No recorded.

आभारी हूं । मैं उन की भावना से सहमत हूं कि देश के इस महत्वपूर्ण अंग के विकास में गति लाई जाये जिससे यह राज्य देश के शेष भाग के समक्ष आ सके । हम राज्य की प्रगति में आड़े आने वाली जटिल समस्याओं का हल शीघ्र ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और मैं इस सम्बन्ध में सदन के सभी वर्गों से सहयोग का स्वागत करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रशासन विशेषतया पुलिस पर अधिक खर्च किये जाने का उल्लेख किया था । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि नागालैंड में पिछले दो दशकों से शान्ति और व्यवस्था की समस्या एक गम्भीर समस्या बनी रही है । शिलांग समझौते के बाद शान्ति स्थापित हो गई है । फिर भी सतर्क रहना जरूरी है और इस के लिए पुलिस की जरुरत होती है ।

मैं श्री शिन्दे से सहमत हूं कि नागालैंड में कृषि के आधुनिक तरीके उपयोग में लाने पर बल दिया जाना चाहिए, परन्तु झूमिया खेती की प्राचीन समस्या को शीघ्र समाप्त नहीं किया जा सकता । यह केवल प्रोत्साहन के द्वारा धीरे-धीरे ही समाप्त होगी । भूमि विकास और भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनाओं, ढलानों पर खेती करने की प्रदर्शनियों आदि के द्वारा नागालैंड सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है ।

श्री शिन्दे ने जल संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया था । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है और इसीलिए वहां किसी बड़ी सिंचाई योजना के लिए कोई अवसर नहीं है । अतः सिंचित क्षेत्र में छोटी योजनाओं द्वारा ही वृद्धि की जा सकती है ।

श्री टी० ए० पाई० ने तुली के कागज कारखाने को निश्चित समय में पूरा करने पर जोर दिया है, क्योंकि उस क्षेत्र में यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है । मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इसे शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री पाई ने हथकर्घा के विकास पर भी प्रकाश डाला है । गत वर्ष इस कार्य के लिए केन्द्र ने एक पंचवर्षीय विकास योजना 85 लाख रुपये से चालू की थी । इसके अन्तर्गत 33 बुनाई केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा उन्हें अच्छा धागा और औजार आदि सप्लाई किये जाते हैं ।

श्री उग्र सेन ने शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है । हम राज्य में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमती शैज़ा ने कोहिमा में एक और अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता का जिक्र किया है जिसमें विशेष चिकित्सा और डाक्टरों और नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । यदि यह आवश्यक समझा गया तो राज्य सरकार एक ऐसी योजना अगली योजना में शामिल करने पर अवश्य विचार करेगी ।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, नागालैंड विधान सभा के चुनाव वर्षा ऋतु के बाद होंगे । इस से पहले नहीं हो सकते । लोकप्रिय सरकार का यह मुख्य काम होगा कि वह नागालैंड की आर्थिक प्रगति के लिए काम करे, ताकि नागालैंड राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1977-78 के लिए निम्नलिखित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for Grants in respect of Nagaland for the year 1977-78 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल . .	23,92,000	. . .
4.	न्याय प्रशासन . .		
5.	निर्वाचन . .	13,85,000	——
6.	भूब-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	9,62,000	——
7.	आबकारी .	4,67,000	——
8.	बिक्री कर .	5,54,000	——
9.	वाहनों पर कर . . .	2,93,000	——
12.	सिविल सचिवालय . .	69,01,000	——
13.	जिला प्रशासन, विशेष कल्याण स्कीम और जन जाति परिषद .	1,14,33,000	——
14.	राजकोष और लेखा प्रशासन .	6,30,000	——
15.	कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष खर्च जिसमें पेंशन और उपदानों में किया जाने वाला अंशदान शामिल है . . .	5,83,000	——
16.	ग्राम रक्षक . .	28,00,000	——
17.	सिविल पुलिस और दमकल एकक	4,16,48,000	5,83,000
18.	जेलें	28,00,000	
19.	लेखन सामग्री और मुद्रण	20,42,000	——
20.	सतर्कता आयोग	4,67,000	——
21.	वर्कशाप संगठन	6,37,000	——
22.	नागालैंड सदन	3,21,000	——
23.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	2,16,000	——

1	2	3	4
24.	राज्य लाटरियां . . .	10,48,000	——
25.	पेंशन और सेवा निवृत्ति अन्य लाभ	9,92,000	——
26.	शिक्षा . . .	4,07,43,000	——
27.	कला और संस्कृति और गजेटियर्स एकक	6,97,000	——
28.	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन . . .	2,24,21,000	——
29.	नगर विकास . .	8,84,000	——
30.	सूचना, प्रचार और पर्यटन .	20,82,000	——
31.	रोजगार कार्यालय .	1,52,000	——
32.	श्रम	87,000	——
33.	सामुदायिक विकास . .	49,58,000	——
34.	समाज कल्याण . .	30,06,000	——
35.	सैनिक, नाविक और वायु सैनिक बोर्ड .	70,000	——
36.	समाज सुरक्षा, कल्याण और सायुदायिक सेवाएं	10,50,000	——
37.	मूल्यांकन एकक .	93,000	——
38.	सहकारिता . .	19,42,000	22,11,000
39.	सांख्यिकी . . .	8,50,000	——
40.	तोल और माप . .	2,68,000	——
41.	पूर्ति कार्यालय, कलकत्ता	99,000	——
42.	कृषि, लघु सिंचाई, मीन उद्योग आदि	1,36,29,000	——
43.	भूमि संरक्षण . .	46,54,000	——
44.	अनाज पूर्ति स्कीम .	29.00,000	1,62,96,000
45	पशु पालन और डेरी विकास .	84,97,000	1,17,000
46.	वन		
47.	उद्योग	82,58,000	18,96,000
48.	खनिज विकास .	18,05,000	——
49.	विद्युत परियोजनाएं .	2,25,56,000	1,11,42,000
50.	सड़क परिवहन	44,92,000	18,09,000

1	2	3	4
51.	मकान बनाने के लिए उधार तथा सरकारी सेवकों को उधार . . .	—	8,17,000
52.	लोक निर्माण, आवास, सड़कें और पुल	9,24,16,000	3,64,79,000
53.	कार्यानुरुप इमारतें और अन्य विकास स्कीमें		1,14,22,000
54.	जल पूर्ति स्कीम . . .	75,00,000	78,17.000

नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977

NAGLAND APPROPRIATION (NO. A) BILL, 1977

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्रीं (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच०एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे (अहमद नगर): महोदय, मैं माननीय मंत्री से उनके विचारार्थ एक निवेदन करना चाहता हूं ।

नागालैण्ड में एक चीनी मिल लगाई गई थी, जिसमें उत्पादन होता था । परन्तु दुर्भाग्यवश उस की दशा बहुत खराब है तथा इस मिल को फिर से ठीक अवस्था में लाने के लिए विनियोग विधेयक में पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं सभा का ध्यान दीमापुर में लगभग दो महीने पूर्व हुई एक गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके कारण बहुत से व्यक्तियों को, जिनमें आसामी, बंगाली तथा मारवाड़ी शामिल थे, दीमापुर से निकाल दिया गया था और उन्हें आसाम में गोलाघाट में तथा अन्य स्थानों पर शरण लेनी पड़ी । इसमें केन्द्र द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है । मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया । इसलिए वह उत्तर न दे सके ।

श्री सौगत राय : दुर्भाग्यवश वह परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं बुला रहे हैं । इसकी बैठक दोबारा स्थगित कर दी गई । बैठक इसलिए नहीं बुलाई जा रही, क्योंकि गृह मंत्री उसमें भाग नहीं ले सकते । अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । हम सभा का ध्यान बैठक न बुलाये जाने की ओर दिलाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये की सेवाओं के लिए नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़े गए ।

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

मैंने श्री शिन्दे द्वारा चीनी मिल के बारे में कही गई बातों को नोट कर लिया है तथा मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले की आवश्यक जांच करूंगा ।

दीमापुर की घटना के बारे में मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974–75

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1974-75

श्री वयालार रवि (चिरचिंकील) : यह वर्ष 1974–75 से सम्बन्धित हैं । सरकार एक स्थायी संस्थान है तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार यह नहीं कहेगी कि ये पिछली सरकार के समय से सम्बद्ध है । मैं संविधान का उल्लेख कर रहा हूं । अनुच्छेद 115 में उल्लिखित है :—

यदि—

(क) अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक सभा में ऐसी अधिकाई के लिए मांग उपस्थित करायेगा ।

आप तीन वर्ष के बाद यह सभा के समक्ष ला रहे हैं । वर्ष 1975–76 और 1976–77 के बारे में कब सभा के समक्ष लाया जायेगा, हम नहीं जानते । यह पिछली सरकार की गलती है, परन्तु इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये । सरकार को इतना विलम्ब नहीं करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय को इस बारे में कोई निर्णय देना चाहिये कि सरकार कुछ सिद्धान्तों का पालन करे ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मुझे कोई व्यवस्था का प्रश्न नजर नहीं आता ।

वित्त, राजस्व तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : आपकी अनुमति से मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं, जो किसी के भी नियंत्रण से परे थीं । विलम्ब किसी की लापरवाही के कारण नहीं हुआ । 31 अगस्त, 1976 को लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जानें के बाद दो दिन तक लोक सभा का सत्र रहा था । फिर लोक सभा 2 सितम्बर, 1976 को स्थगित कर दी गई । इसलिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने का समय नहीं था । बाद के सत्र किन्हीं आवश्यक सरकारी कार्यों के लिए बुलाये गये थे, इसलिए उनमें यह मांगें प्रस्तुत न करने का निर्णय किया गया। वे विशेष परिस्थितियां थीं ।

श्री कें० लकप्पा : कई अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर आय-कर की करोड़ों रुपये की राशि है । मैं जानना चाहता हूं कि उसे वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव के नाम में कटौती प्रस्ताव है, परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं । श्री वलायार रवि ।

श्री वयालार रवि : बड़े आश्चर्य की बात है कि लेखा परीक्षा को घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें भी अनेक अनियमिततायें मिल सकती हैं । लेखा परीक्षा की प्रतिशतता बढ़ाने से सरकार के विभागों के कार्य को नियमित करने में मदद मिलेगी और नौकरशाही के दुष्कर्मों और गोलमाल को रोका जा सकेगा ।

विभाग में खाली हुए स्थानों को न भर कर सरकार लेखा परीक्षा विभाग को कमजोर कर रही है । अन्ततः यह सरकार को कमजोर करना है । अतः समय समय पर खाली होने वाले पदों को भरा जाना चाहिये । कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे ।

इसके अतिरिक्त बहुत से कर्मचारी 10 या 16 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं । इस से उन में निराशा घर कर जाती है । इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

जब तक भारत के महालेखापरीक्षक परीक्षा करके पदों को नहीं भरेंगे तब तक कर्मचारियों की आगे पदोन्नति नहीं हो सकेगी । मैं आशा करता हूं कि आप उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगें और केरल महालेखापाल कर्मचारी संघ की सहायता करेंगे।

श्री सी० कें० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : इन मांगों में अतिरिक्त अनुदानों के रूप में बड़ी राशि मांगी जा रही है । एक मांग कृषि और विद्युत् से सम्बन्धित है । केरल सरकार पिछले कई वर्षों से केन्द्र से कुछ अधिक धन देने की मांग कर रही है जिससे केरल को ही नहीं देश भर को लाभ होगा । केरल को यह धन देने से बड़ी विद्युत् योजनायें पूरी हो जायेंगी ।

नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में समन्वय और सिंचाई सुविधाओं के अभाव में नारियल की फसल को लेकर बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है । इन समस्याओं का मुकाबला मिल कर

करने के लिये नारियल बोर्ड के गठन पर सब सहमत हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

भारत इलेक्ट्रानिक्स, भोपाल में पिछले 10 दिन से हड़ताल चल रही है जिसके परिणाम स्वरूप फैक्ट्री को 5 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और ऐसा कुछ करे जिससे हड़ताल खत्म हो जाये।

एक मांग गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। हाल के महीनों में यह मंत्रालय देश के हरिजनों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहा है। बेलची की घटना एक नियोजित घटना थी। आज भी आन्ध्र प्रदेश में एक हरिजन की हत्या को गई ह तथा हरिजनों पर सवर्ण जमींदारों ने हमला किया है जबकि वे सरकार द्वारा दी गई भूमि पर खेती कर रहे थे। कई राज्यों से यह समाचार मिला है कि वहां हरिजनों की भली प्रकार रक्षा नहीं की जाती। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि सरकार इस कमजोर वर्ग की सुरक्षा पर भी व्यय करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : विनियोग विधेयक की अनुसूची में बहुत सी मदें हैं जिनमें स्वीकृत मदों और प्रभारित मदों का ब्यौरा दिया गया है। जहां तक प्रभारित भाग का सम्बन्ध है यह एक बड़ी मद है जिसमें 248 करोड़ रुपए की कुल मांग में से 220 करोड़ रुपए की राशि ऋण पूंजी के पुनर्भुगतान के लिये रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह ऋण वस्तुतः है क्या ?

रक्षा सेवायें पेंशन मद के अन्तर्गत 26,000 रुपए तक कुछ राशि प्रभारित व्यय के रूप में रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पेंशन प्रभारित व्यय होता है। वित्त मंत्री को इस विषय पर स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या रक्षा सेवाओं की पेंशन स्वीकृत नहीं है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at seven minutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 1974-75 जारी

DEMAND FOR EXCESS GRANTS (1974-75)—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ बेग अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

Shri Arif Beg (Bhopal): Shri Chandrappan has made a reference to the strike in Bharat Heavy Electricals Ltd., Bhopal. This strike is continuing for the last 10 days and 20,000 workers are participating in it as a result of which the nation is suffering a loss of Rs. 40 lakh per

day. If the demands of the workers are accepted, it will mean an additional expenditure of only Rs. 25 lakh per year. Therefore, Government should seriously consider the git demands of the workers.

One of the demands of the workers is that they should get more promotion chances. At present what is happening is that whereas the officers get five promotions in five years, the workers have hardly got two promotions over a period of twelve years. Let some Commssion be appointed to inuqire into this discriminatory policy. The workers want that the management should come out with a declaration of their promotion policy but the management doe not want to do so. This is a matter of national importance. Let the Minister of Industry and the Prime Minister interfere in this matter and see that justice is done to the workers there.

As regards the production of dry battery cells, it is regrettable that the multinationals have established their monopoly in the country and the other factories have to export a large portion of their production. Government should see that the multinationals are also made to export their production so that the national factories have an opportunity to sell their products in the country.

It is learnt that the Excise Collectorate is proposed to be shifted from Nagpur. This should not be done keeping in view the importance of Bhopal as capital of Madhya Pradesh.

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान निकोबार द्वीप समूह) : अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह की बड़ी उपेक्षा की गई है। वहां किसान भूखे मर रहे हैं। पिछले साल तूफान और कीड़ा लगने के कारण कोई फसल नहीं हुई। इस वर्ष भी सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी और इस कारण भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। अब समय है कि सरकार किसानों की ओर ध्यान दे ।

श्रमिक वर्ग की दशा भी दयनीय है। हजारों हरिजन श्रमिकों की छटनी की जा रही है। सरकार उनकी कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दे।

सरकार वहां बड़ी मात्रा में धन व्यय कर रही है। परन्तु वहां योजना और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोई राजनीतिक तंत्र नहीं है। वहां उचित तंत्र के अभाव में सरकार के सभी कार्यक्रम उचित रूप में लागू नहीं किए जा सकते। उस दूर-दराज प्रदेश में अनेकों विकास कार्य करना आवश्यक है। उस क्षेत्र को देश के अन्य क्षेत्रों के समान माना जाये ।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के सरकारी कर्मचारियों की विशेष भत्ते सम्बन्धी एक पुरानी समस्या है। यह भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जाये फिर चाहे उनका सेवा और रहने का स्थान कोई भी हो।

अन्डमान निकोबार को अधिक धन दिया जाये क्योंकि यह एक विकासशील क्षेत्र है और इसका सामरिक महत्व है।

द्वीपसमूह में जानवरों में महामारी फैल गई है। उसे रोकने और किसान की मदद करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। जिनके जानवर महामारी में मर गये हैं, उन्हें अब खेती करने में कठिनाई हो रही है। वित्त और कृषि मंत्री दोनों तथा अन्य अधिकारी इस ओर ध्यान दें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : लाखों रुपये का आयकर बकाया पड़ा है। सरकार इसे वसूल करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने पर गरीबों पर कर कम किया जा सकता है।

बैंक ठीक प्रकार काम नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपयों का गोलमाल हुआ है। जाली मुद्रा चलन में है। ऐसा विजया बैंक पर मारे गये छापे में पता चला है। फिर भी उस बैंक के अध्यक्ष का सेवाकाल बढ़ाया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश में भ्रष्टाचार और अन्य दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। पिछले छः महीने से सरकार ने तस्करों, जालसाजों और करापवंचकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। मंत्रालय इस विषय पर फिर से विचार करे। यदि सरकार इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे।

हमारे देश में लौह अयस्क का बड़ा भण्डार है। विशेषकर कर्नाटक में बड़े अच्छे किस्म का लौह अयस्क है तथा जापान में इसकी बड़ी मांग है। खान मंत्री श्री पटनायक ने इस्पात संयंत्र को हास्पेट से स्थानान्तरित कर मंगलौर में स्थापित किये जाने का वक्तव्य देकर बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है और इससे उत्तेजना बढ़ गई है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में अपने पूर्व निर्णय को न बदले।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने राज्य का उचित प्रकार से सर्वेक्षण नहीं किया है। तुमकुर जिले में भी लौह पिण्ड फ़ैक्टरी की स्थापना की बड़ी सम्भावना है। वहां खान उद्योग की स्थापना की सम्भावना को भी मूर्तरूप दिया जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): It is a matter of great concern that prices still continue to rise. The entire nation is eager to know what concrete steps have been taken to check this trend of rise in prices.

In this connection, the Minister of Finance should clearly state whether it is not possible to bring in demonetisation so as to wipe out the black money.

Secondly, is it not possible to impose some ceiling-limit on expenditure? We cannot improve our economy without imposing a limit on expenditure.

No concrete step has been taken during the last three months for curbing prices. Government should clearly state their policy regarding nationalisation of industries in the light of the recent statement by the Industries Minister that no new industry will be nationalised.

The Minister of Finance should clearly state whether it is not possible to bring in demonetisation so as to wipe out black money to a great extent ? Secondly isi t not possible to impose a ceiling on expenditure. Unless an atmosphere of austerity is created in the country, rising expenditure cannot be curbed. I hope that Janta Government will not repeat the mistakes of the previous Government with these words I support the demands.

Shri Chhabiram Argal (Morena) It is a matter of satisfaction that out of all the Electrification Corporations working in the Country, the Electrification Corporation of Madhya Pradesh has been running in profit. But the electricity workers in each district of Madhya Pradesh have gone on strike to press their demands. But the administrative officers of the Electricity Board are not considerate to their demands. The hon. Finance Minister should look into the matter and provide the necessary funds so that their legitimate demands in regard to promotion, accommodation and medical facilities can be met.

Similarly, certain employees of A. G.'s office at Gwalior who were arrested in emergency, have not been reinstated so far . The hon. Finance Minister should take steps to see that these employees are also reinstated like other railway employees.

The system of price control should be abolished with a view to bringing down the prices and ensuring the availability of goods in the market.

The other day, the Industries Minister has made a statement that they will not nationalise any more industries. In this connection, I will urge that the hon. Finance Minister should change this policy and should lay down that big business houses who have amassed a good deal of black money, must be nationalised.

The recruitment of I. A. S. and I. P. S. officers still continues, but the recruitment o low er grade employees has been restricted. If the strength of the I. A. S. and I. P. S. officers is reduced, it would bring a good deal of saving. A ban should be imposed on their recruitment The class II and class III employees should be recruited in larger numbers so as to tackle the problem of unemployment.

The promises and assurances given by the previous Government to Scheduled castes and Scheduled tribes must be fulfilled by the present Government. The quota reserved for them in services must be fulfilled.

The word 'Harijan' is nowhere mentioned in the Constitution. Therefore, it should not be allowed to be used anywhere. A time bound programme should be drawn upto ensure protection of their interests.

The entire working class in the country is very much agitated over the question of bonus. Government should give a thoughtful consideration to this matter and take an early decision in the matter with a view to providing some relief to them.

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा (बैल्लारी) : मांग संख्या 80 में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था क लिए 28 लाख रुपये की मांग की गई है। कुछ दिन पहले इस्पात मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हासपेठ का प्रस्तावित संयंत्र अब मंगलौर में लगाया जायेगा। हम पिछले सात वर्षों से विजयनगरम इस्पात संयन्त्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगर अब इस्पात मंत्री यह कहते हैं कि संयंत्र उस स्थान पर न लगाकर मंगलौर में लगाया जाऐगा तो इससे बेल्लारी के लोगों को बहुत दुख होगा। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार इस उद्देश्य हेतु 4000 एकड़ भूमि तथा कुछ उपकरणों की खरीद पर तीन लाख रुपये व्यय भी कर चुकी है। भूतपूर्व सरकार ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था और वर्तमान सरकार को कर्नाटक के लोगों की इस चिरप्रतीक्षित मांग को पूरा करना चाहिए। इस्पात मन्त्री को विशिष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिए कि प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र होसपेट में ही लगाया जाएगा ना कि मंगलौर में।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मद संख्या 1 के अन्तर्गत कृषि विभाग न कुछ अतिरिक्त व्ययों की अनुमति मांगीहैं और यह अतिरिक्त व्यय भूतपूर्व सरकार द्वारा किये थे। वित्त मंत्री जबकि चालू वर्ष के बजट में से 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किये गये व्यय को पूरा करने के लिए राशि की मांग कर रहे हैं। 7 फरवरी, 1977 को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है जिससे खाद्य निगम के सभी दावों का बट्टे खाते में डालने के लिए कहा गया है। अब जबकि हमें वित्त के अभाव का सामना करना पड़ रहा है हमें इस बात का पता चला है कि भूतपूर्व सरकार के शासन के अन्तिम कुछ सप्ताहों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 400 करोड़ रुपये की राशि व्यय में गंवाई गई। हमें कमियों को पूरा करने तथा बचत करने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

मद संख्या 50 के अन्तर्गत वित्त मंत्री ने 4 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मांग की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि भूतपूर्व सरकार द्वारा अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध पर व्यय की गई थी ताकि आपातस्थिति के मार्गों को प्रशस्त किया जा सके और देश में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाये जिससे कि नागरिकों को स्वतन्त्रता पूरी तरह से समाप्त की जा सके।

मद संख्या 76 के अन्तर्गत वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा पत्तन लाइट हाऊस इत्यादि के लिए 3 लाख रुपये की राशि की मांग की गई है। कलकत्ता पत्तन की स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

हाल ही में नई पश्चिम बंगाल सरकार ने 160 रुपये की संयुक्त क्षेत्र में पांच पैट्रोरसायन एककों, जो कि प्लास्टिक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाये, की स्थापना का प्रस्ताव किया है। पूर्वी राज्यों में इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार द्वारा कुछ उपाय किये जाने चाहिएं पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित एककों को सहायता दी जानी चाहिए।

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : दीमापुर में हुए दंगों के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षा को घटा कर 8 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में कुछ चिन्ता व्यक्त की गई है। कितना लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए इसका निर्णय नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक करता हैं जो कि सरकार के प्रभाव से बिल्कुल स्वतंत्र है। अतः कितना लेखा परीक्षण आवश्यक है और कितना किया जा सकता है यह सब उसकी जिम्मेदारी हैं। कर्मचारियों की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी है उसके लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया है।

चार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के औचित्य के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया गया है। यह अतिरिक्त धनराशि स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पर व्यय की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की योजना 1972 में शुरू की गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन पर्यन्त 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। कुछ स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हैं। पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि में प्रति वर्ष भारी वृद्धि हो रही है। कई मामलों में पेंशन भूतलक्षी प्रभाव से दी गई है इस कारण भी काफी धनराशि व्यय हुई है। गृह मंत्रालय हाल में पेंशन के सारे प्रश्न पर समीक्षा कर रहा है।

रक्षा सेनाओं के सम्बन्ध में किये गये अतिरिक्त व्यय के बारे में भी प्रश्न किया गया है। यहां यह व्यय इसलिए बढा हैं क्योंकि पूर्ति की मात्रा के बढ़ जाने तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण स्टोर पर अधिक व्यय करना पड़ा।

यह भी प्रश्न किया गया हैं कि किस प्रकार पेंशन प्रभारित व्यय हो गया। इसे न्यायालय के आदेश को पालन करने हेतु संविधान के अन्तर्गत प्रभारित व्यय बना दिया गया हैं।

220 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में भी पूछा गया है। जिस तरह सरकारी हुण्डियों का भुगतान किया जाता है उससे इतना ऋण बढ़ गया है। जिस तरह सरकारी हुण्डियों का भुगतान सकल आधार पर किया जाता है। बैंक भी सरकारी हुण्डियों में थोड़े समय तक के लिए धन

लगा सकते हैं अतः भुगतान के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस प्रकार सरकारी हुण्डियों का भुगतान और निवेश किया गया उससे 220 करोड़ रुपये की कई मदों का ऋण हो गया। यह बिल्कुल एक तकनीकी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष की अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई

The following Demands for excess grants for the year ending on 31st March, 1975 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	1. राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
1	कृषि विभाग . . .	12,47,562
11	वाणिज्य मन्त्रालय . . .	8,67,309
13	संचार मन्त्रालय	2,13,989
18	रक्षा मन्त्रालय .	7,37,538
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	9,20,56,785
31	आयकर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर .	46,33,680
32	स्टाम्प . . .	780
34	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	51,13,742
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय .	30,528
43	भारी उद्योग मन्त्रालय . . .	18,336
50	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	4,10,90,991
53	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	78,51,083
57	औद्योगिक विकास मन्त्रालय	19,29,775
60	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	2,04,840
62	प्रसारण	52,18,304
65	विद्युत स्कीमें	23,34,037
76	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	5,01,857
80	खानें और खनिज	28,91,337
94	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	24,70,789
102	अन्तरिक्ष विभाग	11,96,002

1	2	3
	2. पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
17	डाक तार पर पूंजी परिव्यय	9,03,71,016
34	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल . . .	1,32,10,688
41	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	48,14,934
52	चण्डीगढ़	3,89,030
102	अन्तरिक्ष विभाग	27,55,449

विनियोग (संख्या 3) विधेयक

APPROPRIATION NO. 3) BILL

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कुछ सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनको चुकाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कुछ सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनको चुकाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एम० एच० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कुछ सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की

गयी हैं, उनको चुकाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष मोहदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कुछ सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनको चुकाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए जायें

Clauses 2, 3 and the schedule were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

मोटरयान (संशोधन) विधेयक

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाइ) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि मोटरयान अधिनियम 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

यह विधेयक तीन अथवा चार विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शराब तथा नशीली दवाइयों के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कार्यवाही करना है। अतः सरकार इस उपबन्ध को सशक्त बना रही है। अब यह व्यवस्था की गई है यदि किसी के रक्त परीक्षण द्वारा इस बात का पता लगेगा कि वह व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था तो उसके विरुद्ध मुकद्मा चलाया जाए और यदि किसी व्यक्ति के प्रति दो बार दोष सिद्धि हो जाती है तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

मोटर साईकल दुर्घटनाओं में 90 प्रतिशत मामले सिर पर चोट लगने के होते हैं इसीलिए 'हैलमेट का पहनना अनिवार्य बनाया गया। सिक्खों को इस मामले में छूट दी गई है क्योंकि पगड़ी के ऊपर हैलमेट पहनना बहुत मुश्किल है। साथ ही यह उनका धार्मिक मामला है अन्यथा कोई भी व्यक्ति पगड़ी पहन लेगा और कहेगा कि मैं पगड़ी के ऊपर हैलमेट नहीं पहन सकता सिक्खों के घने लम्बे बाल भी उनके सिर की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

मोटर साईकलों के लिए कोई गति सीमा नहीं है इसीलिए विधेयक में 50 किलोमीटर की अधिकतम गति की व्यवस्था की जा रही है।

नए लोगों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने के सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं इस बात की व्यवस्था थी कि जिन लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परमिट है उन्हें ही राष्ट्रीय परमिट मिलेगा। इस व्यवस्था से नए लोगों को तो कभी भी परमिट मिल ही नहीं सकता। अतः इस उपबन्ध में उचित संशोधन किया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति को जो कि राष्ट्रीय परमिट को प्राप्त करने के लिए योग्य हो, परमिट प्राप्त हो सके।

चालक लाइसेंस की फीस के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उसमें भी संशोधन किया गया है। अब इस बात की व्यवस्था की गई है कि फीस समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। बहरहाल अधिक फीस लेने का हमारा इरादा नहीं है।

यही कारण है कि इस विधेयक का राज्य सभा में एकमत से समर्थन किया गया और मुझे आशा है कि इसे इस सभा का भी समर्थन प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मोटरयान अधिनियम, 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए"।

कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है। तीन संशोधन प्रवर समिति को भेजने के लिए सूचना दी गई है। मैं सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा। श्री रवि क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे :

श्री वयालार रवि (चिरियंकील) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर यान अधिनियम 1937 का और संशोधन करने वाला विधेयक 9 सदस्यों अर्थात :

1 श्री सी०के० चन्द्रप्पन

2 श्री मोरारजी देसाई

3 श्री एम०एन० गोविन्दन नायर

4 श्री एन० श्रीकान्तन नायर

5 श्री के० राममूर्ति

6 श्री के० विजय भास्कर रेड्डी

7 श्री सी० एच० स्टीफन

8 श्री वी० एम० सुधीरन और

9 श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

की प्रवर समिति को भेजा जाए।

प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं पूरा समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कानून को सशक्त बनाना है। नशे में गाड़ी चलाने से दुर्घटना की सम्भावना अधिक रहती है। देश में सड़कों के जाल से राष्ट्रीय परमिट और प्रादेशिक परमिट जारी करने इत्यादि से देश में यातायात बहुत बढ़ गया है।

1972 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 15,500 थी। यह वास्तव में हम सब के लिए बहुत चिन्ता का विषय है। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह है कि लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। लाल बत्ती होने पर भी रुकते नहीं हैं। दिल्ली परिवहन निगम भी दुर्घटनाओं के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। दुर्घटनाओं के निम्न कारण बताए गए हैं : तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, वाहनों की अधिकता और सड़कों की खराब हालत। मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 60 प्रतिशत ड्राइवर गाड़ी चलाने के काबिल नहीं। उन्हें अच्छी तरह गाड़ी चलाना आता ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त लाइसेंसिंग पद्धति में भी कई दोष हैं। दिल्ली पुलिस ने भी लाइसेंसिंग प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। आजकल लोग अपने रसूख से लाइसेंस ले लेते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को लाइसेंस न दिए जाएं। संबद्ध व्यक्ति को यातायात के नियमों का पता होना चाहिए तथा सडक पर गाड़ी चलाने की समझ होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट से शिकायत की है कि उसने तीन सप्ताह के भीतर एक स्कूटर ड्राइवर का चालान 219 बार किया और फिर भी वह कानून का उल्लंघन करने और बचने में सफल हुआ। इस विधेयक में लाइसेंस रद्द करने के बारे में भी उपबन्ध है।

[श्री वयालार रवि]

इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को फीस निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि लाइसेंस जारी करने और उसका नवीकरण करने के लिए अधिक फीस नहीं ली जानी चाहिए।

धारा 17 में आपने अच्छा परिवर्तन किया है - मैं इसका स्वागत करता हूं। धारा 17 के अन्तर्गत सजा को और कठोर बनाया जाए। लाइसेंस को कम से कम पांच वर्षों तक के लिए रद्द किया जाना चाहिए।

विधेयक के कुछ उपबन्धों के दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड सकता हैं जो शराब पी कर गाड़ी चला रहा हो। इस उपबंध के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अन्यथा किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। विधेयक के अन्तर्गत प्रदान की गई अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग की पर्याप्त संभावना है। क्योंकि मंत्री या संसद सदस्य या पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल पुलिस के हर एक कार्मिक पर तो नज़र नहीं रख सकता अत: मेरा निवेदन हैं कि प्रधान मंत्री मेरे संशोधनों पर विचार करें ताकि कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Durga Chand (Kangra) Mr. Deputy Speaker, Sir I rise to support this Bill. However, I feel that instead of bringing a piecemeal legislation Government should have brought a comprehensive legislation which could have met the present requirements so far as the road transport is concerned.

As regards fees, a ceiling has been fixed in this Bill and so there need not be any apprehension in this regard that Government will increase the fees arbitrarily.

The Bill provides that motor cyclists and scooterists have to wear helmets. But it is still not clear whether both the driver and the pillion-rider should wear helmets or only the driver should wear helmet. Wearing of helmet should be made compulsory for both.

I agree that the amending Bill provides stringent punishment to those who drive under the influence of liquvr. This will bring down the number of accident on roads. However, there are many loopholes still left in the Bill. The loopholes must be plugged.

श्री जगन्नाथ राव (बहरामपुर) : यह विधेयक अत्यधिक स्पष्ट और विवादरहित है। मोटरयान अधिनियम 1939 में पास किया गया और 1942, 1956, 1969 और 1970 में इसमें संशोधन किए गए थे। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि इस संबंध में एक व्यापक विधान लाया जाए ताकि वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके क्योंकि मूल अधिनियम 1939 में पास किया गया था और तब से लेकर अब तक सड़क परिवहन बहुत बढ़ गया है।

धारा 7 के अन्तर्गत सरकार जितनी भी फीस ठीक समझे निर्धारित कर सकती है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की फीस को बढ़ाना चाहती है तो विधेयक में स्पष्ट इस बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

दण्ड को और कठोर बनाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 17 का संशोधन किया जा रहा है। दण्ड की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है। संशोधन का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि दो बार अपराध करने वालों को अदालत थोड़ी अवधि के लिए जेल की सज़ा न दे।

नई धारा 17क का सम्बन्ध ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से है। इसके अनुसार मामला दर्ज होने की तिथि से लेकर छह महीने तक की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित किया जाएगा। मान:

लीजिए अगर मामला छह महीने तक निपटाया ही नहीं जाता तो लाइसेंस छह महीने बाद फिर वैध हो जाएगा लेकिन मामला विचाराधीन होगा। अतः लाइसेंस को तब तक स्थगित किया जाए जब तक मामला निपट न जाए। और यदि छह महीने के भीतर मामला निपट जाता है तो दोषी व्यक्ति को भी लाइसेंस छह महीने बाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द हुआ हो उसे किसी किस्म का वाहन चलाने से रोक दिया जाना चाहिये।

मूल अधिनियम की धारा 63 में भी संशोधन किया जा रहा है और अब राष्ट्रीय परमिट नए लोगों को भी देने की व्यवस्था की जा रही है।

क्रैश हैलमेट केवल स्कूटर चलाने वाले के लिए ही नहीं अपितु पीछे बैठने वाले के लिए भी अनिवार्य होना चाहिए। स्कूटर पर दो से ज्यादा लोगों को सवारी नहीं करनी चाहिए। लोग दो या तीन बच्चों को लेकर स्कूटर पर बैठते हैं जो कि बहुत खतरनाक है।

जहां तक पगड़ी पहनने वालों को हैलमेट की छुट देने का संबंध है सिक्खों को छूट दी गई है। सिक्खों को पगड़ी धार्मिक कारण से पहननी पड़ती है। लेकिन कई अन्य जातियों के लोग जैसे राजस्थान के मारवाड़ी, हरियाणा के चौधरी इत्यादि लोग भी पगड़ी पहनते हैं इसलिए इन्हें भी हैलमेट पहनने की छूट दी जानी चाहिए।

शराब के नशे में ही अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत खून, श्वास और पेशाब इत्यादि के परीक्षण के लिए एक बड़े तंत्र की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्रियान्वयन तंत्र के बारे में क्या विचार है? यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात हो उन्हें स्वयं शराब पीने अथवा नशीली दवाइयों के खाने की आदत न हो।

अतः यह पता लगाना कठिन है कि किसे शराब पीने की आदत नहीं है। यह निर्धारण कौन करेगा कि कौन व्यक्ति शराब नहीं पीता है? फिर धारा 117 के अन्तर्गत भी बचाव हो जाता है। पुलिस भले ही कहे कि अमुक व्यक्ति वाहन चलाने में असमर्थ है लेकिन न्यायालय के विचार से वह वाहन चला सकता है और न्यायालय प्रत्येक मामले पर विचार नहीं कर सकता।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह अवश्य कहूंगा कि एक व्यापक विधेयक लाना आवश्यक है।

***श्री ए० के० साहा** (विष्णुपुर) : मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1977 मूल अधिनियम, जो 1939 में पास किया गया था, में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इससे सरकार शराब के नशे में गाड़ियां चलाने वालों के लिए दण्ड बढ़ा कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना चाहती है। लेकिन मूल अधिनियम में समय समय पर संशोधन करने के बजाय वर्तमान अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए व्यापक विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री ए० के० साहा]

सड़क दुर्घटनाएं केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से ही नहीं होतीं बल्कि खराब सड़कें भी बड़ा या मुख्य दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर को सड़कों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सड़कों की दशा बहुत खराब हैं और वहां की सड़कें कच्ची होती हैं। वर्षा के बाद तो इन सड़कों की दशा इतनी अधिक खराब हो जाती है कि वहां कोई वाहन चलाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वहां घातक दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। फिर अनेक नदियों पर पुल भी नहीं होते हैं। कई रेलवे फाटकों पर चौकीदार भी नहीं होते हैं। इन सब कारणों से रेल दुर्घटनाएं भी होती हैं।

यहां यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि ऐसी मोटरगाड़ियों को भी सड़क पर चलने दिया जाता है जो सड़क पर चलने के काबिल नहीं होती हैं। ये गाड़ियां यात्रियों के लिए खतरनाक होती हैं। ऐसी खराब गाड़ियों के मालिक रिश्वत देकर या अन्य गलत तरीकों से सड़क पर परमिट बनवा लेते हैं। राज्य प्रशासन इन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता है और यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ करता है। परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। जब तक कार्यकरण में सुधार करने के लिए कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी, वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का दशा सुधारी जानी चाहिए। अनेक गांवों में बसों या ट्रकों को अभी तक किसी ने देखा तक नहीं है। इसलिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण और दूरस्थ देहातों को सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जे और पैट्रोल रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जाने चाहिएं जिससे मोटर गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियां ठीक स्थिति में रख सकें और सड़क दुर्घटनाएं न हों।

देश में सड़क दुर्घटनाओं से बचने और इन में कमी करने के लिए सड़क निर्माण और इनके रखरखाव पर अधिक धनराशि व्यय की जानी चाहिए। इसके लिए एक व्यापक विधेयक अलग से पेश किया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इस कदम से दुर्घटनाओं में कमी होगी। नया विधान लाने का हमारा यही ध्येय है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना रोका जा सके। यह कानून इस बुराई को वहीं दबा देगा जहां यह अधिक प्रचलित है और साथ ही यह संविधान में निहित मद्यनिषेध नीति की क्रियान्विति की दिशा में भी सही कदम होगा।

विधेयक की धारा 7(8) में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देन की व्यवस्था है कि वह शुल्क या फीस की राशि निर्धारित कर सकती है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह राशि निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 35 के प्रावधानों के अनुरूप कर लगाने की जिम्मेदारी राज्य की है। केन्द्रीय सरकार तो केवल नियम या सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकती है जिनके अनुसार देश के विभिन्न भागों में कर लगाया जा सकता है।

पैरा सात परिवहन गाड़ियों के नियंत्रण से सम्बन्धित है। इसके अनुसार और परिवहन विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार पर्यटकों के लिए मार्ग की सुविधा होनी चाहिए। यह सराहनीय उपाय

है क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि नए व्यक्तियों को परमिट दिए जा सकते हैं और राष्ट्रीय परमिटों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी की जा सकती है । लेकिन एक ही समस्या है जो पर्यटक वाहनों की है । इनको खड़ी करने की उचित व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस पर चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए । हम आधा घंटे तक का समय बढ़ा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही समय बढ़ा दिया है ।

श्री जगन्नाथ शर्मा : परिवहन विकास परिषद् ने राष्ट्रीय मार्गों पर पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय करते समय यह सिफारिश की है कि इनको खड़ी करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । लेकिन इसके लिए सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए या अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन को अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए ।

धारा 85 में यह व्यवस्था है कि मोटर साइकिल सवार अपने अलावा एक से अधिक सवारी नहीं बिठाएगा । लेकिन बैठते एक से अधिक हैं । इस धारा का उल्लंघन किया जाता है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है ।

पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार गांव का पुलिसमैन भी 'पुलिस अधिकारी' है । यदि धारा 128क, 128ख और 128ग के अधीन अशंकालिक पुलिसमैन को अधिकार दिए जायें तो लोगों को बहुत परेशानी उठानी पडेगी । पुलिस अधिकारी सब-इंस्पैक्टर या उप-अधीक्षक से कम पद का नहीं होना चाहिए । अन्यथा लोगों को अत्यधिक परेशानी और असुविधा होगी ।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : प्रसन्नता की बात है कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह संशोधनकारी विधेयक लायी है । मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं ।

ऐसा लगता है कि सरकार के विचार में अधिकांश दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं । संशोधनकारी विधेयक के पास होने और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कानून बनाने के बावजूद सड़क दुर्घटनायें तब तक जारी रहेंगी जब तक सड़कों की हालत नहीं सुधारी जाती । इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए । दूसरे सही रख-रखाव और मोटर गाडियों की मरम्मत के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

लाइसेंसिग प्रणाली को कठोर बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रायः अपात्र लोगों को भी लाइसेंस दिए जाते हैं और विशेषकर दिल्ली में यातायात पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से नहीं निभा रही है । साल में एक या दो बार यातायात अनुशासन सप्ताह मनाया जाता है ।

विधेयक के प्रावधानों से परेशानी हो सकती है क्योंकि यातायात अधिकारियों को अंधाधुंध ताकत दी गई है । जिसका प्रयोग करके वे शराब पीकर गाड़ी चलाने के सन्देह में किसी भी चालक को हिरासत में ले सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए ।

[श्री पी० के० कोडियन]

खून टैस्ट, पेशाब टैस्ट, श्वास टैस्ट आदि की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इससे परेशानी होगी । यदि शराब के नशे की जांच करने के लिए कोई तरीका है तो इतने टैस्टों की कोई जरूरत नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रधान मंत्री के प्रयास की सराहना करता हूं कि उन्होंने शराब पीकर या लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया है । विधेयक के खण्ड 10 में किये जा रहे प्रावधान, जब तक कि प्रशासनिक नियंत्रण और कठोर पर्यवेक्षण न हो, छोटे अधिकारियों के हाथों में दमन का साधन बन सकते हैं । पुलिस अधिकारी झूठे मूठे अपराध लगाकर ऐसे भोले भाले लोगों से धन हड़प सकते हैं, जिन्होंने न तो शराब पीकर गाड़ी चलाई है और न ही असावधानी या खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाई है । आशा की जाती है कि सरकार प्राधिकार प्राप्त लोगों पर जोर डालकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहे कि पुलिस के लोग भोले भाले लोगों को तंग या परेशान न करें ।

इंग्लैण्ड में श्वास जांच यंत्र अपनाया गया था । कई वर्षों बाद यह संदेह उत्पन्न होने लग गया कि यह यंत्र ठीक ढंग से काम कर रहा है अथवा नहीं । मुझे पक्का पता नहीं है कि यह यंत्र अब भी ब्रिटेन में चालू है अथवा नहीं । क्या प्रधान मंत्री इस बारे में सूचना देंगे ?

मेरी राय में विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए ताकि वह इस अधिनियम के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आगे जांच करे ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा ध्यान संशोधनकारी विधेयक के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों के सम्भावित दुरुपयोग की ओर दिलाया है ।

कराधान का प्रश्न उठाया गया है । बताया गया है कि यह वैधानिक नहीं होगा । लेकिन यह कर नहीं, फीस है और यही कारण है कि वाहन चलाने के लिए लाइसेंस देने हेतु 'फीस' शब्द का प्रयोग किया गया है । यह मोटरगाड़ी पर कर नहीं है बल्कि चालक द्वारा दी जाने वाली फीस है । इस पर कोई कानूनी या वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है ।

पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ प्रतिबन्धों का दुरुपयोग करने की सम्भावना का प्रश्न उठाया गया है । मैं भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुये यह तो नहीं कह सकता कि इसकी सम्भावना नहीं है पर हमें इसे समाप्त करना होगा । लेकिन समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस अधिकारियों को अधिकार न दिए जाएं क्योंकि प्रत्येक सड़क पर बड़े पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सम्भव नहीं है । अतः प्रत्येक पुलिस अधिकारी को कार्यवाही करने का अधिकार देना होगा । लेकिन वह वारन्ट के बिना व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब संदिग्ध शराबी चालक श्वास जांच करवाने के लिए मना कर दे ।

यह भी हो सकता है कि कोई पुलिस अधिकारी चालक से पैसे झाड़ने की गरज से उसे श्वास जांच करने के लिए कहे । लेकिन वह आदमी उसका कहना क्यों माने ? यदि वह गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि व्यक्ति को गलत गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अधिकारी को तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाएगा । मैं इस बारे

में सभी राज्यों को अनुदेश भेज रहा हूं । ऐसी कार्यवाही शुरू होने पर बुराई पर नियंत्रण पाया जा सकता है । यदि कोई पुलिस अधिकारी पैसे लेकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को छोड़ देता है तो उस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये ।

वाहन के प्रश्न को गलत समझा गया है । मेरा मतलब माल वाहनों से है यात्री वाहनों से नहीं । ट्रक यातायात का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या मोटर साइकिल पर दो से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं ।

हम पूरे अधिनियम को सही रूप देने पर विचार कर रहे हैं और इस पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है । कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक को स्वीकार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटरयान अधिनियम, 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

खंड 2 से 8

उपाध्यक्ष महोदय : इन खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 to 8 were added to the Bill

श्री वयालार रवि : मैं संशोधन संख्या 11 और 12 पेश करता हूं । प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री राज्यों को यह अनुदेश भेजेंगे कि भ्राष्ट पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए । लेकिन मुझे आशंका है कि 'सवार होने का प्रयास' शब्द से प्रावधान का दुरुपयोग होगा और लोगों को परेशानी होगी ।

यह सच है कि प्रधान मंत्री निदेश भेज सकते हैं और सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के लिए तत्काल बर्खास्तगी की व्यवस्था करने वाले कानून बना सकती है । लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें संरक्षण दिया गया है और यह सही भी है । संविधान के अनुच्छेद 311(ख)

[श्री वयालार रवि]

के अधीन उन्हें सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक भ्रष्ट प्रक्रिया को बताने वाला कोई उचित कानून न हो। राज्यों ने भ्रष्ट प्रक्रियाओं के बारे में कई कानून बनाए हैं लेकिन यह पता नहीं है कि उसमें तत्काल बर्खास्तगी की व्यवस्था है अथवा नहीं। खंड 9 में धारा 117 के अन्तर्गत 'चलाने का प्रयास' और 'सवार होने का प्रयास' आदि शब्द हटा देने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को हानि हो सकती है।

श्री मोरारजी देसाई : सजाओं के मामले में हम कानून के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अतः गैर कानूनी कार्यवाही के मामले में सरकारी कर्मचारियों को निश्चय ही संरक्षण मिलेगा। परन्तु यदि वे गैर कानूनी कार्यवाही करेंगे तो वे बच नहीं सकते। हम इसके लिए सही उपचारों की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि चालक दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाएगा परन्तु यदि वह दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अतः सही सुरक्षाउपाय कर लिए गए हैं। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 तथा 12 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments No. 11 and 12 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The mation was adopted

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

श्री वायालार रवि : मैं संशोधन संख्या 13, 14, 15 तथा 16 पेश करता हूं।

पुलिस में भले ही बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पुलिस में विभिन्न प्रकार के लोगों के कारण गलत काम हो ही जाते हैं। खंड 10 की धारा 128क में संशोधन करके पुलिस के उप अधीक्षक के पद के पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया जाए।

खंड, धारा 128क (4) में यह जोड़ दिया जाए कि पुलिस अधिकारी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद दो घंटे के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और श्वास जांच के बारे में बताएगा। ऐसे प्रावधान से नागरिक परेशानी से बच सकेंगे। पुलिस थाने में बयान लेने के लिए कोई मजिस्ट्रेट रहता ही नहीं। पुलिस स्टशन में जो भी रिकार्ड आता है वह कानूनी अदालत में भेजा जाना चाहिए। इसे साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं जिसके अनुसार पुलिस थाने में एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। इससे नागरिकों के हितों की रक्षा हो पायेगी और इससे शक्ति का दुरुपयोग कम होगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने इंग्लैंड में श्वास-जांच करने वाले यंत्र के बारे में सुना है जो 10–15 वर्ष पूर्व प्रचलित था। किन्तु बाद में यह पाया गया कि यह प्रभावी यंत्र नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि यह यंत्र अभी भी प्रचलित है अथवा नहीं। यदि यह प्रचलित नहीं है तो मैं जाना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव अपने देश में ऐसे यंत्र का विकास करने का है? क्योंकि हम अपने यहां वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हमने पहले ही ऐसे यंत्र का निर्माण किया हुआ है। पहले यह 15 रुपये का आता था किन्तु अब यह केवल दो रुपये में मिल जायेगा। यह प्रभावी भी बहुत है।

हम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पूर्वोपाय कर रहे हैं यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किसी व्यक्ति को केवल 2 घंटे के अन्दर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाये। यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि पुलिस थाना मजिस्ट्रेट के न्यायालय से काफी दूर है।

पुलिस थाने में क्या करना है? केवल नमूना ले लिया जायेगा और उसे न्यायालय में पेश कर दिया जायेगा। फिर न्यायालय किसी योग्य व्यक्ति से इसका विश्लेषण करवायेगा न कि पुलिस अधिकारी से। किन्तु पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी का गलत टैस्ट न किया जाये। उसे श्वास की जांच करनी चाहिए और यदि श्वास में शराब की बदबू नहीं होगी तो फिर आगे की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13, 14, 15 तथा 16 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

संशोधन पेश किए गए और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 10 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

खंड 11 से 13 तक विधेयक में जोड़ दिये गए

Clauses 11 to 13 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए।

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand Part of the Bill"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 1, Title of the Bill and the enacting Formula were added to the Bill.

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक

OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (AMENDMENT) BILL.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है, जिसके द्वारा अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए आयोग की शक्तियों के बारे में कुछ प्रक्रियाओं का विनियमन करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने पहली बार आयोग को निदेश देने का अधिकार अपने हाथ में लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती उसी रूप में की जाये जिस प्रकार सरकारी विभागों द्वारा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विचार किया जाये।"

श्री सौगतराय (बरकपुर) : मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक है। इसका उद्देश्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ विशेष विषयों के बारे में अधिक शक्तियां प्रदान करना है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा रही है।

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए]

[SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair.*]

साथ ही मन्त्री महोदय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक प्रकार का अपना साम्राज्य ही न स्थापित कर ले जिससे कि वह लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न भूल जाये ।

मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 का संशोधन किया जा रहा है । एक समर्थकारी खण्ड के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग राष्ट्रीयकृत बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक में भी धन जमा कर सकता है । मेरे विचार से इस खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । स्टेट बैंक और 14 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक देश के कोने कोने में फैले हुए हैं । सुदूर क्षेत्रों को भी इन बैंकों की सेवाएं उपलब्ध हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता है । इस संदर्भ में हमारे पास मालवीय समिति का प्रतिवेदन है । दुर्भाग्यवश इस प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि श्री मालवीय उस समय तेल मन्त्री थे । आशा है कि अब नए मन्त्री, श्री बहुगुणा के नेतृत्व में इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तट दूर खुदाई के लिए विभिन्न देशों से सहयोग करना पड़ा है । बम्बई हाई के सम्बन्ध में एक फ्रांसीसी कम्पनी से सहयोग किया गया है । ऐसे विदेशी सहयोगों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह पैदा होते हैं । ऐसे सहयोग समझौतों के दौरान हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना चाहिए और काफी सावधानी बरतनी चाहिए ।

श्री बहुगुणा हाल ही में ईराक की सरकार से एक समझौता करने वहां गए थे । हमें आशा है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के साथ समान समझौते किए जायेंगे ।

पश्चिम बंगाल में कई बार तेल के लिए खुदाई की गई है । गत वर्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बकारतला में खुदाई कार्य शुरू किया था । लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि इस खुदाई का कोई लाभ हुआ है अथवा नहीं । मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में हमें जानकारी दें । हमारे विचार से सुन्दरबन्स डेल्टा क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना है, इसलिए इस क्षेत्र में खुदाई की जानी चाहिए । सरकार को बंगाल की खाड़ी, सुन्दरबन्स और त्रिपुरा क्षेत्र में व्यापक रूप से खुदाई करवानी चाहिए । इन क्षेत्रों में की गई खुदाई से कुछ तेल भी मिला है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तकनीशियनों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया है । तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग में कई योग्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं । किन्तु ऐसे वैज्ञानिकों तथा तकनीकी संस्थाओं की अध्यक्षता भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा की जा रही है । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ऐसे संगठनों में सर्वोच्च पद तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक अर्हता प्राप्त व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए ।

[श्री सौगतराय]

भूतपूर्व कांग्रेस सरकार निजी क्षेत्र की प्राय: सभी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने में समर्थ हुई है। आज देश में 90 प्रतिशत तेल परिष्करण क्षमता और उत्पादन क्षमता सरकार के हाथों में है। केवल इक्का दुक्का कम्पनियां ही रह गई हैं, जिन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए आयल इंडिया अभी भी डिग बोई में पैसा कमा रही है और हमें आशा है कि श्री बहुगुणा सबसे पहले इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करेंगे। हम मंत्री महोदय से यह भी आशा करते हैं कि वह फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के साथ कोचीन की शोधनशाला के संबंध में हुए समझौते की पुररीक्षा करेंगे और बहुराष्ट्रीय निगमों के गढ़ को तोड़ेंगे।

Shri Ugrasen (Deoria) The Oil and Natural Gas Commission Act was enacted in the year 1959 and this amending Bill seeks to amend three or four sections of that Act. It would have been better if this Bill had also included comprehensive amendments seeking to provide more facilities and remove the difficulties of employees of the Commission. It would have facilitated about 40 to 50 thousand employees of the Commission. At present the employees of this Commission have no power as wide as those enjoyed by their counterparts in other Central Government Corporations, such as Transport Corporation or Atomic Energy Commission etc. They have no pension benefits and residential amenities. With a view to facilitating them to function more effecivetly, they should be given all these facilities. Their service conditions should be made better and they should be brought at par with the employees of other corporations in the matter of gratuity or bonus.

Democratisation should be brought in the working of this Commission and authoritarianism should be done away with. We are ready to grant to this Commission such wide powers as authorised them to accept credit from foreign companies like E.N.E. Co. of Italy or Pomex Co. of Mexico.

The proposal to undertake drilling at Tanakpur in U.P. has been pending for a long time. The Geologial Survey of India oas also reported the oil potentialities in the Tarai region and eastern parts of U.P. The minister seould take steps to expedite work in this region.

It is learnt that the work of those foreign companies that have undertaken exploration work in the Bay of Bengal and other places, have not been satisfactory. The O.N.G.C. have at present taken contracts for work in I ran, Iraq and Tanzania. If the Commission's technicians can now show good results, there, it will add to the goodwill of Commission and we will be in a position to earn more foreign exchange.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : इस विधेयक को पुर: स्थापित करते समय मंत्री महोदय ने कहा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है, इसलिए कुछ अपेक्षित बातों को पूरा किया जाना था। इस विधयक में उनकी व्यवस्था की गई है। तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग अच्छा कार्यकर रहा है। किन्तु उनका अच्छा काम बहुत सीमित क्षेत्र में है। वे एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां कि 45 करोड़ टन अशोधित तेल उपलब्ध होता है जो कि देश भर में उपलब्ध होने वाले अशोधित तेल का बहुत छोटा सा भाग है। इसका अर्थ यह हुआ कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की गतिविधियां देश के जिन क्षत्रों में अशोधित तेल मिलता है, उनके 10 प्रतिशत भाग तक ही सीमित हैं। जब हम देश की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो यह बहुत ही अपर्याप्त लगता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण में बहुत लाल फीताशाही चलती है और आयोग तथा मंत्रालय के बीच उचित समन्वय नहीं है। मंत्री महोदय यह स्पष्ठ करें कि वह अपने नेतृत्व में इन कठिनाइयों को कैसे दूर करेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी गतिविधियों का और विस्तार करना चाहिए क्योंकि इस समय देश के जिन क्षेत्रों में अशोधित तेल मिलता है, उसके केवल 10 प्रतिशत भाग में यह कार्य कर रहा है। केरल के तट पर तेल की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए एक दल भेजा जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Durga Chand (Kangra) : About 8-10 years back the O.N.G.C. started exploration at Shivalik and Jwalaji in Himachal Prardesh and there was possibility of the presence of oil and gas there, but after two years the exploration worke had stopped. I am happy that the same work has again undertaken there. I would like to tell the Hon. Minister that there is every possibility of the presence of oil and gas at Shivalik and Jwalaji.

There have been complaints that political influence affects the selection of areas for drilling and prospecting of oil. In certain areas a good deal of interest is shown whereas certain regions where drilling should have been undertaken were abandoned. Under such conditions progress reports about the results of drilling in a particular area should be obtained after a period of one month so as to evaluate the achievements.

In the present Bill no direction has been given by the Government as to how much reservations will there be for scheduled Castes and Scheduled Tribes. I think both these amendments are good amendments and will help a lot in keeping Government control on O.N.G.C.

श्री बेदब्रत बरूआ (कालियाकेर) : यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। यह भी ठीक है कि यह संगठन काफी अनुसंधान कार्य कर रहा है। जहां तक आसाम राज्य का सम्बन्ध है, यह राज्य तेल की खोज के मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया के बीच बंटा हुआ है। खोज के क्षेत्र में आयोग ने आयल इण्डिया की तुलना में बहुत कम काम किया है। अब इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक इस विधेयक के मुख्य उपबंध का सम्बन्ध है, वह काफी उदार है। यह ठीक ही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। साथ ही नीति का केन्द्रीयकरण भी किया जाना चाहिये। हमारे यहां प्राधिकार का केन्द्रीयकरण है। मैं समझता हूं कि यह सरकारी उपक्रमों के अच्छे कार्यकरण के अनुकूल नही है। यह काफी संतोषजनक बात है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में कुछ नियम निर्धारित किये गए हैं।

हमें यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि आयोग के देहरादून स्थित मुख्यालय द्वारा काफी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में तट-दूर खुदाई का सम्बन्ध है, उसके लिए एक अलग संगठन की स्थापना की जा रही है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि खोज कार्य का निर्देशन देहरादून से न किया जाय। यह तर्क तो ठीक है कि अपेक्षित उपकरण देहरादून में उपलब्ध हैं, परन्तु देहरादून में रहकर आसाम में खोज कार्य करना भत्ता कहां तक संभव हो सकता है ?

मेरा एक अन्य निवेदन यह है कि आसाम द्वारा अब 30 लाख टन तेल की सप्लाई की जा रही है। मेरा यह सुझाव है कि इसका उपयोग राज्य में ही किया जाना चाहिये। अशोधित तेल

[श्री वेद व्रत बरुआ]

का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय को इस ओर उचित ध्यान देकर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस क्षेत्र में किये जा रहे खुदाई कार्य में तेजी लाई जाय तथा उसका मुख्यालय भी वहीं स्थापित करने के लिए कदम उठाय जायें । इसके साथ ही मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि आसाम तेल कम्पनी का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

जहां तक खोज कार्य का सम्बन्ध है, यदि आयल इण्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच कार्य का विभाजन नही किया जाता तो उससे दोनों की ही प्रगति अवरुद्ध होगी । अतः इस प्रकार का विविधीकरण केवल एक ऐसे संगठन द्वारा ही किया जाना चाहिये जिसका मुख्यालय उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हो ।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसका उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार व्यय की सीमा निर्धारित करना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के कुछ विशेषाधिकार देना है । मेरा इस सम्बन्ध में प्रथम निवेदन यह है कि जब कभी भी खोज कार्य करवाया जाय उस समय स्थानीय लोगों को उस कार्य पर लगाया जाना चाहिये । इस कार्य के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वह निश्चय ही आदिवासी क्षेत्र के लोगों को दिया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव की ओर अपेक्षित ध्यान देंगे ।

गत कुछ वर्षों से नामरूप गैस का किसी प्रकार से उपयोग नही किया जा रहा है । यह गैस बेकार जल रही है । यह काफी खेद की बात है कि इस राष्ट्रीय सम्पदा की बरबादी हो रही है । इसे रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिये ।

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदंबरम्) : मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए भी बहुगुणा को बधाई भी देता हूं । यह काफी दुख की बात है कि गत 18 वर्षों से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नही था । यह बहुत आश्चर्य की बात रही कि सीधे केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्य करने वाले इस विभाग में यह आरक्षण नही रखा गया । सम्भवतः इसी के फलस्वरुप भारतीय तेल निगम में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई स्थान नही रखा गया । अतः यह हर्ष की बात है कि प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील): मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं । गत 2 1/2 वर्षों से कोचीन शोधनशाला के कर्मचारियों का एक मांग पत्र सरकार के विचाराधीन पड़ा है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन मांगों का तुरन्त निपटारा करे ताकि वहां अनावश्यक गड़बड़ उत्पन्न न हो ।

200 मील लम्बी पाईप लाइन बिछाने का एक प्रस्ताव भी है । हमें यह भी बताया गया है कि पूरी योजना पर लगभग 15 करोड़ अमरीकी डालर का खर्चा आयेगा । इस सारे सोदे में कोई

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translation of speech delivered in Tamil.

गोलमाल दिखाई देता है। फ्रांसीसी कम्पनी जोर दे रही है कि उसकी फीस 18,000 डालर निर्धारित हो। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दें हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ खास लोगों के साथ ही इस सौदे पर बातचीत हुई थी। देश का काफी अहित किया गया है। अतः मेरा वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ऐसे गैर-कानूनी दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिये। पाइपों की सप्लाई के लिए कोटेशन मंगाए जाने चाहिए। प्रस्तुत विधेयक के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 2,750 रुपये तक के पदों का सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार आयोग को काफी अधिकार दे रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बिना सरकार के पूर्व अनुमति से 50 लाख रुपये का ठेका देने का अधिकार भी है। अतः सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि इन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके।

केरल के तट के पास गहरे समुद्र में तेल पाये जाने की काफी संभावना है। तकनीकी दृष्टि से यह एक व्यवहार्य कार्य लगता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर उचित ध्यान दें।

श्री एन० श्रीकांतन नायर (क्विलोन) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रतिपादित पाइप लाईन की अनेक बार आलोचना की गई है। इसका ठेका आपात स्थिति के दौरान दिया गया था। इस सारे मामले के बारे में जनता के मन में अनेक शंकायें हैं। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिये।

मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि त्रिवेन्द्रम से लेकर कनानोर तक समूचे तट प्रदेश में सर्वोत्तम चीनी मिट्टी की खानें हैं जोकि गहरे समुद्र में चली गई हैं। इस क्षेत्र की खोज के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार तथा संसद सदस्य गत 15 वर्षों से केन्द्रीय सरकार से इस क्षेत्र में खानों का पता लगाने का अनुरोध करते चले आ रहे हैं, परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि अब मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रालय के सभी उद्योगों के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का बोनस दिया जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : तटदूर खुदाई कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेके दिये हैं। रीडिंग बेट्स कम्पनी ने, जिसे कच्छ के बेसिन में खुदाई कार्य करने का ठेका दिया गया है, अभी तक अपना कार्य शुरू नहीं किया है। मेरा विचार है कि भारत को तेल को क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के प्रयत्नों को खंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

कार्ल्सबर्ग नाटोमस नामक एक अन्य फर्म को बंगाल उड़ीसा बेसन में खुदाई कार्य करने का ठेका दिया गया था। इस फर्म ने अभी तक वहां केवल दो ही कुएं खोदे हैं जबकि वहां तेल मिलने की काफी संभावना है। आयोग का यह प्रयत्न है कि इन क्षेत्रों का छिद्रण कार्य तेजी से चले। परन्तु यह फर्म ढील दिखाती जा रही हैं। मुझे तो इसमें विदेशी फर्मों का षडयंत्र दिखाई देता है। सरकार को इस मामले में सतर्कता से कार्य करना चाहिए।

[श्री चित्त बसु]

वर्ष 1975 में असमेरा नामक फर्म को खुदाई कार्य करने का ठेका दिया गया था। वहां तेल मिलने की काफी संभावना थी परन्तु वहां भी कार्य सुचारु रूप से नहीं चलाया गया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ठेके रद्द कर दिये जायें तथा आयोग को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में उचित कार्यवाही की जाये।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : तटदूर तेल की खोज के लिए दो सर्वेक्षण किये गये हैं, एक केरल तट पर सोवियत संघ द्वारा और दूसरा उससे पहले एक अमरीकी फर्म द्वारा। इन दोनों फर्मों की रिपोर्टों के आधार पर कहा गया है कि तेल मिलने की काफी संभावना है। यदि यह तेल मिल गया तो इससे केरल की अर्थ-व्यवस्था को काफी बल मिलेगा। मुझे स्मरण है कि दो अमरीकी फर्मों को बंगाल की खाड़ी तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में खोज कार्य करने का काम भी सौंपा गया था, परन्तु यह कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया यद्यपि इन फर्मों का यह विश्वास था कि समूचे गंगा क्षेत्र में तेल का काफी भंडार है। अतः मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वह इस ओर उचित ध्यान दें तथा इस क्षेत्र से तेल निकालने के कार्य की ओर उपयुक्त कदम उठायें।

Shri Jagdambi Prasad Yadav (Godda) : Sir, I only want to ask one question. Many refineries which were started after Barauni are now manufacturing petro-chemicals, but Barauni has not succeeded in doing so as yet. Secondly, nearly 110 industries based on the by-products of Barauni were also to come up, but except for the fertilizers, no other industry has come up so far. What is the reason for this and when will the work start?

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : यह पहला अवसर है जबकि इस विधेयक के माध्यम से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे। फिर भी हमें तेल उत्पादक देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने चाहिए। इसमें ही हमारा अधिक हित है।

एक निवेदन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समयपूर्व लक्षद्वीप समूह के समुद्र में प्रारम्भिक खोज की गई थी। उससे यह संकेत मिला था कि वहां तेल का काफी भंडार है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि लक्षद्वीप में खोज कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह विधेयक केवल एक अतिरिक्त खण्ड है। वह सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उसके कार्य के सम्बन्ध में ही नहीं वरन् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के सम्बन्ध में भी आदेश देने के अधिकार से सम्बन्धित है।

एक सदस्य ने तेल और गैस के सम्बन्ध में पूरा मानचित्र देने और इस समय कहां काम चल रहा है इसका ब्यौरा देने के बारे में कहा। यह सभा के सामने रखे विभिन्न प्रतिवेदनों में निहित है। ये आंकड़े समय-समय पर किये गये विभिन्न प्रकार सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। इन सबकी अभी जांच करनी है और खोज ही इस बात का पता लगाने का एकमात्र साधन है कि ये सब अनुमान सही हैं या नहीं। मैं केवल यह आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि यह सब सच निकले क्योंकि हमें बड़ी मात्रा में कच्चा तेल चाहिए।

विश्व में अनेकों देश कच्चा तेल बड़ी माता में होने पर भी उसका उपयोग बड़ी किफायत से कर रहे हैं। वे सभी क्षेत्रों में कुएं नहीं खोद रहे। वे अपने भण्डार का उपयोग तब करना चाहते हैं जब विश्व का भण्डार समाप्त हो जाये।

यह ऊर्जा सम्बन्धी नीति का मामला है। क्या सारा तेल निकाल कर उसका उपयोग कर लें या उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। एक ऊर्जा नीति बनाई जानी चाहिए जिससे यह निश्चय किया जा सके कितने कोयले, तेल तथा सूर्य आदि अन्य ऊर्जा के साधनों का उपयोग करना है, क्योंकि कच्चा तेल तो पुनः बनाया नहीं जा सकता।

कुछ निविदाओं के बारे में सन्देह किया गया है। इस मामले में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। उन्हें स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरने दिया जाये। यदि मंत्री या संसद सदस्य निविदाओं में प्रारम्भिक चरण में ही रुचि लेंगे तो किसी न किसी कारण फेर-बदल हो सकती है। यदि निविदा की स्वीकृति का आधार यह फेर-बदल हो जाता है तो यह अच्छा नहीं होगा।

फ्रांसिसी सहयोग के बारे में सन्देह व्यक्त किये गये। फिर भी पिछली सरकार ने उनसे सहयोग किया। जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है कोई सहयोग नहीं है। उसका किसी से सहयोग नहीं है। हमने कुछ परामर्शदाताओं की सेवाएं ली हैं। वे अमरीकी, फ्रांसीसी या ब्रिटिश हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आई०आई०टी० जैसे उच्च तकनीकी संस्थानों में भी पेट्रोलियम इंजीनियरी का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। इस कारण इस विशेष कार्य में हमारे इंजीनियर विशेषज्ञ नहीं हैं और हमें सहायता की आवश्यकता है। पिछले चार वर्षों से हम कार्य के 85 जन वर्षों के लिए 1 करोड़ 74 लाख तक के लिए फ्रांस का सहयोग ले रहे हैं। यह काम श्री मालवीय द्वारा किया गया। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इसमें कोई गलत कार्य नहीं है।

अन्दमान और निकोबार क्षेत्र में तट-दूर तेल उपलब्ध है। बंगाल की खाड़ी, सुन्दरबन तथा अन्य स्थानों, केरल और लक्षद्वीप तट के बीच भी तेल है। हम काफी आशावादी हैं। इसी प्रकार कावेरी बेसिन और गंगा के मैदान में भी तेल की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के पूर्णपुर और हिमाचल प्रदेश में भी काम चल रहा है।

एक सदस्य ने हमें अपने बरमे (ड्रिल) तैयार करने के लिए कहा है। भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने एक बरमा बनाया है जो 5000 मीटर तक बेध सकता है। अब हमारे पास अच्छे और बेहतर रिंग हैं और सौभाग्य से तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है।

देहरादून मुख्यालय के बारे में एक प्रश्न यह पूछा गया कि पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र या किसी एक अन्य स्थान पर क्या कार्य किया गया। पूर्वी क्षेत्र में एक कार्यालय पहले ही खोल दिया गया है। हम ने मध्य क्षेत्र के लिए देहरादून को ऐतिहासिक कारणों से मुख्यालय बनाया है। विशेषज्ञों को कार्य करने के लिए शांत क्षेत्र की जरूरत होती है। वहां पेट्रोलियम संस्थान भी है और अन्य सक्षमताएं भी उपलब्ध हैं। कुशल संचार व्यवस्था और टेलैक्स लाइनें भी हैं। हमारा देश इतना विशाल है कि हम कहीं भी मुख्यालय बनायें वह देश के किसी न किसी भाग से तो दूर होगा ही।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कुछ सदस्यों ने पाइप लाइन का उल्लेख किया है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी गलत काम के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी दोषी व्यक्ति दंड से वंचित नहीं चाहिए।

यह कहा गया है कि हमें बर्मा शैल कम्पनी को सरकारी अधिकार में ले लेना चाहिए। हमारे 50 प्रतिशत शेयर तो पहले ही हैं और बाकी के 50 प्रतिशत शेयर और लेने हैं। पिछली सरकार में पूर्व मंत्री जी ने प्रबन्ध ग्रहण के बारे में कुछ कदम उठाये थे। अब यह विदेशी इक्विटी है और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताएं हैं। मेरा विचार है कि इन लोगों ने पहले ही काफी धन ले लिया है और उन्हें अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए। बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नई प्रकार का उदाहरण रखा था। आयल इण्डिया के बारे में बातचीत लगभग अन्तिम दौर में है और हम शीघ्र ही उसे सरकारी प्रबन्ध में ले लेंगे। जहां तक बर्मा शैल की अनुषंगी कम्पनी आसाम आयल कम्पनी का सम्बन्ध है हम उसके प्रबन्ध को लेने के लिए भी वार्ता चालू कर रहे हैं। इन दोनों को ही सरकारी अधिकार में लिया जायेगा।

हम तेल के लिए देश के प्रत्येक भाग में खोज करेंगे। इसमें भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारे पास जो प्रारम्भिक जानकारी होगी उसी के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

बोनस के बारे में हम ऐसा सूत्र तैयार कर रहे हैं जिससे बोनस को उत्पादन से जोड़ा जा सके। लेकिन बोनस को भूतलक्षी प्रभाव से दिये जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में हमारी कुछ कठिनाई है और हम श्रम नेताओं को भी मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक अन्य बात यह भी कही गई कि यदि आयोग को बहुत अधिक अधिकार दे दिये गये तो उस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं रहेगा। पर हम इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उसे नियमित करेंगे और नियमों को सभा पटल पर रखा जायेगा।

बरोनी का भी उल्लेख हुआ है। बरौनी में पैट्रो-रसायन कारखाना लगाया जायेगा।

तेल की खोज के काम पर अत्यधिक खर्च आता है और हमारी यही कोशिश होगी कि भारत अपने शक्ति संसाधनों का पूरा-पूरा पता लगा ले और तटवर्ती तथा तट-दूर क्षेत्रों में छिपे भण्डार छिपे न रहें। हम इन दोनों क्षेत्रों की ओर बराबर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा पारित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृ हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 6 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 3 to 6 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री एच० एन० बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके बाद लोक सभा मंगलवार 26 जुलाई, 1977 4 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिए स्थगित हो गयी।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 26th July, 1977 Sravana 4, 1889 (Saka)